Page No 1

(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] षष्टम विधान सभा के प्रथम सत्र का चौथा दिवस [संख्या 4

बृहस्पतिवार

21 जुलाई, 1977

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा : प्रश्न संख्या 1

कई माननीय सदस्य : प्रश्न संख्या 1 नहीं 17।

राज्य में मीसा एवं डी. आई. आर. के अन्तर्गत बन्दी बनाये गए व्यक्ति

17. श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

आपात काल के दौरान राज्य में कितने व्यक्तियों को राजनैतिक कारणों से मीसा तथा डी. आई. आर. के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया ? उनके नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

गृह मंत्री (श्री केदारनाथ) : आपात काल के दौरान राज्य में राजनैतिक कारणों से मीसा के अन्तर्गत 440 व्यक्ति तथा डी. आई. आर. के अन्तर्गत 1186 व्यक्ति बन्दी बनाये गये। मीसा के अन्तर्गत सभी राजनैतिक बन्दियों की व डी आई. आर. के अन्तर्गत 1186 व्यक्तियों में से 1141 व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत की जा रही है। बाकी 45 व्यक्तियों के नाम जिलों से एकत्र किये जा रहे हैं जो शीघ्र ही सदन की मेज पर रखवा दिये जावेंगे।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भंवरलाल शर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डी. आई. आर. के अन्तर्गत केसेज जिन पर चले और जिनको सजा हुई उनके केसेज के ऊपर सरकार क्या विचार कर रही है ? क्या वे केसेज वापस लिये जायेंगे और जिनको नौकरी से निकाला गया है, उनको नौकरी पर वापस लिया जायेगा ?

श्री केदारनाथ : उन केसेज को री-एक्जामिन किया जा रहा है, कोर्ट्स से विथड्रा

Page No 2

(2)

(श्री केदारनाथ)

करने की पावर्स हैं कि नहीं । सरकार ने बिल्कुल तय कर लिया है कि केसेज वापस लेने हैं ।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : उन लोगों के नाम बताने की कृपा करें जो डी. आई. आर. और मीसा में पकड़े गये थे और माफी मांगने पर छोड़ दिये गये ?

श्री केदारनाथ : यह अलग से प्रश्न है । प्रश्न की यह मंशा नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आपने कहा है कि राजनैतिक कारणों से मीसा के अन्दर रखे गये । मीसा के अन्दर कुछ कारण होते हैं । मंत्री महोदय, क्या आप बिना रिकार्ड के यह बात कह रहे हैं कि राजनैतिक कारणों से रखे गये ? मीसा कानून कहीं बिना कारण रखे जाने की इजाजत नहीं देता, उसके अन्दर कुछ कारण होते हैं । आप कैसे कह सकते हैं कि राजनैतिक कारणों से रखे गये ? अध्यक्ष महोदय····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जब मैं प्रश्न कर रहा हूं उस समय माननीय सदस्य जो मेरे से ज्यादा काबिल हैं, ज्यादा समझदार हैं, बोल रहे हैं····

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़): माननीय सदस्य भाषण दे रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : राजनैतिक कारण क्या हैं ? इसका आधार क्या है ?

श्री केदारनाथ : माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि राजनैतिक पार्टीज पर पाबन्दियां थीं और इस कारण हमें कारण नहीं बताये, न छोड़ने के, न पकड़ने के । इसलिए मान कर के चलिए जितने गिरफ्तार किये वे राजनैतिक कारणों से गिरफ्तार किये गये ।

श्री मूलचन्द डागा : मीसा के अन्दर सारे कारण लिखे जाते हैं । यह आप जो सारी बात कह रहे हैं वह केवल आपका पोलिटिकल स्टंट है । आप कोई कारण नहीं बता सके ।

एक माननीय सदस्य : पोलिटिकल स्टंट तो कांग्रेस का है ।

श्री केदारनाथ : यह मीसा केवल राजनैतिक बन्दी बनाने के लिये लगाया गया था। सारे देश में इसके पीछे यही एक मन्शा थी, जो मैंने बता दी ।

श्री मूलचंद डागा : यह आप गलत कह रहे हैं । केवल पोलिटिकल रीजन्स का नाम ले रहे हैं····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । नेक्स्ट । श्री शंकरलाल ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि मीसा में बन्दी करने के कारण···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें । अपना स्थान ग्रहण करें ।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोसिंह) : माननीय अध्यक्ष, एक मिनिट । माननीय सदस्य यह

Page No 3

(3)

(श्री भरोंसिह)

जानते हैं कि उनकी पार्टी के नेताओं ने लोक सभा में और राज्य सभा में कहा और स्वयं कांग्रेस पार्टी की बैठक में स्वीकार किया कि देश में इमर्जेंसी केवल राजनैतिक कारणों से लगाई गई थी।

श्री मूलचन्द डागा : यह गलत है।

श्री भैरोंसिंह : यह सही है। यह एडमिटेड फैक्ट है। कल शंकरलालजी और एक माननीय सदस्य ने यहां तक कह दिया कि हमने जो गलतियां की हैं उनके लिये माफी चाहते हैं। राजस्थान सरकार इस बात का प्रयत्न करना चाहती है, किस प्रकार की गलत बातें लिख कर गिरफ्तार किया है, उसका भी संकलन कर रहे हैं।····

श्री मूलचन्द डागा : महरबानी करके सदन की मेज पर रख दें।

श्री भैरोंसिंह : मुझे अफसोस है। हम मीसा में गिरफ्तार हुए, सरकार से हम ने पूछा, सरकार ने कोई कारण नहीं बताया और सरकार के प्रतिनिधि उन कारणों को सदन की मेज पर रखवाना चाहते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : एक बात, मीसा कानून के कारण आपको नहीं बताये लेकिन जिन्होंने गिरफ्तार किया उन्होंने कारण लिखा है। बिना कारणों के गिरफ्तार नहीं किया जाता।

श्री टीकमचन्द कांत (जालोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कारण तो ऊपर से लिख कर आते थे।

श्री केदारनाथ : जो लीड से पकड़े गये वे सिर्फ पोलिटिकल एक्टीविटीज के कारण पकडे गये और कोई एक्टीविटीज नहीं थी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री शंकरलाल।

किसानों के सरचार्ज की वसूली

18. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि काश्त की भूमि का बटवारा रजिस्ट्री के जरिये व राजस्व न्यायालय से हो जाने पर भी उस भूमि का सरचार्ज उस वक्त तक अदा करना पड़ता है जब तक कि उस भूमि के अलग अलग हिस्से म्यूटेशन के द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हो जाते? यदि हां, तो म्यूटेशन की कार्यवाही हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करने के पश्चात् भी जो बहुत लम्बा समय पंचायत अथवा सरकार की गलती के कारण लग जाता है उस समय का सरचार्ज वसूल करना क्या सरकार की दृष्टि में न्यायोचित है?

(2) क्या सरकार ऐसे दरम्यानी समय का सरचार्ज किसान से वसूल न करने का निर्णय लेगी?

वित्त मन्त्री (श्री आदित्येन्द्र) : (1) जी हां, नियमानुसार ग्राम पंचायत किसी नामान्तरकरण के प्राप्त होने की तिथि से 20 दिन की अवधि में उसे निर्णीत करने के लिये उत्तरदायी है। यदि किसी ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित अवधि में नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया जावे तो, संबंधित व्यक्ति अधिकार क्षेत्र वाले उप जिलाधीश को अनुरोध करके उक्त नामान्तरकरण को संबंधित तहसीलदार के पास स्थानान्तरित करा कर स्वीकृत करा सकते हैं? नामान्तरकरणों को नियमानुसार निर्धारित अवधि में निर्णीत

Page No 4

(4)

(श्री आदित्येन्द्र)
करने के लिये राज्य सरकार ने निदेश दे रखे हैं।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न कुछ है, उत्तर कुछ और है। मेरा प्रश्न यह है कि एक दफा जब रजिस्ट्री हो जाये या रेवेन्यू अदालत में फैसला हो जाये कि इतना हिस्सा है उसके बाद में राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने में दो-तीन साल लग जाते हैं। उन तीन सालों का सरचार्ज लिया जाता है। वह आप उचित समझते हैं क्या?

विधि मंत्री (श्री सम्पत राम) : अध्यक्ष महोदय, राजस्व कानून के तहत म्यूटेशन का काम पंचायतों का नहीं है। यदि किन्हीं कारणों से पंचायतें म्यूटेशन के कार्य को पूरा नहीं कर सकीं तो एस.डी.ओ. लेवल पर एप्लीकेशन देकर आफिसियली निपटारा कराया जा सकता है। इसके बावजूद भी कोई बात होगी जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है तो राज्य सरकार उसकी तरफ गौर करेगी और आदेश करेगी कि जल्दी से जल्दी ऐसे केसेज निर्णीत करें।

श्री खेतसिंह : यह रेवेन्यू का पोर्टफोलियो लॉ मिनिस्टर के पास आ गया है क्या?

श्री शंकरलाल : सवाल यह है कि म्यूटेशन होने की अवधि तक का सरचार्ज वसूल करने का है। जिस पीरियड में म्यूटेशन विचाराधीन रहा दो साल, तीन साल, चार साल उस पीरियड का सरचार्ज तो वसूल नहीं किया जाना चाहिये। प्रोसीजर की बात नहीं कह रहा हूं। प्रोसीजर में समय लगे तो काश्तकार का क्या दोष है। मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं कि रेवेन्यू बोर्ड से जिसका फैसला हो गया है पार्टीशन का, उसके बाद रेवेन्यू अधिकारीगण से समय लगा और वसूली आ रही है। इसके बारे में क्या सरकार कुछ नहीं कर सकती?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, म्यूटेशन पंचायत नहीं भरे तो तहसीलदार भर सकता है क्या? तहसील लेवल पर रिकार्ड भरा जाकर म्यूटेशन होना चाहिये।

श्री शंकरलाल : मेरा सवाल, अध्यक्ष महोदय, यह नहीं है। सवाल यह है कि...

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : सवाल का जवाब तो उन्होंने दे दिया। आपस में सवाल जवाब हो गये।

श्री शंकर लाल : म्यूटेशन में जो पीरियड लगता है उसका सरचार्ज काश्तकार से लेना उचित समझते हैं क्या?

एक माननीय सदस्य : कितने म्यूटेशन पेन्डिंग हैं?

श्री आदित्येन्द्र : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है सरचार्ज उस समय तक लिया जाता है जब तक म्यूटेशन की कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती है। लेकिन जो देरी होती है, यह देरी कई कारणों से होती है। पंचायत के लेवल पर देरी हो सकती है, एस.डी.ओ. के बाद तहसीलदार लेवल पर देरी हो सकती है। कठिनाई जो है वह यह है कि जो रजिस्ट्री होती है वह रजिस्ट्री ऐसी चीज नहीं है कि म्यूटेशन हो ही। कभी कभी रजिस्ट्री

(श्री आदित्येन्द्र)
गलत भी होती है इसलिए उनको देखना पड़ता है। इसलिये जब तक म्यूटेशन की कार्यवाही पूरी हो उन्हें सुरजार्ज देना ही चाहिये। हां, जो समय बीतता है वह कम से कम होना चाहिये। ऐसी व्यवस्था करने के लिये हम सोच रहे हैं जिससे कि कम से कम समय लगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सरकार की तरफ से पर्याप्त उत्तर मिल चुका है।

प्रश्न सं. 19। श्री वृद्धिचन्द्र।

श्री शिवचरण सिंह (बयाना): पटवारी सर्किल पर सबसे ज्यादा अगर कोई गड़बड़ी होती है तो वह म्यूटेशन के मामलों में होती है।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट। श्री वृद्धिचन्द्र।

बाड़मेर नगर एवं बादतू ग्राम में चोरियों के मामले।

19. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर नगर एवं बादतू ग्राम में गत तीन सालों में रात में सेंध मारकर किन किन व्यक्तियों का जेवर, सोना, रुपया एवं माल (पचास हजार रुपये से अधिक) चोरी गया है? उनके नाम की सूची मय पते के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) बाड़मेर जिले की पुलिस ने उक्त मामलों को खोलने के लिये क्या क्या प्रयास किये और उसमें किस प्रकार सफलता और असफलता प्राप्त हुई?

(3) क्या गृह विभाग उक्त (बर्गलरीज) चोरियों के खोलने के लिये सक्रिय एवं ठोस कदम उठाने के लिये तैयार है? यदि हां, तो किस प्रकार?

गृह मंत्री (श्री केदारनाथ): (1) गत तीन वर्षों में रात्रि में गृहभेदन कर रुपये 50,000 की कीमत से अधिक का केवल एक मुकदमा सं. 30 दिनांक 8-2-76 धारा 457/380 आई.पी.सी. पुलिस थाना बाड़मेर पर दर्ज हुआ। यह चोरी श्री भूरचन्द शाह पुत्र तखतमल कौम ओसवाल निवासी बायतु के रिहायशी मकान में हुई थी। इस चोरी में सोना, चांदी के जेवरात व अन्य माल चोरी गया था। लिस्ट संलग्न है।

(2) जिला पुलिस बाड़मेर ने उक्त चोरी के सिलसिले में जिले से बाहर नीम का थाना, जयपुर, रामपुरा, सीकर, झुंझुनू, देहली आदि स्थानों पर जाकर तफतीश की लेकिन चोरी का कोई सुराग नहीं मिला। अतः दिनांक 13-12-75 को मुकदमे में एफ. आई. आर. अदम पता माल मुलजिमान दी गई है।

(3) चोरियों को खोलने के लिये पुलिस सदैव प्रयास करती है परन्तु कुछ चोरियों का बावजूद अथक प्रयासों के पता नहीं लगता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन: अध्यक्ष महोदय, बायतू का जो केस है उसमें पुलिस थाने को अपराधियों का पता लग गया है वे नीम के

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

थाने के हैं, पता चल गया है परन्तु पुलिस थाने जाते हैं तो वहां सहयोग नहीं मिलता है। उनका गैंग जयपुर में है, दिल्ली में है और उनको पोलिटिकल प्रोटेक्शन है। उनके लिये जब तक आप पूरी दृष्टि और ताकत नहीं लगायेंगे तब तक यह केस नहीं हो सकता है।

श्री केदार नाथ : किसी चोर को आज पोलिटिकल प्रोटेक्शन नहीं है। पहले की बात अलग है। कुछ क्लयू हैं, कुछ गैंग मिले हैं और क्ल्यू मिलने पर ही ये केसेज पकड़े हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बस काफी हो गया।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : ये जो केसेज खोलने के लिये एफ. आई. आर. दी है वह अब भी...

श्री केदार नाथ : ये केसेज सौंप दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रघुनाथ विश्नोई।

ट्रैक्टर ट्राली पर टैक्स

20. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ट्रैक्टर ट्रोली पर 850) रु. प्रति वर्ष नया टैक्स लगा दिया गया था और बाद में सरकार द्वारा वापस ले लिया गया? यदि हां, तो यह टैक्स कब लगाया गया?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त टैक्स कुछ समय बाद काश्तकारों के भारी विरोध करने पर वापस ले लिया गया? यदि हां, तो टैक्स लगने के कितने समय बाद वापस ले लिया गया?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार ने उक्त टैक्स जिस दिन से लगाया था, उसी दिन से समाप्त करने की घोषणा निकाली थी? यदि हां, तो उसके अनुसार टैक्स वसूली न करने के आदेश टैक्सेशन वसूल करने वाले विभागों को अब तक क्यों नहीं भेजे गये हैं? क्या सरकार अब ऐसे आदेश शीघ्र भेजना चाहेगी जिससे ट्रोली का लाइसेन्स का नवीनीकरण पुरानी दर से किया जा सके?

(4) वित्त विभाग ने टैक्स किस दिन से माफ किया है लगने के दिन से या विज्ञप्ति निकलने के दिन से? उसका पूर्ण खुलासा नहीं होने से ट्रोली के लाइसेंस नवीनीकरण रुके हुये हैं? यदि हां, तो इसकी स्पष्ट आज्ञा सरकार द्वारा कब तक निकाल दी जावेगी? अगर नहीं, तो ट्रोलियों के लाइसेन्स नवीनीकरण क्यों रुके हुये हैं?

गृह मंत्री (श्री केदारनाथ): (1) ट्रैक्टर ट्रोली पर माल कर दिनांक 1–9–76 से लगाया गया था।

(2) जी हां। यह कर दिनांक 8–2–77 से कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाली ट्रैक्टर ट्रोली पर माफ कर दिया गया।

(3) जी नहीं।

(4) यह कर विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक 8–2–77 से कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले ट्रैक्टर ट्रोली पर से माफ किया गया है। कृषि कार्यों के अलावा अन्य धन्धों में प्रयुक्त ट्रैक्टर ट्रोली पर से ही माल कर

(श्री केदारनाथ)
दिनांक 23–4–77 से माफ कर दिया गया है। अतः स्पष्ट है। अन्य स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह माफ तो कर दिया गया परन्तु चार महीने से ट्रैक्टर का टोकन वगैरह प्राप्त नहीं हो रहा है।

श्री केदारनाथ : टोकन के लिए आज ही एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर्स जारी कर दिये गये हैं।

श्री श्योपत सिंह : जो ट्रैक्टर घरेलू काम में लेते हैं उनको पुलिस विभाग परेशान करता है अतः इसके लिये भी उचित कदम उठायेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो चार महीने का टैक्स है उसको गवर्नमेंट माफ करेगी ?

श्री केदारनाथ : यह पैसेन्जर एण्ड गुड्स टैक्स एक्ट के अन्तर्गत अण्डर प्रोसेस है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री खेतसिंह।

भ्रष्टाचार को खत्म करने की योजना

21. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान से भ्रष्टाचार को सदैव के लिये रुखसत देने के लिये राज्य सरकार ने क्या नई तजवीज बनाई है ?

(2) क्या पटवारी को दस्तूरी, चपरासी को बख्शीश, इंजीनियर को पर्सेन्टेज, बड़े अधिकारियों को प्रजेन्ट्स देना तथा मंत्रियों को रुपयों की माला पहिनाना भ्रष्टाचार नहीं है ? यदि है, तो इसे कैसे बन्द किया जायेगा ?

भ्रष्टाचार उन्मूलन विभाग को और सजग तथा सक्रिय बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री केदारनाथ) : (1) भ्रष्टाचार को सदैव के लिए समाप्त करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। वैसे वर्तमान में भी भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने के लिए यथेष्ट प्रावधान किया हुआ है। इस समय स्वतंत्र भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अलावा राज्य सरकार ने सन् 1973 से राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम बनाये और इसके अन्तर्गत लोकायुक्त की नियुक्ति की है। इसके अतिरिक्त आयुक्त के स्तर के एक अधिकारी के अधीन जन अभियोग निराकरण विभाग का भी गठन किया हुआ है। मुख्य मंत्री, सचिवालय में भी अभाव अभियोग के निवारण (निस्तारण) हेतु एक विशिष्ट कक्ष की स्थापना की हुई है।

(2) पटवारी को दस्तूरी, चपरासी को बख्शीस और अभियन्ता को पर्सेन्टेज देना नियमानुकूल नहीं है और ये भ्रष्टाचार की संज्ञा में ही आते हैं। ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर जांच की जाती है और शिकायत सही पाने पर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अदालती अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही, जैसी भी स्थिति हो, की जाती है। मंत्रियों को नोटों की माला उनके जन प्रतिनिधि होने के कारण पहिनाई जाती है जो पार्टी

(श्री केदारनाथ)

फण्ड में शामिल होती है, अतः यह भ्रष्टाचार की तारीफ में नहीं आता है।

(3) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को और सजग और सक्रिय बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जिलों से इस विभाग की चौकियां स्थापित की गई हैं और हाल ही में नागौर में एक चौकी की और स्थापना की गई है। चौकी के प्रभारी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि ये भ्रष्टाचार से सम्बन्धित रिपोर्ट प्राप्त होने पर तुरन्त कार्यवाही करें जिससे भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारियों, अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो सके। बकाया जांच के मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए टाइम बाउण्ड प्रोग्राम बनाया गया है और आशा है कि इस साल के अन्त तक लगभग सभी पुरानी जांचों का निपटारा हो जावेगा।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, मैंने कल तीन भ्रष्टाचार के यहां पर आरोप लगाए थे उनमें से एक के बारे में तो यह कहा गया, इसमें मेरी भी गलती हो गई, वह उनके पति नहीं पति के भाई थे। दूसरे केसेज के अन्दर जो मैंने चार्ज लगाये थे क्या उनके बारे में आप जांच करायेंगे ?

(व्यवधान)

श्री सम्पतराम : On a point of order, Sir. It is quite irrelevant to the original question.

श्री खेतसिंह : जो प्रश्न पूछा गया है···

श्री मूलचन्द डागा : पोइन्ट आफ आर्डर क्वेश्चन आवर में नहीं होता है, मंत्री महोदय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ने भाग (3) में बता दिया है उसके बाद क्या बाकी रह जाता है।

नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक और सप्लीमेंट्री पूछना है।

आपने स्वयं ने यहां विधान सभा में भाषण देते हुए कई बार कहा था उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण पेश करना चाहता हूं। ' सब जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हमारे राज्य में गंगानगर जिला ऐसा है जहां कि डिस्ट्रिक्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस और उसके मातहतों की माहवारी आमदनी दस हजार रुपये माहवार होती है।'' यह बात आपने स्वयं ने अपने भाषण में कही थी। मैं माननीय गृह मंत्री से जानकारी चाहूंगा कि क्या आप इस आमदनी को कुछ कम कराने का प्रयास कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में आपने संकेत कर दिया है। पर्याप्त है, माननीय सदस्य।

नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री निर्मलकुमार (झालरापाटन) : पहले वह आमदनी मंत्रियों तक पहुंचती थी, अब नहीं पहुंचेगी।

श्री नारायणसिंह (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं···

Page No 9

(9)

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल में काफी समय है · · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक एक करके बोलें तो ठीक होगा अन्यथा व्यवधान होता है, कुछ सुनाई नहीं देता।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ तीन चार क्वेश्चन ही बाकी बचे हैं और अभी काफी समय प्रश्न काल का है। अगर आप दो चार सप्लीमेंट्री पूछने की इजाजत दे दें तो आपकी बड़ी अनुकम्पा होगी, बड़ा रहमो करम होगा। आपकी आज्ञा से कुछ प्रश्न यहां पर पूछ सकते हैं।

श्री नारायण सिंह : अब तो जरा तशरीफ रखिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री पूछने के लिए समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न के सम्बन्ध में, माननीय सदस्य, काफी चर्चा हो चुकी है।

नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री भंवरलाल शर्मा।

राज्य में नसबन्दी पर व्यय की गई राशि

22. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल जयपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राजस्थान में आज तक नसबन्दी आपरेशनों पर कितना व्यय किया गया है ?

(2) कितने व्यक्तियों को 500 रुपये से अधिक रकम मोटिवेशन फीस के रूप में दी गई ? इसका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) राजस्थान में नसबन्दी आपरेशन पर वर्ष 1967-68 से 1976-77 तक 5, 41,92, 163) रुपया व्यय हुआ।

(2) गत दो वर्षों में 1975-76, 1976-77 तथा चालू वित्तीय वर्ष 1977-78 में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कम्पेन्सेशन में प्रेरक राशि देने का प्रावधान नहीं है। इसलिए किसी को राज्य कोष से प्रेरक राशि देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री हरिशकुमार शर्मा : माननीय मंत्री महोदय यह बतायें कि जो नसबन्दियां की गई उनमें पहले के जो मंत्री थे उनकी भी नसबन्दी हुई है क्या ?

श्री खेतसिंह : मेरी नसबन्दी हुई है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्य महोदय, इसकी जानकारी करके सदन के पटल पर बाद में रख दी जावेगी।

श्री मूलचन्द डागा : इस वर्ष नसबन्दी के लिए क्या टार्गेट फिक्स किए हैं ?

(व्यवधान)

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : यह मोटिवेशन की जो धनराशि दी गई है · · ·

(व्यवधान)

Page No 10

(10)

श्री अध्यक्ष : एक एक माननीय सदस्य बोलें। सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री मूलचन्द डागा : क्या सरकार यह बतायेगी कि इस वर्ष आपने नसबन्दी के लिए कितना टार्गेट फिक्स किया है और कितनी धनराशि खर्च करेंगे?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत): यह अलग से प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री श्रवणलाल : माननीय अध्यक्ष····

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह अलग से प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं, सारे अखबारों में घोषणा हुई है कि नसबन्दी की संख्या में आपने वृद्धि की है इसके लिए आपको मुबारकबाद, धन्यवाद। हमें यह मालूम हो जाय कि आपके टार्गेट क्या है? इसको बतलाने में क्या ऐतराज है?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं, जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा है और मुझे भी लगता है कि यह सप्लीमेंट्री इस प्रश्न से इर्रेलवेंट है, किन्तु अगर माननीय सदस्य की बहुत ही इच्छा है जानकारी करने की तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर विचार करना बाकी है। विचार किया जाएगा और फिर जब निर्णय हो जायेगा तो आपको बता दिया जावेगा।

श्री शिवचरण सिंह : स्टेटवाइज कोटा फिक्स है, आप क्या विचार करेंगे?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, आप इस प्रश्न को देखिए, इसमें क्या मुद्दे उठाये गये हैं। इसका फ्रेम और स्कोप देखिए और उसके अन्दर प्रश्न पूछिए। इसमें सरकार के द्वारा कोई जानकारी देने के लिए व्यवस्था नहीं हो सकती है। आप अलग से पूछिए प्रश्न, आपका अधिकार है।

श्री मूलचन्द डागा : आपकी जो आज्ञा है उसको मैं मानता हूं····

(व्यवधान)

श्री राजनारायणजी ने एलान किया था कि राजस्थान····

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : राजस्थान के लिए क्या टार्गेट फिक्स किया है यह बतावें?

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : केन्द्रीय सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने राजस्थान के लिए दो लाख का टार्गेट फिक्स किया था····

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है केन्द्रीय सरकार ने···

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में अब अधिक चर्चा नहीं होगी।

Page No 11

(11)

(श्री अध्यक्ष)

नेक्स्ट क्वेश्चन · · ·

(व्यवधान)

मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन कह दिया है। अब इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री शिवचरण सिंह : क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताएंगे कि नसबन्दी कराएंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कईयों की राजनैतिक नसबन्दी हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न सख्या 23।

श्री भवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने यह सख्या नहीं बतायी कि कितने लोगों की नसबन्दी की गई और जबरन कितनी की गई ? यह सख्या नहीं बतायी है।

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धि चन्द्र जैन।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इस प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं पूछा गया है। एक सवाल का उत्तर देने को, अध्यक्ष महोदय, आप मुझे इजाजत देंगे। केन्द्रीय सरकार ने कुछ आंकड़े हम को दिये हैं परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा यह इरादा है।

श्री मूलचन्द डागा : कृपा करके यह बता दीजिये कि कितने आंकड़े दिये हैं ? आप बड़े सज्जन हैं, यह बता दीजिये कि कितने आंकड़े केन्द्रीय सरकार ने आपको दिये हैं ? वहां भी जनता सरकार है और आप भी जनता पार्टी के हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, आपको उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मंत्री महोदय तो अपने आप फंस गये हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मंत्री महोदय तो स्वयं ही यह बताना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें। मंत्री महोदय का उत्तर देना इर्रेलेवेन्ट है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आप कहां तक बचाएंगे ?

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। I shall not allow it.

प्रश्न सख्या 23

नियंत्रित दर की शक्कर पर कमीशन की दर

23. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या नागरिक रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान प्रांत में रसद विभाग द्वारा वितरण की जाने वाली नियंत्रित दर की शक्कर पर खुदरा व्यापारियों, ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं उपभोक्ता सहकारी समितियों को दी जाने वाली निर्धारित परिवहन व कमीशन की दरें क्या हैं और वे दरें कब से निर्धारित की हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त परिवहन दर निर्धारित करने के बाद पेट्रोल डीजल आदि के भाव चार गुना बढ़ गये हैं

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
और ट्रकों के मालिकों द्वारा किराया भी दिया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि रेगिस्तानी क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर आदि जिलों में आबादी कम होने से खुदरा व्यापारियों और सहकारी समितियों को प्रति माह चार और पांच शक्कर की बोरी से अधिक नहीं मिलतीं ?

(4) क्या यह भी सही है कि खाली बोरी की कीमत कमीशन सहित करीब 6 रु. प्रति बोरी उन्हें मिलती है जो अपर्याप्त है जिसके कारण कोई भी सहकारी समिति और व्यापारी ईमानदारी से व्यापार नहीं चला सकते ?

(5) क्या रसद विभाग परिवहन एव कमीशन की दर उपरोक्त परिस्थितियों को मद्दे नजर रखते हुए बढाना आवश्यक समझता है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में रसद विभाग ने क्या कदम उठाये हैं उनकी जानकारी देने की कृपा करें ।

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री आदित्येन्द्र): (1) नियंत्रित दर की चीनी पर खुदरा व्यापारियों, ग्राम सेवा सहकारी समितियों एव उपभोक्ता सहकारी समितियों, जो कि सभी खुदरा विक्रेता की संज्ञा में आते हैं, को 1.40 रु. प्रति क्विन्टल की दर से कमीशन दिया जाता है । परिवहन खर्चा निम्न प्रकार से दिया जाता है:—

10 किलोमीटर तक 60 पैसा प्रति क्वि.

20 किलोमीटर तक 1/- रुपया प्रति क्वि.

20 किलोमीटर से अधिक पर परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित परिवहन व्यय की दरों की सीमा तक प्रचलित बाजार दर से दी जाती है । परिवहन विभाग की दरें निम्न प्रकार हैं:—

'अ' श्रेणी मार्ग 2.7 पैसा प्रति क्वि. प्रति किलोमीटर

'ब' श्रेणी मार्ग 3.2 पैसा प्रति क्वि. प्रति किलोमीटर

'स' श्रेणी मार्ग 4.5 पैसा प्रति क्वि. प्रति किलोमीटर

उपरोक्त दरें दिनांक 1-1-73 से लागू हैं ।

(2) उक्त अवधि के बाद पैट्रोल, डीजल आदि के भाव में बढ़ोतरी हुई है परन्तु चौगुने भाव नहीं बढ़े है तथा यह भी संभव है कि ट्रक मालिकों द्वारा भी किराया बढ़ाया गया है ।

(3) प्रत्येक जिले को जनसंख्या के आधार पर चीनी आवंटित की जाती है । कम आबादी होने से डीलर को शक्कर की कम बोरी मिलना स्वाभाविक है ।

(4) चीनी की खाली बोरी की कीमत 5 रुपये निर्धारित है तथा कमीशन 1.40 रुपया प्रति क्विन्टल है । इस तरह खुदरा विक्रेताओं को 6.40 रुपया तथा परिवहन व्यय अलग से दिया जाता है ।

(5) दरें भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं । जिनमें समस्त खर्चों को सम्मि-

(श्री आदित्येन्द्र)
लित किया गया है अतः राज्य सरकार के स्तर पर दरें बढ़ाया जाना संभव नहीं है, फिर भी भारत सरकार को लिखा गया, परन्तु भारत सरकार का कहना है कि चीनी वितरण में राज्य कर एवं स्थानीय करों के कम करने पर परिवहन व्यय की दरों में वृद्धि का विचार किया जा सकता है। लेवी चीनी पर कोई राज्य कर नहीं है, केवल स्थानीय चुंगी कर है, जिसको हटाया जाना संभव नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय भी यह स्वीकार करते हैं कि डीजल के भाव बढ़ गये हैं और परिवहन की दरें नहीं बढ़ाई गई हैं। इसलिए परिवहन की दरें बढ़ाने के लिये राज्य सरकार क्या सोच रही है ?

श्री आदित्येन्द्र : इस सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना है कि सितम्बर, 75 में सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की ओर से एक टीम आई थी, उसके सामने राजस्थान सरकार ने कहा था दरों को बढ़ाने के लिए। बाद में सन् 76 में भी इस सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी की गई लेकिन उसके बाद जो उत्तर आया केन्द्रीय सरकार का, वह ना में ही आया। अभी 12-7-77 को हमारी ओर से भारत सरकार को फिर लिखा गया है। उनका बार बार यह कहना है कि आप अपने करों को हटाइये तभी हम कर सकते हैं। यहां पर जो लेवी की चीनी है उस पर सेल्स टैक्स नहीं है। जो टैक्स है इस पर, वह चुंगी टैक्स है और वह नगरपालिकाएं लगाती हैं। नगरपालिकाएं स्वतन्त्र होती हैं इसलिए सरकार उनको आज्ञा नहीं दे सकती है। यह एक समस्या है। हम भी यह जरूर चाहते हैं। इस सम्बन्ध में लिखा पढ़ी से अगर कोई असर नहीं होता है तो मिल करके इस मामले को हल किया जायगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मैं पहले भी करता आया हूं। मेरा अनुभव बाड़मेर जिले का है और वहां पर कोआपरेटिव सोसाइटी, व्यापारी जो भी यह धंधा करते हैं, अगर वे इस धंधे को ईमानदारी से करना चाहते हैं तो वे इसको ईमानदारी से नहीं कर सकते और यही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। इसलिये अगर भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो यह अच्छा कदम है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या ठोस कदम उठायेगी ?

श्री आदित्येन्द्र : मैंने अभी निवेदन किया है कि 12 तारीख को, अभी 8 रोज पहले ही, केन्द्रीय सरकार को पत्र लिखा है। उनके उत्तर की प्रतीक्षा है। अगर उसके बाद इस सम्बन्ध में कुछ नहीं होता है तो दुबारा पत्र लिख कर या मिल कर के इस मामले को हल किया जायेगा।

श्री मूलचन्द डागा : क्या सुझाव आपने केन्द्रीय सरकार को दिया ?

श्री आदित्येन्द्र : सदस्यों के जो विचार हैं उससे मैं भी सहमत हूं कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। सरकार भी यह मानती है, कम मार्जिन दिया जाएगा तो व्यापारी या जो भी और कोई सहकारी समितियां हैं, वे कुछ न कुछ किसी प्रकार की गडबड़ी अवश्य करेंगी।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह जो पत्र व्यवहार हो रहा है, लगातार हो रहा है। वास्तव में आप करना चाहते हैं तो जल्दी कीजिये

Page No 14

(14)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
क्योंकि वहां के 2/3 व्यापारी, कोआपरेटिव सोसायटीज ने धंधा बंद कर दिया है। आज यह स्थिति हो गई है कि गांवों के लोगों को चीनी नहीं मिल रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को गंभीरता से लिया जाये।

श्री मूलचन्द डागा : सरकार ने 12-7-77 के पत्र के जरिए क्या ठोस सुझाव दिए हैं, वे तो बता दीजिये। वहां पर लोगों को चीनी नहीं मिल रही है। व्यापारी या सोसायटी को महीने में कुल कितना रुपया मिल जायेगा, यह कृपा करके बता दीजिये ? कोई भी आदमी, शक्कर बेचने वाला घाटा खाकर शक्कर का वितरण नहीं करेगा। आप तो भ्रष्टाचार को हटाना चाहते हैं और यह भ्रष्टाचार को जन्म देता है। इसलिए 21-7-77 के पत्र को बता दीजिये क्या सुझाव दिये हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : इस भ्रष्टाचार का जन्म तो पिछली सरकार ने दिया था.......

श्री मूलचन्द डागा : परन्तु वह तो आपके शपथ लेते ही खत्म हो गया ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य, आप तसल्ली कीजिये। क्वेश्चन का उत्तर भी सुनने के लिए तैयार रहें। आपने लोकसभा में ट्रेनिंग ली है। मुझे खेद है।

मैं इतना निवेदन करूंगा.....

श्री मूलचन्द डागा : मुझे यही पूछना है कि....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही कहूंगा कि समस्या पर नये सिरे से विचार किया जा रहा है। जितना समाधान दे सकते हैं वह दिया जाएगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार बार बार मुख्य मंत्री महोदय कहते हैं। हमने भ्रष्टाचार किया, अनाचार किया, जो कुछ भी किया है, वह किया है इसके लिए तो आपने आयोग बिठा दिया है। आप उस आयोग से जांच करवा रहे हैं। उसमें जांच होने पर अगर साबित होगा तो आप हमको बख्शने वाले नहीं हैं। आप भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, बार बार कह कर अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। समस्या का समाधान करने की सोचेंगे तभी समस्या हल होगी। कीचड़ उछालने से हल नहीं होगी।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह सवाल किया था कि आपने क्या सुझाव दिये हैं ? मुख्य मंत्री महोदय हर सवाल का उत्तर देने के लिए सतर्क रहते हैं। प्रश्न का उत्तर नहीं आने से मैं बोलने लगा। मेहरबानी करके यह बता दीजिए, आपने जो 12-7 को जो पत्र लिखा है, वह या तो आप पढ़ कर सुना दीजिए या सदन की मेज पर रख दीजिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इस चीज को खत्म करने के लिए आपने क्या सुझाव भारत सरकार को दिये हैं। वह आप पढ़ कर सुना दें या सदन की मेज पर रख दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने आश्वासन दे दिया है। आप बैठकर बातचीत कर लें।

नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री खेतसिंह राठौड़।

सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा

24. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार ने सिर पर मैला ढोने की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए क्या कारगर कदम उठाये हैं ?

(2) क्या जनता पार्टी के राज्य में भी यह कुप्रथा बन्द नहीं की जा सकेगी ?

(3) यदि इसी वर्ष इस प्रथा को समाप्त करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया हो तो कुल कितनी धनराशि राज्य सरकार को खर्च करनी होगी ? यदि नहीं, तो कब तक इस कुप्रथा को समाप्त कर दिया जाएगा ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी) : (1) राज्य सरकार ने सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए भंगी कष्ट मुक्ति योजना के तहत राज्य में विभिन्न नगरपालिकाओं को 76,94, 750/—रुपये की राशि वर्ष 1969—70, 71—72 व 72—73 में आवंटित की। यह राशि मुख्यतया यान्त्रिक उपकरण क्रय करने तथा निजी अथवा सार्वजनिक शौचालयों को फ्लश में बदलने के लिए दी गई। इसके अलावा नगरपालिकाओं को यह भी हिदायत दी गई कि अधिक से अधिक फ्लश लेट्रीन बनें तथा पुरानी टट्टियां समाप्त हों।

(2) इस सरकार का भरसक यह प्रयास होगा कि यह कुप्रथा शीघ्रातिशीघ्र समाप्त की जाये।

(3) सिद्धांततया इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार को भरसक प्रयास करने होंगे। चूंकि यह एक सामाजिक मामला है, अतः सरकार के प्रयासों के साथ-साथ ही जनसहयोग की भी आवश्यकता होगी। साथ ही में वित्तीय साधनों की उपलब्धि के अनुसार यह प्रयत्न किया जावेगा कि यह कुप्रथा शीघ्रातिशीघ्र समाप्त की जाय।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने उपदेश ही उपदेश दिया है। इस प्रथा को वास्तव में समाप्त करने के लिए इस वर्ष में सरकार कितना पैसा खर्च करने जा रही है ? यह तो आपने पहले का कहा है। आप तो यह बताइये कि इस साल में कितना पैसा खर्च करेंगे और कहां कहां करेंगे ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इसके बारे में विचार किया जायगा।

श्री मूलचन्द डागा : सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा समाप्त हो, इसके लिए कानून लाया जायगा ताकि यह भ्रष्ट प्रथा समाप्त हो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैंने ऐसा कहा है कि मामला एक तरफा नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम तो आपको सहयोग देने को तैयार हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसके लिए तो बहुत बड़ा सहयोग चाहिए। आपको मालूम होगा कि घरों में मेहतर महिलाएं काम करती हैं। उनके भी अधिकार हैं। इस दृष्टि से इस पर विचार किया गया है। क्या कानून लाने से उनके अधिकारों पर कुठाराघात नहीं होगा ? मैं समझता हूं कि 30 वर्ष से आप इसे समाप्त नहीं कर

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
पाये हैं तो अब दो महीने में आप क्या उम्मीद करते हैं। अभी बजट प्रस्तुत होगा उसमें इस कुप्रथा को समाप्त करने के बारे में विचार किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैनी-फेस्टो में साफ कहा है।....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य ! कृपया शान्त रहें।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने यह स्पष्ट उत्तर दिया है कि यह कुप्रथा है। यह शनैः शनैः दूर हो सकती है। आप इतने उद्विग्न क्यों होते हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : उद्विग्न इसलिए होते हैं कि यह कुप्रथा है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप कृपया शान्त रहें। अब बहुत हो गया है।

एक माननीय सदस्य : आज राजस्थान में यह प्रथा है। जब कांग्रेस सरकार थी उस समय इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिये क्या किया गया ? आप बार-बार बोल रहे हैं।...

(व्यवधान)

खेतसिंहजी इस प्रकार सदन में भाषण दे रहे हैं।

(व्यवधान)

आज वह इस प्रथा पर प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : यह एक हरिजन सदस्य बोल रहा है। यह आपको सही जानकारी दे रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शान्त रहें।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्नकाल में भाषण कैसे हो रहा है ? इसको आपने रोका नहीं ? इसको एक्सपंज किया जाये।

एक माननीय सदस्य : यह तो हरिजन सदस्य बोल रहा है।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोडा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी..

(व्यवधान)

उस समय इसके लिए घोषणा की गई थी लेकिन हम सब लोगों को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद उन्होंने उसी प्रथा को आरम्भ रखा। जो मेहतर कालोनी है, उसके सुधार के लिए जो राशि

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
दी गई थी, उसको दूसरों को दे दिया गया ।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न-काल में सूचना मांगी है। ट्रेजरी बैंचेज पर सक्षम मन्त्री बैठे हैं। यह एक गलत परिपाटी है। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय गलत परिपाटी डालने के पक्ष में नहीं हैं। अब मैं माननीय प्रभारी मन्त्री महोदय से यह स्पष्टीकरण लेना चाहता हूं कि आपने मौलिक अधिकारों की बात कही है तो क्या आप सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा को भी मौलिक अधिकार मानते हैं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जी नहीं। मैंने यह बात नहीं कही है।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : आपने 28 पर्सेन्ट···

(व्यवधान)

कास्ट्स और ट्राइब्स के लिये रिजर्वेशन कर रखा है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि···

(व्यवधान)

आप सुनिये तो सही···

(व्यवधान)

आप कौन होते हैं कहने वाले। आप अपने आपको अब भी मन्त्री समझ रहे हैं। थोड़ा आप सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी तक आप भूले नहीं हैं मन्त्रीपने को।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मूलचन्द सामरिया : आप अन्दाज लगा सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण कार्य है। आप इसको तीस वर्षों में भी नहीं कर पाये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री शंकरलाल (जैतारण)।

पाली से जोधपुर-अजमेर तथा सुमेरपुर जाने वाली सड़कों पर पुलियाओं का निर्माण कार्य

25. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पाली से जोधपुर, पाली से अजमेर और पाली से सुमेरपुर जाने वाली ग्राम सड़कों पर क्रमश: रेडिया नदी, लूनी नदी और बांडी नदी पर पुलिया नहीं होने से वर्षा ऋतु में ग्राम आवागमन अवरुद्ध हो जाता है और आम जनता को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है ?

(2) क्या यह सही है कि इन पुलियाओं के निर्माण हेतु विभाग द्वारा कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की जा चुकी है और क्या कार्यवाही किया जाना शेष है ?

(3) इन पुलियाओं के निर्माण हेतु कितनी धन राशि आवश्यक है और इन पुलियाओं का निर्माण कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

Page No 18

(18)

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) जी हां

(2) धनाभाव के कारण कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो सका।

(3) इन पुलियाओं के निर्माण हेतु 50 लाख रुपयों की आवश्यकता होगी। धनाभाव के कारण पुलियाओं का निर्माण करवाना सम्भव नहीं है।

श्री शंकरलाल : आपने धनाभाव की बात तो कही, लेकिन आपको पता है कि जयपुर से अहमदाबाद, जयपुर से जोधपुर वाया पाली और जयपुर से सुमेरपुर, पाली से अजमेर और पाली से सुमेरपुर—यह सभी रास्ते वर्षा ऋतु में रुक जाते हैं। क्या सरकार इस को प्राथमिकता देने पर विचार करेगी ? इन रास्तों से होकर दूसरी स्टेट में भी जाना पड़ता है, इसलिए सरकार इस सम्बन्ध में प्राथमिकता के आधार पर क्या करना चाहती है, जिससे कि सुविधा हो सके और आवागमन में कोई असुविधा नहीं हो ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि यह सड़कें बहुत ही आवश्यक हैं...

श्री शंकरलाल : मैं सड़कों की नहीं, पुलियाओं की बात कर रहा हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। इसी दृष्टि से इन पुलियाओं का निर्माण होना अत्यन्त ही आवश्यक है लेकिन कठिनाई यह उपस्थित हो गई है कि जो प्लान बनाया गया था, उस प्लान में पैसे का प्रावधान किया गया था, उसमें यह विचार था कि सारा पैसा जिन सड़कों और पुलियाओं पर लगाया जाना है लेकिन वह मनमाने तरीके से इन्वेस्ट कर दिया गया। एक दूसरी बात यह है कि दो दो बार फेमिन पड़ा उसमें भी पिछली सरकार ने पैसा लगा दिया। इस स्थिति में यह निर्माण कब तक हो सकेगा, यह निश्चित नहीं कहा जा सकता।

श्री शंकरलाल : यह तो आपने पहले ही धनाभाव की बात फर्मा दी है। रेडिया नदी का पुल बनाना बहुत ही आवश्यक है, वह अधूरा पड़ा है। पहले आपको अधूरे कार्यों को पूरा करने के काम को हाथ में लेना चाहिए। इस प्रकार का आश्वासन आप दे सकते हैं कि जब भी धन मिलेगा तो इस कार्य को आप प्राथमिकता के आधार पर पूरा करायेंगे ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : धनाभाव दूर होने पर इसके लिए विचार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

जोधपुर-बाड़मेर सड़क पर पुलों का निर्माण कार्य

26. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार जोधपुर से बाड़मेर सड़क पर बालोतरा नगर एवं सिणधरी ग्राम में पुल बनाना आवश्यक सम-

Page No 19

(19)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

भती है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने अब तक इसके निर्माण में क्या क्या प्रावधान रखे और क्या क्या व्यय किया ? सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) राज्य सरकार ने इस वर्ष उक्त पुलों के निर्माण के लिए क्या प्रावधान किया है ?

(3) राज्य सरकार कब तक उक्त पुलों के निर्माण की स्वीकृति देकर कार्य शुरू कर देगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) जी हां ।

धनाभाव के कारण इसे योजना में सम्मिलित करना संभव नहीं हो सका है ।

(2) यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है अतः प्रावधान रखने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) धनाभाव के कारण निर्माण की स्वीकृति अभी संभव नहीं हो सकेगी ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, अब तक धनाभाव का प्रश्न है लेकिन यह रोड इम्पार्टेन्ट हैं और डिफेन्स पाइन्ट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पार्टेन्ट है । जब लूनी नदी में बाढ़ आती है तो बालोतरा और बाड़मेर का सम्बन्ध नहीं रहता है । अगर युद्ध हो जाय तो स्थिति और भी विकट हो जाती है । गुजरात से भी इसका सम्बन्ध है इसलिए आप इसको प्राथमिकता देंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन । श्री रघुनाथ विश्नोई ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कह दिया है कि धनाभाव के कारण नहीं हो सका ।

नेक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अभी प्रायोरिटी के हिसाब से राजस्थान में कई काम करने हैं, धन उपलब्ध होने पर विचार किया जा सकेगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई !

जालौर जिले में खोले गये पुलिस के थाने

27. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि जिला जालोर में नया पुलिस थाना ग्राम चीतलवाना में खोला गया है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पुलिस थाने का भवन अभी तक नहीं बनवाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) अब उक्त थाने का भवन कब तक सरकार द्वारा बनवा दिया जायेगा ?

(4) क्या यह भी सही है कि जिला जालोर में ग्राम बागरान एवं ग्राम आहोर में भी नये पुलिस थाने खोले गये हैं ? यदि हां,

Page No 20

(१८)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
तो उक्त थानों के भवनों का निर्माण कब तक करवा दिया जायेगा ?

(5) क्या यह सही है कि ग्राम भाब जिला जालौर में पुलिस चौकी स्थापित करने की ग्राम की जनता की मांग है ? यदि हां, तो उक्त गांव में पुलिस चौकी कब तक स्थापित की जावेगी ?

गृह मंत्री (श्री केदार नाथ) : (1) जी हां, जुलाई, 1976 में पुलिस चौकी चितलवाना को अप-ग्रेड कर थाने में परिवर्तित किया गया है।

(2) जी हां, पुलिस चौकी के लिए जो भवन उपलब्ध था उसी में यह थाना कार्य कर रहा है। बजट में धनराशि का प्रावधान होने पर थाने के भवन निर्माण हेतु कार्यवाही की जाना सम्भव होगा।

(3) बजट में धनराशि का प्रावधान होते ही भवन बनाया जाना सम्भव हो सकेगा।

(4) जी हां। ग्राम बागराना एवं आहौर में भी पुलिस चौकियों को ही अपग्रेड कर थानों में तब्दील किया गया है। बजट में आवश्यक धनराशि का प्रावधान होने पर ही इन थानों के लिए भवनों का निर्माण कराया जाना सम्भव होगा।

(5) जी हां। वर्तमान में इस स्थान पर अपराधों की संख्या को देखते हुए पुलिस चौकी स्थापित किया जाना उपयुक्त नहीं समझा गया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, वहां पर झोंपड़े से बने हुए हैं, वहां से कैदी वगैरह के भाग जाने का डर है ऐसी स्थिति को देखते कुछ प्रायोरिटी बेसिस पर काम होना चाहिए।

श्री केदारनाथ : पांच साल में केवल पांच अपराध रजिस्टर हुए हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अब आप कब तक करवा दोगे ? नहीं तो चन्दा करना शुरू कर दें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ! श्री शंकरलाल (जैतारण)।

राज्य परिवहन निगम में ए. डी. एम. एवं ए. टी. आई. के पदों पर नियुक्ति

28. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान परिवहन निगम द्वारा ए. डी. एम. और ए.टी. आई. के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये गये थे ? यदि हां, तो कब और आवेदन-पत्र पेश करने वालों के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई थीं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि इन पदों के लिए आवेदन-पत्र देने वालों को अभी तक साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया है और न कोई नियुक्तियां हुई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि आवेदकों को इस सम्बन्ध में कोई सूचना अभी तक नहीं भेजी गई है ?

(श्री शंकरलाल)

(4) इन पदों पर नियुक्तियां कब तक कर दी जायगी और कितने लोगों को रोजगार मिल सकेगा ?

गृह मन्त्री (श्री केदारनाथ) : (1) जी हां, 10–3–77 को विज्ञापन जारी कर आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये गये थे। विज्ञापन की प्रति जिसमें निर्धारित शर्तों का उल्लेख है, सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां, इन पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन निगम की भावी आवश्यकता को ध्यान में रखकर निकाले गये थे। किन्तु इसके उपरान्त मार्गों का आगे राष्ट्रीयकरण एक वर्ष तक स्थगित किया गया और केन्डीडेट्स का चयन नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त निगम के बुकिंग क्लर्क्स द्वारा इन पदों पर पदोन्नति की मांग व निगम के विभिन्न पदों पर निगम के कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति का प्रश्न निगम व कर्मचारी यूनियन के मध्य विचाराधीन होने के कारण अभी निगम में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती स्थगित कर दी गई है।

(3) जी हां।

(4) इसका उत्तर प्रश्न (2) के उत्तर में दे दिया गया है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री शंकरलाल : आपने कहा है कि सूचना नहीं भेजी है। जैसी स्थिति अभी है उसको देखते हुये आपको आवेदकों को सूचना भेजनी चाहिए कि आपका प्रार्थना-पत्र आ गया है लेकिन आपको नहीं लिया जायगा जिससे वह कोई आशा न करें।

दूसरा आपने फर्माया है कि एक वर्ष तक राष्ट्रीयकरण स्थगित कर दिया गया है, यह क्यों ?

तीसरी बात 15 स्थान सहायक आगार प्रबन्धक के और 40 स्थान सहायक यातायात निरीक्षक के रिक्त हैं। उनके लिए आवेदन-पत्र मांग लिए तो उनको नहीं बुलाने का क्या कारण है ?

श्री केदारनाथ : पिछली सरकार ने एक साल के लिए स्थगित कर दिया था। नम्बर दो, उनको सूचना अवश्य दी जायगी। नम्बर तीन, डाइरेक्ट भर्ती और पदोन्नति के बारे में जब तय हो जायेगा, यूनियन से बात चल रही है, इसके बाद इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायगी।

श्री शंकरलाल : यह कब तक हो जायगा ?

श्री केदारनाथ : एक अक्टूबर तक।

श्री शंकरलाल : अब आपकी राष्ट्रीकरण के बारे में क्या नीति है ?

श्री केदारनाथ : इसका पूरा विस्तार होगा। हमारा राष्ट्रीयकरण में पूरा विश्वास है। इसका विस्तार होगा।

श्री मूलचंद सामरिया : जहां तक मुझे पता है, कुछ मार्गों का राष्ट्रीयकरण होने से इसलिए बच गया था कि जब श्री संजय यहां पधारे थे तो जिन्होंने बसें दी थीं उन को आश्वासन दिया था कि आपके मार्गों का एक साल तक राष्ट्रीयकरण नहीं होगा। अगर आप सरकार का साथ निभाओगे तो शायद हम गंभीरता से विचार करें। इस

(श्री मूलचन्द सामरिया)
प्रकार रिश्वत के बदले में उनको एक साल की गारन्टी दी है। मैं उनके नाम भी बता सकता हूं कि कितने रुपए किस कूट के लिए दिए गए ?

श्री केदारनाथ : यह इस प्रश्न की मंशा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

सूचना

स्थगन प्रस्ताव व ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देने का समय

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान स्थगन प्रस्तावों की सूचना के संबंध में जारी की गई अध्यक्षीय व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जिसमें यह कहा गया है कि स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचना प्रतिदिन प्रातः 9.30 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिए और इस समय के बाद प्राप्त हुई सूचनायें अगले दिन के लिए दी गई सूचनायें मानी जावेंगी। भविष्य में भी यही व्यवस्था लागू रहेगी। ये सूचनायें सचिव या उप-सचिव (प्रथम) के कक्ष में दी जा सकती हैं।

श्री मूलचंद डागा : इसमें मेरा थोड़ा सा सुझाव है। यहां पर इतना जल्दी पहुँचने के लिए साधन नहीं है। अगर आप ऐसा समय देंगे तो हम आज जो प्रश्न देना चाहते हैं, उससे वंचित हो जायेंगे। आप 9।। की जगह 10 बजे रखें तो उचित होगा ।

श्री अध्यक्ष : आपको यदि कोई आपत्ति है तो आप आकर मुझ से मिल सकते हैं, यथा संभव सुविधा दी जाएगी।

श्री शंकर लाल (जैतारण) : जो समय पर स्थगन प्रस्ताव दिए जाते हैं...

श्री अध्यक्ष : आपके स्थगन प्रस्ताव के संबंध में...

स्थगन प्रस्ताव की प्रस्तुती

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्तावों के संबंध में नियम बने हुए हैं। इन नियमों के अनुसार जो भी माननीय सदस्य स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहे, उसके लिए एक प्रक्रिया निर्धारित है। उसके अनुसार अध्यक्ष महोदय को उनकी सूचना दी जा सकती है।

मेरा केवल इतना निवेदन है कि स्थगन प्रस्ताव देने की मन्शा किसी भी माननीय सदस्य की अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की हो सकती है। सरकार उस संबंध में क्या कहना चाहती है सरकार को वह कहने का अवसर हो । लेकिन मैंने जिस प्रकार से कल देखा, कल स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय की तरफ से इस सदन में पढ़-कर सुनाए गए और कुछ माननीय सदस्य दो दो, तीन तीन मिनट के लिए बोले । उनकी सूचना सरकार को नहीं थी जब कि सरकार को सूचना दी जाना जरूरी था। वह ऐसे स्थगन प्रस्ताव थे जिनको अध्यक्ष महोदय ने रखने की अनुमति नहीं दी थी शायद उनकी सूचना देने की आवश्यकता भी महसूस नहीं की। इसलिए मैं विरोधी दल के नेता से निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में आपस में बैठकर किसी प्रकार की व्यवस्था कर लें जिसके आधार पर स्थगन प्रस्तावों का महत्व भी कम न हो और सरकार भी उसके संबंध में सदन को जानकारी दे सके । यदि एक एक

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
दिन में 10–10 स्थगन प्रस्ताव रख दिए गये तो आप मानकर चलें कि उनका महत्व अपने आप खत्म हो जायेगा। नियमों में इस बात की व्यवस्था है कि यदि स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत भी होता है तो उनमें से केवल एक। बाकी स्थगन प्रस्ताव उस दिन के लिए रिजेक्ट हो गए और भविष्य में लिए जायेंगे या नहीं अध्यक्ष महोदय पर यह सारी चीज निर्भर करेगी। नियमों के प्रावधानों का यदि हम पालन करते हैं तब तो स्थिति दूसरी रहती है। कल माननीय सदस्य कह रहे थे कि पिछली विधान सभा में ऐसी परम्परा थी, वह तो नियमों के विपरीत है फिर भी परम्पराओं को बिल्कुल खारिज किया जाए, यह मैं नहीं कहता। सब मिलकर व्यवस्था करें जिसके आधार पर निश्चित रूप से जो भी महत्वपूर्ण मामले हैं, वे सदन के सामने आवें और सरकार भी उनके सम्बन्ध में अपना पक्ष उनके सामने रखे।

अध्यक्ष महोदय, पढ़ कर व्यवस्था सुनायें और उस पर आप दो मिनट बोलें तो न तो आपका पर्पज सर्व होगा और न यह एक अच्छी परम्परा होगी।

श्री परसराम मदेरणा (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, रूल्स आफ बिजनेस के सम्बन्ध में आपने ध्यान आकर्षित किया उसके लिए हम आभारी हैं। जो परम्परा यहां पर रही है उसका हमने उल्लेख किया था। गत 5 वर्षों में यही परम्परा रही है जब मुख्य-मंत्री दुर्भाग्यवश इस सदन के सदस्य नहीं थे। हो सकता है कि वह प्रक्रिया नियमों के पूर्णतः अनुकूल नहीं हो। आप नई परम्परा डालने की बात कह रहे हैं। हमारा आपके साथ सहयोग रहेगा। कार्य-सलाहकार समिति में बात चीत कर लेंगे लेकिन स्थगन प्रस्तावों के संबंध में व्यवस्था इस प्रकार की रही है कि अध्यक्ष महोदय फैक्चुअल रिपोर्ट सरकार से मंगायें तो भी सदस्य को बोलने का अधिकार दिया गया है। यदि अध्यक्ष महोदय उसको अस्वीकार कर देंगे तो भी बोल सकते हैं। तो कल अध्यक्ष महोदय ने तीन प्रस्ताव तो अस्वीकार कर दिए, चौथे के संबंध में कहा कि यह इस सदन के अधिकार-क्षेत्र से बाहर है, इसलिए चर्चा नहीं होगी इसलिए अस्वीकार कर दिया। अब 1952 से 1972 तक आपने यह परिपाटी रखी। अब जिन परम्पराओं का आपने निर्माण किया है उनमें थोड़ा बहुत संशोधन करते हुए हम आपके साथ सहयोग करने को तैयार हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नियमों को यदि आप पढ़ेंगे तो जिन परम्पराओं का आप उल्लेख करते हैं उनके लिए मैंने भी कहा है, अध्यक्ष महोदय ने भी कहा है कि उन दोनों का सामंजस्य नहीं। यदि उनको सही समझते हैं तो हमें बैठकर इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। उन परम्पराओं का समावेश नियमों में हो सकता है। इस समय नियमों और परम्पराओं में विरोधाभास है, यह मिटाना आवश्यक है।

श्री खेतसिंह : मुख्य मंत्रीजी ने बहुत ही उपदेश की बात कही लेकिन परम्परायें आपने ही डाली हैं, आप के पदचिन्हों पर हम चल रहे हैं, हम नई परम्परा नहीं डाल रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुख्य मंत्री ने विरोधी दल के नेता से कहा, उचित होगा कि कार्य सलाहकार समिति में तय करें। 1967 व 1972 में मुझे इस सदन में रहने

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

का मौका मिला है, उस समय यह था कि लोग स्थगन प्रस्ताव देते थे, अध्यक्ष रिजेक्ट भी कर दिया करते, उसके बाद भी किन्हीं मामलों पर फेवरेबल पोजीशन के लिए राज्य सरकार को भेजते थे, उनसे वक्तव्य दिलवाते थे वरना माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का अवसर मिलता था। यह सही है कि नियमों और परम्पराओं में विरोधाभास है लेकिन जब तक परम्पराओं का नियमों में समावेश करें तब तक पूर्व में जो परम्परायें रही हैं उनको रहने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आप भले ही नियमों में व्यवस्था कर दें लेकिन मैं आपसे निवेदन कर दूं कि मैं माननीय सदन के नेता महोदय की भावनाओं और विरोधी दल के नेता महोदय की भावनाओं की कद्र करता हूं। इस संबंध में वास्तविकता को देखा जाना चाहिये। जहां तक हो नियमों में जो प्रावधान है यथा सम्भव उन्हीं के अनुसार व्यवस्था की जानी चाहिये। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये कि जो पुरानी परम्परायें चल रही हैं और वास्तविक नियमों में जो प्रावधान हैं उन दोनों में सामंजस्य रहे। अगर दोनों में कोई सामंजस्य हो जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

धन्यवाद के····

(व्यवधान)

आप स्थान ग्रहण करें।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया उसके संबंध में आपने कोई व्यवस्था नहीं दी। इसके साथ ही जो मुख्य मन्त्री जी ने अभी··

श्री अध्यक्ष : वह तो अब समाप्त हो गया।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, लोक सभा में परम्परायें····

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। लोक सभा में और राज्य सभा में जो परम्परायें हैं वह अलग हैं। यहां सदन की परम्परायें अलग हैं।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने तो कहा था कि विरोधाभास है। पर मेरा निवेदन है कि विरोधाभास नहीं है। दूसरे आपने कहा कि चेम्बर में आकर बात करें।

विशेषाधिकार प्रस्ताव

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव कल आपकी सूचनार्थ लिखित में पेश किया था। अध्यक्ष महोदय, कल मैंने अपने भाषण के दौरान में यह कहा था कि जेल मन्त्री जी केन्द्रीय जेल में गये और वहां जाकर उन्होंने कैदियों को कुछ आश्वासन दिये। उन आश्वासनों के पूरा नहीं होने के कारण वहां पर हड़ताल हो गयी लेकिन मन्त्री जी ने यहां स्पष्टीकरण में यह कहा कि वहां कोई हड़ताल नहीं चल रही है। पर मैंने जब पता लगाया तो यह पाया कि मन्त्री जी ने जो कहा था वह गलत था। वहां हड़ताल जारी है अतः मन्त्री जी ने गलत बयान देकर सदन को गुमराह किया है।

श्री शंकरलाल : पहले स्थगन प्रस्ताव के ऊपर जो व्यवस्था आनी है वह तो आये,

श्री अध्यक्ष : कल ही 11 बज कर 25 मिनट पहले आपका विशेषाधिकार प्रस्ताव मुझे मिला था। इस संबंध में मैं आपको कल व्यवस्था दे दूंगा।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव समय पर पेश हो चुके हैं उनके बारे में तो आपको व्यवस्था देनी चाहिये।

स्थगन प्रस्ताव पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : हां आपका दुग्ध के संबंध में स्थगन प्रस्ताव था। उसके संबंध में मेरी यह व्यवस्था है। मुझे सूचित करना है कि श्री शंकरलाल, सदस्य विधान सभा की ओर से दिनांक 19-7-77 को जयपुर सहकारी दुग्ध वितरण योजना वालों द्वारा दूध की बोतलों में गन्दा पानी भरने की घटना के विषय में स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अविलम्बनीय लोक महत्व का स्थगन प्रस्ताव आपको सिमको फैक्ट्री में करीब 2500 मजदूरों के बेकार होने के बारे में दिया है। उसके सम्बन्ध में वहां के मजदूरों ने मुख्य मन्त्री जी को ज्ञापन भी दिया था। वहां पर फैक्ट्री में तालाबन्दी हो जाने के कारण 2500 मजदूर बेकार हो गये हैं। इस पर आपकी व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : उसको मैंने सरकार को जानकारी देने के लिये भेजा है, जब राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हो जायेगी तब उस पर निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है परसों, उसके बारे में क्या व्यवस्था दी है।

श्री अध्यक्ष : आपने क्या प्रस्ताव दिया है। मेरी जानकारी में नहीं है। आप मेरे कक्ष में आकर सूचित करें। मैं उस पर विचार करूंगा।

व्यवस्था का प्रश्न अपलोपित शब्द

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है वह यह है कि जिस दिन सदन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उस दिन मैंने जब शपथ ग्रहण की थी तो मैंने शपथ लेते वक्त कहा था उस शब्द को शपथ की कार्यवाही से निकाल दिया गया था। इसमें व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सदन में किसी भी विषय पर अगर कोई माननीय सदस्य अपना वक्तव्य दे रहा हो या भाषण दे रहा हो उसमें अगर कोई ऐसी कोई चीज हो जो उसे नहीं बोलनी चाहिये तो उसके भाषण में से वह शब्द निकाले जा सकते हैं। पर मैं तो शपथ ग्रहण कर रहा था और शपथ ग्रहण करना मेरा अधिकार था। शपथ ग्रहण करते वक्त मैंने जिन शब्दों के अन्दर शपथ ग्रहण की थी उसे वैसा का वैसा ही माना जाना चाहिये। आप जबरदस्ती मुझ पर कोई बात थोपना चाहते हैं तो बात अलग है। आपने जो शब्द निकाले हैं मेरी शपथ के शब्दों में से मैं उसे ठीक नहीं समझता हूं। जो शब्द निकाले गये थे वह यह शब्द थे मैंने कहा था ××× यह कोई नई बात नहीं है। ऐसी शपथ लोकसभा में भी ली गयी और राज्यसभा में सदस्यों ने ली। ×××

××× शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)
इन शब्दों का उपयोग वहां हुआ है। मेरा नम्र निवेदन यह है कि इस पर आपकी व्यवस्था होनी चाहिये और जो शब्द मेरी शपथ में से निकाल दिये गये हैं उन्हें वापस जोड़ा जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिये इस संबंध में तत्कालीन अध्यक्ष महोदय ने, आपने जब उसके बारे में आपत्ति उठायी, व्यवस्था दे दी थी। उस वक्त जो अध्यक्षीय व्यवस्था दी गयी थी वही अन्तिम व्यवस्था है। यहां पर सदन की परम्परा रही है कि जो अध्यक्षीय व्यवस्था जिस बारे में दे दी जाती है वही फाइनल है, वही अन्तिम है। इसके उपरान्त आप लोकसभा और राज्य सभा का जो उदाहरण देते हैं कि वहां पर तो आपत्ति नहीं उठायी गयी, वहां क्या हुआ और क्या नहीं हुआ इस संबंध में मुझे अभी जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी होने के बाद में इस पर कुछ मैं विचार कर सकता हूं। मैं आपके प्रश्न पर पुनः विचार करने से इनकार नहीं कर रहा हूं लेकिन अभी तक तो, जो अध्यक्षीय व्यवस्था दे दी गयी थी, वही अन्तिम है। मैं उसी को मान्यता दूंगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैंने अभी जो आपके सामने रखा है वह नयी व्यवस्था का प्रश्न उठा कर रखा है।

(व्यवधान)

आप स्थान ग्रहण करें। आप मत बोलिये। मुझे मेरी बात कहने दीजिये। जब आप बोलते हैं तो हम सुनते हैं। तो आपको भी चाहिये कि जब हम बोलें तो आप सुनने की क्षमता रखें।

तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह तो आपके अधिकार की बात है। आप इस व्यवस्था के प्रश्न पर जवाब दें या नहीं दें यह तो आपका अधिकार है। लेकिन जब तक मैंने जिस प्रकार से शपथ ली है उसी प्रकार के शब्द उसमें नहीं जोड़े जायेंगे तो मुझे बड़ा दुःख होगा और इससे मेरी आत्मा को ठेस पहुंचेगी। मेरी अन्तर आत्मा पर बड़ा कुठाराघात इससे हुआ है। जब तक आप इस पर व्यवस्था नहीं देंगे मेरी आत्मा को चैन नहीं आयेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगर आपकी आत्मा को ठेस पहुंची है और अगर आपकी अन्तर आत्मा पर कुठाराघात हुआ है और अगर कोई संवैधानिक दृष्टिकोण से कुछ हो सकता है तो मेरी किसी हद तक आपके प्रति सहानुभूति है। लेकिन अगर कोई संवैधानिक मेरी विवशता है तो इसमें मैं अपनी विवशता ही प्रगट कर सकता हूं। वैसे आप सदन के काफी अनुभवी सदस्य हैं, सदन की व्यवस्था के बारे में काफी समझते हैं। फिर भी आप चाहें तो इस संबंध में मेरे से बातचीत कर सकते हैं।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में चर्चा।

श्री श्योपतसिंह।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मैं भी अपने विचार अपनी पार्टी की तरफ से

(श्री श्योपत सिंह)
पेश करने खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, अमर्जेन्सी के दौरान . . .

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अमर्जेन्सी नहीं इमर्जेन्सी।

श्री श्योपतसिंह : अध्यक्ष महोदय, इमर्जेन्सी के दौरान मेरी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं और जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को कांग्रेस की तानाशाही सरकार के द्वारा जेलों में बन्द कर दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, हम सभी लोग जेलों में इकट्ठे हुए। जेलों में जब हमें इकट्ठे रहने का मौका मिला तब हमें वहां पर आपस में बातचीत करने का मौका मिला। वहां हमने एक होकर कांग्रेस का विरोध करने का तय किया। जब हम जेल से रिहा हुए और जब यहां पर चुनाव हुए तो मेरी पार्टी और जनता पार्टी के नेताओं ने मिल कर तानाशाही के खिलाफ में एक होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। उस वक्त चुनावों में मेरी पार्टी और जनता पार्टी ने करीब-करीब सभी सूबों में सहयोग के साथ चुनाव लड़ा और कांग्रेस को बुरी तरह से हराया। लेकिन उसके बाद में जब विधान सभा के चुनाव हुए तो मेरी पार्टी और जनता पार्टी के नेता आपस में एकमत नहीं हो सके क्योंकि जनता पार्टी के कुछ नेताओं के दिमाग में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को हराना बहुत जरूरी था। यह जरूरी समझते थे। कांग्रेस को हराने में शायद उनको ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उसका आज नतीजा हमारे सामने है, लोकसभा के चुनावों में जहां हमने देखा कि सिर्फ 12 विधान सभाई क्षेत्रों में कांग्रेस जीती वहां विधान सभा के चुनावों में कांग्रेस 41 सीटों पर विजय होकर आई है। अगर हमारे सहयोग का रिश्ता मजबूत होता और हम सहयोग करके आपस में चुनाव लड़ते तो यह बात निश्चित थी कि कांग्रेस की आज जमात इतनी भारी संख्या में नहीं आती। हमारी नीति साफ है, हम नहीं चाहते कि जिस कांग्रेस हुकूमत ने इस देश को फासिज्म के दौर, तानाशाही के दौर में रखा और इस देश को 19 महीनों तक उस दौर में से गुजरना, हम नहीं चाहते कि दुबारा वह कांग्रेस वापस आये। हम नहीं चाहते कि दुबारा कांग्रेस देश में पनपे। सवाल इस बात का नहीं। आज एक सवाल हमारे सामने है कि इस इमर्जेन्सी के दौरान आखिर क्या हुआ ? इमर्जेन्सी क्यों लगाई गई ?

कल कांग्रेस के माननीय सदस्य जब इमर्जेन्सी के दौरान की गयी ज्यादतियों पर इस सदन में चर्चा हो रही थी या उसका जिक्र हो रहा था तो बहुत परेशान होते थे। वह एक ही बात कहते थे कि हमने तो गुनाह किये उन गुनाहों को माफ कर दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही अदब के साथ कांग्रेस के सदस्यों से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने जो गुनाह किये हैं क्या वह गुनाह इस लायक हैं कि उन्हें माफ कर दिया जाये ? मित्रो, आपने कितने गुनाह किये और क्या किया इस देश में इस 19 महीनों के दौर में, यह तो, अध्यक्ष महोदय, सौभाग्य की बात है, मैं कह सकता हूं कि जनता पार्टी के नेताओं की नीति में कुछ रियायतों का रुख है वरना यह जगह आपके लिए नहीं थी। कांग्रेस के दोस्तो, आपकी जगह जेलों में होनी चाहिए थी।

आज भ्रष्टाचार के सरगना व मसीहा हैं वे भ्रष्टाचार के गीत गा रहे हैं। मैं कल

(श्री श्योपत सिंह)

से देख रहा हूँ कि लगातार कांग्रेस के सदस्यों को भ्रष्टाचार बहुत परेशान कर रहा है। 30 साल तक आपको परेशान नहीं किया भ्रष्टाचार ने। अब 15 दिनों में आप को भ्रष्टाचार परेशान कर रहा है। कुछ शर्म है? इन्कार करो। सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है कि जुल्म और ज्यादतियां हुईं, कितने लोगों को परेशानियां उठानी पड़ीं, किस-किस तरह के जुल्म लोगों पर हुए, बेगुनाह लोगों को जेलों में डाल दिया गया। मित्रो, हम 19 महीनों तक जेलों में रहे थे। इस सदन के बहुत से जनता पार्टी के सदस्यों के ऊपर आज आप फब्तियां कसते हैं कि वह नये हैं। नये नहीं हैं बल्कि वह कांग्रेस के जुल्मों और तानाशाही के दौर में 19 महीनों तक जेल में रह कर आपके जुल्मों के खिलाफ लड़ कर आये हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने नोमीनेट नहीं किया है। चुनाव लड़ कर आये हैं।

श्री श्योपतसिंह : नोमीनेट होना अलग बात है। सवाल इस बात का है कि जो आपने गुनाह किये, जिस दल में आप बैठे हैं उसने गुनाह किये उनकी सजा आपको मिलनी चाहिए थी। सवाल इस बात का नहीं है कि कोई भी आदमी सदस्य बन सकता है या नहीं, कोई इस सदन में आ सकता है या नहीं लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ कि आपने जो गुनाह किये, बेगुनाह लोगों को आपने जेलों में रखा, लोग जेलों में शहीद हुए उनको जेलों में क्यों रखा गया? फिर क्यों उनको छोड़ा गया? क्यों नहीं उनका चालान पेश किया गया? अगर कांग्रेसियों में थोड़ी बहुत भी गैरत होती, आपमें थोड़ी बहुत भी इंसानियत की बात होती तो हम लोगों को अदालतों में पेश करना चाहिये था। आज डाकुओं को भी अदालतों में पेश किया जाता है, मर्डर करने वालों को भी अपनी सफाई करने का मौका दिया जाता है मगर श्री जयप्रकाश नारायण जैसे जंगे आजादी के सूरमा को आपने देशद्रोही बताया, उनको आपने असामाजिक तत्व शब्द कहा। अभी भाई डागा जी प्रश्नकाल के दौरान कह रहे थे कि राजनैतिक शब्द मीसा में नहीं है। यह कितनी गई गुजरी हरकत थी कि हम राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं को राजनैतिक कार्यकर्त्ता नहीं कहा और एन्टी-सोशियल एलीमेन्ट कहा गया। आपके ही इन कारनामों ने सारे देश में कांग्रेस को नेस्तनाबूद कर दिया। यही आपकी सजा है। आज कहना आसान है। जब हम 19 महीनों के बाद जेलों से घर पहुंचे माननीय सदस्य जो कांग्रेस के हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आसन को सम्बोधित करो, हमको नहीं।

श्री श्योपतसिंह : आपको भी इशारा कर रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : ×××

श्री श्योपतसिंह : मैं कहना चाहूंगा कि जब हम लोग 19 महीनों की जेल भोगकर घर पहुंचे तो किसी को मां नहीं मिली, किसी को बाप नहीं मिला, किसी को बेटा नहीं मिला और किसी को बहिन नहीं मिली। सब बिछड़ चुके थे। मैं तो आपको आपके जुल्मों की कहानी बता रहा हूं।

××× अभिव्यक्ति अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री श्योपतसिंह)

सवाल यह है कि इन 19 महीनों के दौर में आपने क्या-क्या किया। आप जब कल बोल रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि इस सारे देश को इमर्जेन्सी के दौरान में एक संजय जैसे बदतमीज छोकरे के हवाले सारे देश को कर दिया। जहां भी जायें आपका गुलामों की तरह हजूम जाता था। जहां भी वह जाता था करोड़ों रुपया खर्च किया जाता था। उस समय मुख्य मंत्री जी अपने सारे मंत्रिमण्डल का स्टाफ लेकर जहां भी संजय गांधी पहुंचा वहां सारी की सारी मोटरों का काफिला लेकर पहुंच जाते थे। कौन था वह संजय गांधी? अगर इस देश को किसी ने कलंकित किया है तो उसके गुनाहगार हैं आप। हम जेलों को बरदाश्त कर सकते हैं, तकलीफें बरदाश्त कर सकते हैं और इन बातों को भी बरदाश्त कर सकते हैं कि बहिन, भाई और बाप मर गये लेकिन इस देश के अन्दर इसको कैसे बरदाश्त कर सकते थे कि एक पागल छोकरे को इस तरह से सिर पर बैठाया जाये। जब हम बीकानेर जेल में थे तो हमने रेडियो पर भाषण सुना तब ऐसा महसूस हो रहा था, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे हमारे हरिदेव जोशी उनके पुत्र हैं और व उनके पिता है। हरिदेव जोशी कहते हैं 'आदरणीय संजय जी'! उनके स्वागत के लिये करोड़ों रुपया लगाया। कौन है उसका जिम्मेदार, क्यों खर्च किया गया? हम देखते हैं थोड़े से चोरी के मुकदमों में सजा करवाते हैं। क्यों करोड़ों रुपया लगाया गया? क्यों नहीं सजा होनी चाहिये आपको? क्या था वह जिसके लिये इतना रुपया खर्च किया गया? मेरे कहने का मतलब यह है कि देश की गरिमा आपने जितनी गिराई है हिन्दुस्तान के इतिहास में किसी ने नहीं गिराई। हमने अंग्रेजों का इतिहास पढ़ा है, राजाओं का इतिहास पढ़ा है, बादशाहों का इतिहास पढ़ा है। आपने 60 करोड़ के मुल्क को एक पागल छोकरे के जिम्मे कर दिया। संजय गांधी के इशारे पर बहुगुणा गायब, नन्दनी सत्पथी गायब। थोड़ा सा नाराज होकर देखा बंगाल की तरफ तो राय की कुर्सी डगमगा उठी। कहते हैं माफ कर दो, गुनाह माफ कर दो। गुनाह कैसे माफ कर दें। आपकी जगह जेलों में है। यह मैं जरूर चाहूंगा क्योंकि हम जनतंत्र में विश्वास करते हैं व प्रजातंत्र में भरोसा करते हैं, इसलिये आप पर मुकदमा चलायेंगे, मुकदमा चलाकर ही सजा दी जायेगी। मैं सदन के नेता से, जनता पार्टी के नेता से अपील करूंगा कि यह सारे भ्रष्टाचार के मामले अदालतों में चलाये जाने चाहिए। इनका रिकार्ड आपके पास है। बहुत सा रिकार्ड आपने रखा है। इस असेम्बली में यह सारे के सारे गुनाहगार बैठें, यह हम बरदाश्त नहीं करेंगे कि भ्रष्टाचार में लिप्त ये लोग हमारे सदन का टाइम बरबाद करें यह हम....

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : इनके बाद कुछ कहने का मुझे मौका दीजिये।

श्री अध्यक्ष : समयानुसार दिया जायेगा। आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री श्योपतसिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने जनता पार्टी को सहयोग देने का फैसला किया है और वह सहयोग निश्चित है। जनता पार्टी ने जो घोषणा-पत्र प्रकाशित किया, लोकसभा और राज्य विधान सभा के चुनावों के दौरान जो जारी किया, उन घोषणाओं को दृष्टि में रखते हुए हम चाहते

(श्री श्योपतसिंह)

हैं कि जनता पार्टी जनता के हितों की रक्षा करने के लिये, मजदूरों के हितों की रक्षा के लिये, किसानों की बहबूदी के लिये, नागरिकों की बहबूदी के लिये जल्दी से जल्दी घोषणा-पत्र में जो घोषणायें की गई हैं उन्हें लागू करे। यह हमारी मित्रवत् राय है। उसके बावजूद अगर उन नीतियों को लागू नहीं किया गया तो यह बात साफ है कि जिस तरह कांग्रेस के विरोध में हम लड़ते रहे उसी तरह जनता पार्टी के विरोध में भी लड़ेंगे। नीति बिल्कुल साफ है हमने जैसे कांग्रेस से प्रजातंत्र की रक्षा के लिये, फासिज्म को देश में से खत्म करने के लिये जिन मुद्दों पर लड़ाई लड़ी है, वह स्थिति फिर नहीं आने दें। यह 40 लोग जो नजर आ रहे हैं..

एक माननीय सदस्य : 40 नहीं 41।

श्री श्योपतसिंह : यह सोच रहे हैं कि कब हम आपस में लड़ें। मगर जो काला इतिहास इन्होंने लिखा है इमर्जेन्सी के दौरान। वह इतिहास इस देश में रिपीट नहीं होगा।

अब मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कुछ बातें कहूंगा। हम चाहते हैं कि देश में जो प्रजातांत्रिक शक्तियां हैं वे मजबूत हों। घोषणापत्र में प्रजातांत्रिक शक्तियों को मजबूत करने की बात कही गई है। आखिर कौन सा तरीका है प्रजातांत्रिक शक्तियों को मजबूत करने का ? घोषणा-पत्र में जो बात कही गई है वह इस अभिभाषण में होनी चाहिये थी। हम देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को मत देने का अधिकार दें। 18 साल की उम्र के नौजवानों को मत देने का अधिकार होना चाहिये जो कि जनता पार्टी के घोषणा-पत्र में है लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण में इसका उल्लेख नहीं है। इसके साथ साथ जनता पार्टी के घोषणा-पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि जनता के वे प्रतिनिधि जो चुनने के बाद भ्रष्ट हो जायें, जनता के वे प्रतिनिधि जो जनता से गद्दारी करें जनता को उन प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिये। यह बहुत बड़ा अधिकार है। इससे देश के अन्दर प्रजातंत्र की रक्षा होगी। यह दो सवाल इसमें बिल्कुल छोड़ दिये गये हैं।

इसके साथ-साथ मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर कौन कौनसी ऐसी समस्यायें हैं जिनको हमको सबसे पहले हल करना चाहिये। मेरी पार्टी की राय है कि राजस्थान के अन्दर इस वक्त बड़ी चार समस्यायें हैं जिनको सबसे पहले लेना चाहिये। सबसे पहला सवाल भूमिहीन किसानों का है जिनको कांग्रेस की हुकूमत में सिर्फ नारे दिये गये, सिर्फ उनको आश्वासन दिये गये, जमीनें नहीं दी गई। राजस्थान नहर क्षेत्र व चम्बल क्षेत्र की जमीनों पर और दूसरी जमीनों पर बड़े-बड़े चौधरियों ने और बड़े अधिकारियों ने कब्जा कर रखा है। सीलिंग के अन्दर जो भी जमीनें बची हैं वह भी भूमिहीन किसानों को नहीं दी गई हैं। वैसे सीलिंग की बीमारी अब पुरानी हो गई है। कांग्रेस ने 30 साल तक सीलिंग का शोर मचाकर सारी की सारी जमीनें खुर्दबुर्द कर दीं। हमारे राजस्व मंत्री जी बतायेंगे कि कांग्रेस मंत्रिमण्डल ने सीलिंग में कितनी जमीन निकाली और आजादी के 27 साल बाद क्यों सीलिंग लागू हुई ? तीस साल बाद देश में लागू कर रहे हैं और समाजवादी होने का ढोंग रचते हैं। हम चाहते हैं कि

(श्री श्योपतसिंह)

गरीबों को जमीनें मिलनी चाहिये और जिनसे जमीनें छीनी हैं उन्हें वापस दिलाइये और भूमिहीनों को दीजिये······

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नाम बताइये।

श्री श्योपतसिंह : बताऊंगा।

एक माननीय सदस्य : हम भी सुनना चाहेंगे।

श्री श्योपत सिंह : मैं पूछना चाहता हूं माननीय सदस्या महोदया से। आज से 15 साल पहले आप आई थीं इस असेम्बली के अन्दर। उसके बाद कितने मिनिस्टरों के बंगले बने, कितने लोगों ने इस जयपुर के आसपास जमीनें खरीदी हैं? क्या आपसे यह छिपी हुई बात है। कितने कांग्रेस के लोगों ने घर बसा लिये? खास तौर से जयपुर के इर्द-गिर्द मिनिस्टरों के बंगले मिलेंगे। अगर कहीं ट्यूब वेल्स चलते हुये देखें तो समझ लीजिये किसी भ्रष्ट नेता का फार्म होगा।

एक माननीय सदस्य : ये तो अभी आये हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जांच होगी।

श्री श्योपत सिंह : आप पूछती हैं इसीलिये कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : कृपया आपस में बात न करें।

श्री श्योपत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज उन जमीनों को छीनिये, चाहे वे कोई भी हों। सीलिंग से अब काम चलने वाला नहीं है। बहुत होशियारी से इन्होंने जमीनें बना ली हैं। अब जनता पार्टी के शासन में यह नहीं करना चाहिये। जो काश्त करेगा उसकी जमीन होगी, बाकी किसी को जमीन नहीं मिलेगी। जनता पार्टी के नेताओं से मैं यह बात कह रहा हूं और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज वे ही कांग्रेस के पूंजीपति जो कांग्रेस की हुकूमत में थे अब जनता पार्टी की बहुत बड़ी पैरवी करने के लिये आ गये हैं। उसका नतीजा आपने देखा होगा। ये 41 सीटें जो आज आई हैं वे दलित वर्ग और हरिजन वर्ग की वजह से आई हैं। आज हरिजन घबरा गया है। आज वह हरिजन देखता है कि ये ही लोग कांग्रेस में थे और अब वापस जनता पार्टी में आ गये हैं। इसीलिये बेजार हो गये हैं इसीलिये ही उन्होंने कांग्रेस को वोट दे दिया है। हरिजनों का बहुत भारी मत कांग्रेस के साथ गया है। यह मेरे जिले की बात है। इसकी आप जांच कीजिये। अगर यह स्थिति रही और अल्प संख्यक वापस इनके साथ जायेंगे तो स्थिति फिर बदल जायेगी···

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : वापस आयेंगे···

श्री श्योपत सिंह : अतः अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि अल्प संख्यक लोगों में दुबारा विश्वास पैदा करें और उनको वापस कतार में लायें और इनके साथ नहीं जाने दें। जो भूमि हीन किसान हैं···

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कम बोला हूं। मेरा समय इन्होंने खराब कर दिया। मैं तो अकेला हूं।

(श्री श्योपतसिंह)

अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल है शहरों में गरीब बस्तियों का। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस समस्या का कहीं समाधान नहीं है। कांग्रेस ने तो अपने 30 साल के राज्य में सिर्फ कोठी ही बनाई हैं बस्तियों की तरफ ध्यान नहीं दिया है। उन कच्ची बस्तियों का जिक्र राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण में नहीं है। आज कच्ची बस्तियों में न तो सड़कें हैं, न बिजली की कोई उचित व्यवस्था है और न पीने के पानी की ही व्यवस्था है। अध्यक्ष महोदय, वहां सारी की सारी व्यवस्थायें होनी चाहिये हास्पिटल हो, स्कूल हो, पार्क हो, सब तरह की सुविधायें वहां होनी चाहिये। शहर में गन्दी बस्तियों के लोगों को अच्छी तरह से बसाया जाय और जिनके पास दुकानें नहीं हैं, उनको दुकानें भी दी जायं। ज्यादा बड़ी नहीं तो छोटी-छोटी दुकानें तो अवश्य ही दी जायं। दूसरा प्रश्न राजस्थान में अहमियत का यह है।

तीसरा सवाल मजदूरों का है और बेरोजगारी का है। बेरोजगार और मजदूर जो नौजवान आज मारे-मारे घूम रहे हैं, सिफारिश के अभाव में फिर रहे हैं, जो कांग्रेस सरकार के पक्षपात के शिकार थे उनको अब जनता पार्टी से यह शिकायत नहीं रहनी चाहिए। अब नौजवान को यह महसूस हो कि सिफारिश का जमाना लद चुका है, सिफारिश किसी प्रकार नहीं चलेगी गुण के आधार पर उनको चुना जायगा और उनको नौकरियों का उचित मौका मिलेगा।

तीसरी बात मजदूरों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये वे ही पूंजीपति हैं जो इमर्जेन्सी के फौरन बाद इन्दिरा जी के स्वागत में गये थे। इन्दिरा सरकार में जुलूस लेकर गये थे बिड़ला के नेतृत्व में। आज बिड़ला के कारखाने सिमको में हड़ताल हो रही है। बिड़ला उसका मालिक है। यह बात मुख्य मंत्री जी के भी ध्यान में आई होगी मगर बिड़ला ने इसकी चिन्ता करने की जरूरत नहीं समझी और तालाबन्दी की। यह हड़ताल 15 दिन से हो रही है। इसलिए मेरा कहना है, अध्यक्ष महोदय, इनसे दोस्ती मत रखिए। जो इन चेहरों के साथ दोस्ती रखेगा वह मर जायेगा और निश्चित रूप से मर जायगा। राजस्थान के पूंजीपतियों के कहने पर इमर्जेन्सी के दौरान कैद में रखा गया। हरिदेव जी कहा करते थे। हमने इनको बन्द कर दिया, राजनैतिक नेताओं को देखो, कुत्ते ही नहीं भौंके। किस तरह की जबान बोलते थे। जो मुख्य मंत्री थे और अब माननीय सदस्य हैं इस समय सदन के, किस भाषा में बोलते थे, कुत्ते नहीं भौंके, यह किस की तरफ इशारा था। मुझे खुशी है कि वे आज दुबके हुये कोने में बैठे हैं। उनको सबक मिल चुका है, हरिदेव जोशी को सबक मिल चुका है। इस राजस्थान की बहादुर जनता ने अपना फैसला देकर इनको एक कोने में बिठा दिया है। इन्होंने सांठ-गांठ करके राजस्थान के कार्यकर्ताओं को जेलों में भेजा और उनकी पिटाई की, उनके साथ अनेक ज्यादतियां कीं, उनके परिवार वालों को परेशान किया गया। मैं आज मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बड़े-बड़े धन्ना सेठों से दोस्ती मत रखिये। जब तक ये आपके पूर्ण कब्जे में नहीं आ जायं शासन को कठोर बनाये रखें और डण्डे से काम लें। ये आपके हितों को सुरक्षित नहीं रखेंगे। अतः निवेदन है कि आप मजदूरों की

(श्री श्योपतसिंह)
तरफ पूरा ध्यान देकर उनके हितों को ही सुरक्षित रखें।

इसके साथ चौथी समस्या · · · ·

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

जो मुझे दिखाई दे रही है वह है पानी की समस्या। जिन किसानों के पास आज जमीन है उनको पानी दीजिये। राजस्थान में इतनी अच्छी जमीन है कि वह सारे भारत को अन्न दे सकती है। हमारा पड़ोसी पंजाब राज्य मेरे जिले के नजदीक का है, मैं अच्छी तरह जानता हूं हमारे बीकानेर डिविजन के बराबर है। वह सारे हिन्दुस्तान को खाना देता है। मैं आज यह भी जानता हूं कि हमारी राजस्थान कैनाल का कुछ पानी कहां जा रहा है। बहुत अच्छा है, सिंचाई मंत्री जी भी यहां बैठे हुये हैं। आज वह पानी पाकिस्तान जा रहा है। राजस्थान कैनाल का एरिया ज्यादा पानी से बरबाद हो रहा है और भाखड़ा केनाल बिना पानी के बरबाद हो रहा है। पानी हमारा, नहरें हमारी लेकिन हमको पानी नहीं मिल रहा है।

ऐसी सूरत में मैं आखिर में एक ही बात कहूंगा, संक्षेप में कहूंगा कि पानी की व्यवस्था जल्दी से जल्दी इन इलाकों में की जाय जहां पानी नहीं है। चाहे कुओं से करें, चाहे बिजली के ट्यूब वैल्स लगाए जायं, बिजली से करें। जहां तक बिजली से ट्यूब वैल लगाने की बात है मैं कहूंगा कि बिजली के ट्यूब वैल्स तो खत्म हो रहे हैं। आपके इस बिजली विभाग की गारण्टी, ने बिजली विभाग के भ्रष्टाचार ने, आपके इस बिजली विभाग के गारण्टी सिस्टम ने, मिनिमम चार्जेज ने किसानों को परेशान कर दिया है। मैं अपने गंगानगर जिले की बात जानता हूं, बाकी जिलों की भी यही हालत होगी, आज बिजली विभाग से किसान बेजार हैं। आज किसान ट्यूब वैल्स नहीं लगा रहा बल्कि कनेक्शन तोड़ रहा है। ट्यूब वैल्स लगाना तो दूर रहा वह कनेक्शन तोड़ रहा है। आपने बिजली की रेट बढ़ा दी, डबल रेट कर दी, आपने मिनिमम गारंटी लगा दी। आप देखिए आज किसान के साथ किस किस तरह के जुल्म हो रहे हैं। जहां तक पैदावार का सवाल है, इन सब सवालों पर आप खुलासा, खुले दिल से विचार कीजिए।

इसके साथ साथ आखिर में मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है कि अच्छी वर्षा होने के कारण खरीफ और रबी दोनों फसलें अच्छी होंगी। मैं यही कह सकता हूं कि अगर यही हालत रही, इन्हीं अधिकारियों के भरोसे अभिभाषण तैयार करा कर देना शुरू कर दिया तो वाकई हालत खराब होगी, खतरनाक हालत होगी। सारे राजस्थान में अधिक वर्षा से फसलें तबाह हो गई हैं। आप क्या कर रहे हैं। रबी की फसल कैसी होगी यह मैं अभी नहीं कह सकता लेकिन खरीफ की फसल तबाह हो चुकी है। थोड़ी बहुत होने भी लगी तो इनको कातरा खा गया लेकिन आपके कृषि अधिकारी सोये पड़े हुए हैं कुम्भकरण की नींद में। अगर आप इसी तरह से अधिकारियों की रिपोर्ट पर भरोसा करके चलते रहे और इनको टाइट नहीं किया तो आपका भी वही नतीजा होगा जो कांग्रेस का हुआ। हम नहीं चाहते कि आप कांग्रेस के सदस्यों को यह कहने का मौका दें, कितनी फसलें होंगी राजस्थान में? आप लोगों से पूछ लें, यहां पर सारे राजस्थान के एम.एल.एज. बैठे हुए हैं। यहां पर नह'

(श्री श्योपतसिंह)

पूछें तो आप शाम को पार्टी की मीटिंग बुला लीजिए और पूछ लें उनसे कि कैसी फसलें होंगी ? कितना विरोधाभास है। बड़ी अजीब स्थिति है। आप इन सारी बातों पर विचार करें।

आखिर में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सिर्फ अच्छे भविष्य की कामना की गई है लेकिन इसमें कोई ठोस कार्यक्रम नहीं दिया गया है, कोई नीति नहीं बताई गई है कि क्या करने वाले हैं। खैर, आखिर में मेरी भी यही कामना है कि राजस्थान का भविष्य उज्जवल हो और यही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी लोगों की मुसीबतों को कम किया जावे।

कल हमारे खेतसिंह जी कह रहे थे कि लोग परेशान हैं, लोग उनके पास आते नहीं हैं, वह कहते हैं कि नए नए लोग हैं, नए नए लोगों की हुकूमत में क्या हो रहा है। आपने काम ही ऐसे किए हैं कि लोग आपके पास नहीं आ रहे हैं। परेशान हो रहे हैं, मेरे कांग्रेसी दोस्त ! भूल गए कि दो साल तक आपने लोगों को घुटन में रखा, लोगों का आपने दमन किया, लोगों के इतने ग्रिवेंसेज इकट्ठे हो गए। बड़ी मुश्किल से आपसे पिंड छूटा है ! अब क्यों आयेंगे आपके पास ? लोग अपनी मुसीबतें लेकर मंत्री के पास जायेंगे, मुख्य मंत्री के पास जायेंगे, एम.एल.एज. के पास जायेंगे और उनको पहुंचना चाहिए। यही आपके गुनाहों का सबूत है कि कितना लोगों को आपने बेजार कर दिया था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजस्थान के अच्छे भविष्य की कामना करता हुआ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती श्यामाकुमारी।

श्री अब्दुल अजीज : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का मौका दिया जाय !

श्री अध्यक्ष : पहले श्यामाकुमारी, फिर सुमित्राजी और बाद में आपको अवसर मिलेगा।

श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर (कपासन): श्रीमान्, मैं आपके माध्यम से यह अर्ज कर देना चाहती हूँ कि पिछले दो दिनों में मैं लगातार हमारे माननीय सदस्यों के बीच में आरोप और प्रत्यारोपों को सुन रही हूँ। जहां तक मेरी मोटी बुद्धि में समझ में आता है, मुझे लगता है कि हम सब को जनता ने चुन करके यहां पर भेजा है और हम सब लोगों को यहां पर काम करने के लिए भेजा है आरोप और प्रत्यारोप लगाने के लिए नहीं। मैं आप लोगों से यह निवेदन करूंगी कि सभी माननीय सदस्य, चाहे वह किसी दल के हों, यहां पर जनता के प्रतिनिधि होकर आए हैं। अतः हम सबको अपना प्रभाव जमाने के अलावा सबसे पहले जो ध्यान रखना चाहिए वह यह है कि हम यहां पर जनता की सेवा करने के लिए उपस्थित हुए हैं।

श्रीमान्, आपातकाल के दौरान आपत्तियों का दौर बहुत से लोगों पर आया और उसकी शिकार मैं भी थी। मेरे पति 19 महीने तक जेल में रहे। ठाकुर जाधसिंहजी, जो कि इस विधान सभा के भूतपूर्व विधायक थे उदयपुर जिले से, तीन महीने तक तो उनकी खबर तक नहीं थी। मैं स्कूल में काम करती थी। मुझ को धमकियां दी

(श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर)

जाती थीं कि आप नौकरी छोड़िए। हमारी शाखा में आपके रहने के कारण कभी भी संकट आ सकता है, हमारी संस्था बन्द हो सकती है। मेरे बच्चे हैं, मेरी पुत्री के दो बच्चे एक ही महीने में भगवान को प्यारे हो गए। दुर्भाग्य की बात है कि मेरे पास में कोई यह पूछने भी नहीं आया कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। लेकिन मैं सोचती हूं कि इन सब बातों को अब भुला देन चाहिए। जो समय बीत गया वह बीत गया और जो समय हमारे सामने है उसका हम किस तरह से अधिक से अधिक और अच्छी से अच्छी तरह से सदुपयोग करें, इस पर विचार करें। जहां तक मेरी मोटी_ बुद्धि है, मैं यह समझती हूं कि इसका सदुपयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिये।

श्रीमान्, जब हमारे यहां आरोप-प्रत्यारोप होते हैं तो मुझे महाभारत की एक छोटी सी घटना याद आती है। महाराजा धृतराष्ट्र के दरबार में जब द्रोपदी की साड़ी खींची जा रही थी, उस समय वहां पर भीष्म पितामह बैठे हुए थे, विदुर जैसे ज्ञानी बैठे थे, महारानी गंधारी बैठी थीं, जो पति परायणा थीं और सब प्रकार से विदुषी थीं। उन्होंने सिर्फ इसलिए अपनी आंख पर पट्टी बांध ली थी कि उनके पति देख नहीं पाते थे। क्या उनको यह पता नहीं था कि मेरे ही बेटे की बहू है जिसकी भरी सभा में लाज जा रही है? वहां पर जितने भी योद्धा बैठे हुए थे उनकी दुर्योधन के आतंक के आगे हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कुछ बोल सकें। इसी प्रकार से आपातकाल में अगर हमारे सामने बैठे हुए भाई बहिनों की हालत हो गई तो मैं समझती हूं कि हमें उस चीज को भूल जाना चाहिए और हमें विश्वास करके आगे का रास्ता तय करना चाहिए।

श्रीमान्, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में निवेदन करते हुए मैं सागड़ी प्रथा के सम्बन्ध में दो शब्द निवेदन करना चाहूंगी। श्रीमान्, सागड़ी प्रथा पुराने जागीरदारों, राजाओं के समय से चली आ रही है। कांग्रेस ने उसके सम्बन्ध में पहले विचार किया लेकिन उसके बाद जाते जाते सारे मुकदमें उठा लिए। मेरी समझ में यह बहुत ही अशोभनीय काम किया गया और इसकी कोई भी प्रशंसा नहीं कर सकता है। लेकिन मैं आपको यह निवेदन करना चाहती हूं कि मैं अभी पिछले दिनों अपने क्षेत्र कपासन में गई थी तो मैंने सागड़ी प्रथा से भी अधिक भयंकर और अधिक दुखदायी घटना सुनी है जिसको मैं आपके सामने निवेदन करना चाहती हूं। वह यह है, श्रीमान, हमारे लूणारा नामक ग्राम में, जिसके भोपालसागर के प्रधान मोहनलाल जाट हैं, इमर्जेंसी में सन् 76 में एक मकान बन रहा था तो उन्होंने कुछ ऐसे व्यक्तियों को बेगार के लिए बुलाया मुफ्त में जो उनके यहां आ करके काम करते थे। उनमें एक व्यक्ति का नाम भी मैं लेती हूं वह है भंवरसिंह पिता गुलाब सिंह। वह व्यक्ति पट्टी टूट जाने के कारण बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। उसे उदयपुर अस्पताल में लाया गया और लाते हो उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उस का न तो पुलिस वालों ने मामला दर्ज किया और न पंचायत समिति के प्रधान महोदय ने ही उस पर गौर किया। उसके चार बच्चे हैं जो दाने दाने के लिये मोहताज हो रहे हैं। श्रीमान, मैं आपको यह अर्ज कर देना चाहती

(श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर)

हूं कि इस प्रकार की बेगार जो ली जा रही है लोगों से वह बन्द कर दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त भी मेरा ख्याल है कि हम लोगों में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे इस बात का ज्ञान न हो कि कोई भी व्यक्ति जो सरकारी आफिसर है, उसके आफिस का जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, चपरासी है उससे घरों पर बेगार ली जाती है। भले ही उनका नाम आफिस के रजिस्टर में दर्ज हो वे काम उनके घरों पर करते हैं। उनका कार्य रोटी बनाना, बर्तन मांजना झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, इत्यादि नहीं है। आफिस का कार्य उनके लिए हो सकता है। लेकिन वह कार्य उनसे नहीं लिया जाता है और यह आफिसर लोग उनको इस प्रकार के निम्न स्तर के कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं।

श्रीमान, मैं आपके माध्यम से यह अर्ज कर देना चाहती हूँ कि इस प्रकार की प्रथाएं हमारे नये राज्य में नहीं चलनी चाहिए। लोग यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जनता पार्टी के राज्य में उनको न्याय मिलेगा।

श्रीमान, इसके साथ ही मैं एक-दो मामलों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। हमारे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मद्यनिषेध के बारे में कहा गया है। मैं इसके विपक्ष में नहीं हूं। कोई भी चीज होती है, उसके दोनों पहलुओं पर हमें विचार कर लेना चाहिये। मैं यह निवेदन कर देना चाहूँगी कि शराब पीने से अनेक परिवारों को बर्बाद होते हुए हमने देखा है। इसलिये मद्य कोई अच्छी चीज है, यह मैं नहीं कहती हूँ। मेरा अभिप्राय यह है कि अगर पूर्ण मद्य निषेध किया गया तो संभवतः वह नहीं हो पाएगा। और उल्टे इससे समाज में भ्रष्टाचार पनपने की संभावना है। श्रीमान, मैं यह अर्ज करना चाहती हूँ कि जो पीने वाले हैं उनको आप रोकना चाहेंगे तो संभवतः वे कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे। ऋषियों-मुनियों के जीवन को भी हम देखते हैं कि उन्होंने भी नशा नहीं छोड़ा। सोम रस के नाम से या अन्य किसी नाम से वे इसका सेवन किया करते थे। आज जो एलोपैथी की जितनी दवाइयां हैं, सब में तो नहीं किन्तु बहुत सी दवाईयों में अलकोहल की मात्रा होती है मैं यह अर्ज कर देना चाहूंगी कि निम्न स्तर के जो घातक पदार्थ होते हैं उनका कुछ सुधार करके और जैसे फलों के रस हैं, अंगूर का रस द्राक्षासव होता है, इस प्रकार की चीजें लोगों को दी जावें। इसके अलावा उनका मानस इस प्रकार का तैयार किया जाये कि वे स्वयं ही इसको छोड़ने की कोशिश करें। उनके ऊपर प्रतिबन्ध न लगा कर उनका मानस इस तरह तैयार किया जाये कि वे स्वयं छोड़ने की कोशिश करें।

श्रीमान इसके अलावा, एक समस्या और रखना चाहूँगी। वह यह है कि ग्रामों के विकास के ऊपर माननीय राज्यपाल ने जो विचार प्रकट किये हैं, उससे हमें प्रसन्नता हुई है। उन्होंने अभिभाषण में यह बात कही है कि ग्रामों का विद्युतीकरण होगा और गांव के लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

श्रीमान, आज ढाई हैक्टेयर भूमि पर से लगान को माफ करने की बात कही गयी है। इस सम्बन्ध में मैं यह अर्ज करना चाहती हूं इससे हमारी जनता गुमराह हो रही है।

(श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर)

यह ऐसा सोचती है कि जिनके पास थोड़ी सी जमीन है, उसका लगान माफ हो गया तो उनके पास उनकी जमीन का कोई प्रमाण नहीं रहेगा कि यह उनकी भूमि है। इसके लिए कोई ऐसा माध्यम निकाला जाना चाहिए ताकि उन्हें यह सन्तोष रहे कि हमारी जमीन पर कोई दूसरा कब्जा करने वाला नहीं है।

इस सम्बन्ध में मेरा एक छोटा सा सुझाव है। गांवों का विकास हो। जिस प्रकार शहरों के विकास के लिए मास्टर प्लान बनाया जाता है ठीक उसी प्रकार से गांवों के विकास के लिए मास्टर प्लान बनाया जावे। आज गांवों के जो मकान हैं, कहीं पर कचरे की रोडियां हैं, कहीं पर पानी भरा है, वहां पर मच्छर उत्पन्न होते हैं और मच्छरों से मलेरिया फैलता है। वहां पर व्यवस्थित ढंग से कोई योजना नहीं होती है। भविष्य में वहां पर स्कूल हों, पोस्ट आफिस हों, अस्पताल हों। भविष्य में गांवों के विकास की योजना के अन्दर, सभी सुविधाओं को देने के लिए एक सार्वजनिक योजना होनी चाहिए। आज गांव में जहां कहीं पर भूमि मिलती है वहीं पर लोग छोटी मोटी झोंपडी बना कर रहने लगते हैं। कचरा मकान के पास ही या थोड़ी दूर पर फेंक देते हैं और उसके आस पास ही मल-मूत्र त्याग देते हैं। मास्टर प्लान के अन्तर्गत अगर गांवों का विकास हो तो संभवत: वह ज्यादा अच्छा होगा।

इसके अलावा मैं थोड़ा, श्रीमान्, आपका ध्यान ग्रामीण सहकारी समितियों की ओर भी दिलाना चाहती हूं। जैसा कि राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में कहा है सहकारिता के माध्यम से गांवों का विकास होगा। मैं यह अर्ज कर देना चाहती हूं कि यह अच्छा है कि सहकारिता से गांवों के विकास में सहायता मिलेगी परन्तु मेरा निवेदन करना यह है कि इसमें हमें पुराने तौर तरीकों को छोड़ना पड़ेगा। मैं अभी पिछले दिनों अपने निर्वाचन क्षेत्र कपासन गई थी, वहां पर मेरे सामने सहकारिता के इतने घोटाले आये कि मैं आपको कुछ अर्ज नहीं कर सकती। इस सम्बन्ध में मैंने कई प्रश्न पेश किये हैं। इस सम्बन्ध में मैं एक–दो छोटी मोटी बात निवेदन कर देना चाहती हूं। कपासन में एक सहकारी समिति है. उसका एक सदस्य गमेरा नाम का व्यक्ति है। उसको मरे हुए 6 वर्ष हो गये हैं। उसके मरने के तीन वर्ष पश्चात् उसके नाम से कर्जा लिया गया। इसी प्रकार की शिकायतें और भी हैं। कई व्यक्ति तो ऐसे मिले, जिन्होंने कर्ज का भुगतान कर दिया और उनके पास रसीदें हैं लेकिन वह रोकड़ में जमा नहीं हैं। मैं यह अर्ज करना चाहती हूं कि जिस प्रकार से लोगों को, जो बैंक में खाता रखते हैं, पास बुक दी जाती है, जो कर्जा मिलता है, वह पास बुक में लिखा जाता है और हिसाब-किताब रखा जाता है, उसी प्रकार से समितियों को भी पास बुक जारी करनी चाहिये और हिसाब-किताब लिख कर उस पर समिति वालों के हस्ताक्षर होने चाहिये ताकि इस प्रकार घोटाले की संभावना नहीं हो सके।

इसके साथ ही सहकारी समिति ग्राम भट्टों का बामण्या की एक बात और बताना चाहती हूं। तहसील कपासन में बुनाई उद्योग का प्रशिक्षण देने के लिए एक बिल्डिंग बनाई गई। भवन निर्माण किया गया है, वह भवन निर्माण कागज में हुआ है। कागजों के अन्दर

(श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर)

बुनाई की मशीन आदि भी बताई गयी हैं। वहां पर पट्टियां पड़ी हुई हैं, दीवारों पर प्लास्टर नहीं हुआ है और न किवाड़ ही लग पाये हैं। लेकिन कागजों में यह सब दर्शाया गया है कि इतने बुनकरों को इतना रोजगार मिल गया है। मैं यह अर्ज कर देना चाहूंगी कि सहकारी समितियां बनाई जायें, सहकारिता के माध्यम से लोगों को फायदा दिलाया जाये परन्तु साथ ही उनकी निगरानी भी अच्छे तरीके से रखनी होगी।

इसके अतिरिक्त मैं महिलाओं के बारे में भी अर्ज कर देना चाहती हूं। हमारे उदयपुर क्षेत्र के चित्तौड़ जिले से केवल मैं ही एक महिला प्रतिनिधि हूं। जहां तक राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में फर्माया कि महिलाओं के कल्याण की समीक्षा की जाए, मैं यह मानती हूं, यह हो। मेरा यह मानना है कि मेरे गांव में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं भी खड़ी हों परन्तु इस सदन के अन्दर महिलाओं की संख्या को देख कर लगता है कि महिलाओं के साथ पूरा न्याय नहीं हुआ है।

श्रीमान्, रोजगार के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगी। हमारे समाज के अन्दर पढ़ी-लिखी महिलाएं हजारों की संख्या में हैं। वे इन्टरव्यू के अन्दर आती हैं, देखते हैं, एक-दो पोस्ट के लिए दो-सौ तीन-सौ महिलाएं आती हैं। तो महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाये। इसके ऊपर भी विचार किया जाये।

शिक्षा के बारे में राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में जिक्र किया है, उसके विषय में भी मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। कि संस्कृत शिक्षा को इसमें प्राथमिकता दी जाये। क्योंकि हमारा पुराना ज्ञान-विज्ञान महाभारत और रामायण तथा पुराने संस्कृत ग्रन्थों में है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्रीमान्, मैं समाप्त करती हूं।

मैं अर्ज करना चाहूंगी, जब यह वैज्ञानिक एरोप्लेन बना रहे थे, उससे पहले ही हमारे यहां ग्रन्थों में पुष्पक विमान का वर्णन आया है। शिक्षा के विषय में मैं थोड़ा अर्ज करना चाहूंगी, हमारे बच्चों को संस्कृत शिक्षा दी जाये। उनको समय पर रोजगार मिलना चाहिए।

इस प्रकार से राज्यपाल महोदय ने जो भाषण सदन में दिया उसमें ग्रामों से सम्बन्धित छोटी से लेकर शहरों की बड़ी तक सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान किया गया है। मैं इसके लिए उनका अभिनन्दन करती हूं और धन्यवाद देना चाहती हूं।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद चल रहा है। पहले तो मैं कुछ सवालों का जवाब दूंगा जो कि मैं जरूरी समझता हूं। कांग्रेस में 41 सदस्य चुनकर आये हैं, और जनता पार्टी के सदन में 150 विधायक महोदय हैं और बाकी के आठ हैं। आप को क्या 100% वोट राजस्थान की जनता ने दिये हैं? आप अपने मतों का अनुपात देखिये। पालियामेण्ट में राजस्थान की जनता ने तकरीबन 60% वोट दिया है। विधान सभा में 48% से ज्यादा नहीं दिया है।

एक माननीय सदस्य : फर्स्ट डिविजन और सैकण्ड डिविजन तो आये हैं।

श्री अब्दुल अजीज : मगर इस सदन में, मुझे अफसोस है, गृह मंत्री और हमारे मुख्य मंत्री नहीं बैठे हैं। इस देश में और राजस्थान में इमर्जेंसी से पहले कई बार ऐसी हालत गुजरी है जिसको मैं कह नहीं सकता हूं। आप तो जेल गये हैं लेकिन मैं कहता हूं कि फसादात में ऐसी हालतें कर दी गईं कि वह किसी काबिल नहीं रहे हैं।

(व्यवधान)

मैं निवेदन करूंगा कि इमर्जेंसी में किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं था।

एक माननीय सदस्य : मुजफ्फरनगर की घटना भूल गये ?

एक अन्य माननीय सदस्य : जब बुलडोजर चलाये गये, वह भी भूल गये ?

श्री अब्दुल अजीज : अगर इस आने वाले खतरे की तरफ सरकार ने निगाह नहीं रखी तो आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा पैदा होगा और वह देश के लिए ठीक नहीं होगा। हमें उसका ध्यान रखना होगा। इमर्जेन्सी के हटने के बाद देश में लो लॉसनेस आयी है, मैं चाहूंगा कि हम कानून की इज्जत करें। हर कानून तोड़ने वाले को सजा दी जाये।

एक और बात मैं निवेदन करना चाहूंगा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हिन्दी भाषा की बात तो कही गई है। लेकिन मैं उर्दू जानता हूं उर्दू के बारे में बात करूंगा कि उर्दू के बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कुछ भी नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पेज नम्बर 13 पर माइन्स के बारे में कुछ लिखा गया है। माइन्स के डवलपमेंट के बारे में कहा गया है। मैं निवेदन करूंगा कि क्या सड़कों के बना देने से माइन्स डवलप होती हैं ? मैं मकराना का रहने वाला हूं। वहां का नायाब संगमरमर विदेशों में भी जाता है। बहुत बड़ा एरिया है। 4 करोड़ रु. की सम्पत्ति मकराना शहर देता है वह माइन्स का क्षेत्र देता है। आज वहां की क्या हालत है। हमारी माइन्स आज वहां पर पानी में डूबी हुई पड़ी हुई हैं। यह बहुत बडी समस्या है, माइन्स के डवलपमेंट की। अगर खनिज डिपार्टमेंट सतर्क होता तो मकराना की माइन्स जो पानी में डूबी हुई हैं, वह पानी में नहीं डूबी रहतीं। वहां पर लोग बेकार हैं। इसलिए आप माइन्स के डवलपमेंट की योजना बनायें। गुजरी हुई सरकार ने एक साधन जुटाया था 22 मशीनें लगाकर कुछ पानी निकाला था। अध्यक्ष महोदय, उन माइन्स के पास करोड़ों मन मलवा पड़ा हुआ है। जिसके नीचे से कई रेंजें निकल सकती हैं। मैं राजस्थान सरकार की माइन्स डवलपमेंट कमेटी का मेम्बर भी रहा हूं। मुझे चूंकि समस्याओं की जानकारी है इसलिये उनको मुख्य मंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहता हूं। किस प्रकार से संगमरमर की खानों को डवलप कर सकें, इसके लिए मौजूदा सरकार को ध्यान रखना चाहिये। केवल सड़कों के बनाने से डवलपमेंट नहीं होता है। पिछली सरकार ने वहां पर कुछ व्यवस्था की थी लेकिन जैसे ही सरकार बदली, उसके बारे में अब क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं है। मकराना में मार्बल इण्डस्ट्री को डवलप करने के लिये 132 के. वी. का बिजली घर बनाया गया। करीब 100 कारखाने लोगों ने बना लिये। करोड़ों की सम्पत्ति लगाने

(श्री अब्दुल अजीज)

बाद अब उनको कनेक्शन्स नहीं दिये जा रहे हैं। इसके लिये ट्रांसफार्मर की बात कही जा जा रही है। मैं मुख्य मन्त्री महोदय एवं विद्युत मंत्री को कहूंगा कि मार्बल इण्डस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए इस सरकार को ध्यान देना चाहिये। मकराना नगर एक ऐतिहासिक नगर है। देश विदेश से लोग संगमरमर खरीदने के लिए आते है। अगर राज्य सरकार नगर पालिका मकराना को स्पेशल अनुदान दे तो वहां का कुछ विकास हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, वहां लोकल सैल्फ गवर्नमेंट को विशेष तौर से ध्यान देना चाहिये।

दूसरी बात मैं उस आर्टिकल के बारे में निवेदन करूंगा जो कि जनता पार्टी का डिक्लेरेशन था। मेरा निवेदन है कि संगमरमर के उद्योग को खनिज विभाग को योजना बना कर सब्सीडाइज करना चाहिये। लोगों को सही तरीके से राहत देनी चाहिये।

उर्दू के बारे में विशेष तौर से ध्यान आकर्षण करता हूं। पिछली सरकार ने उर्दू अकादमी कायम की अब उसके अन्दर क्या डवलपमेंट हो रहा है, क्या और किस तरह की गतिविधियां हो रही है, इसके लिये क्या फण्ड्स रखे गये हैं उसके बारे में अभिभाषण चुप रहा है। इसलिए मैं राज्य सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस बारे में विशेष तौर से जानकारी दी जाय, उर्दू जुबान भी क्या तरक्की कर रहे हैं ?

अन्त में, अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि पिछड़ी जाति के लोगों के खेतों को जोतने के बारे में, उनको रोकने के बारे में हमने कल स्थगन प्रस्ताव दिया था, वह केवल इसलिए टाल दिया गया कि उससे कुछ सामन्तशाही लोगों पर असर पड़ता था। मैं जानता हूं हमारे मकराना में कल्याणसिंह जी जनता पार्टी के उपाध्यक्ष खड़े हुए थे, उनके यहां पर आये दिन मेला और आयोजन लगे रहते है, मैं इनकी परवाह नहीं करता। लेकिन सामन्तशाही को प्रोत्साहन देने के लिये खेत नहीं जोतने दिया जाय लोगों को, हरिजनों को और पिछड़े वर्ग के लोगों को खेतों पर नहीं जाने दिया जाय, उससे सम्बन्धित स्थगन प्रस्ताव को आपने खारिज कर दिया यह, अध्यक्ष महोदय, आपकी XXX है। इस तरह से आप उन लोगों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, जिन्होंने आप लोगों को चन्दा दिया है। आप लोग उन पिछड़ी जातियों के लोगों की बात नहीं सोचते हैं। मुझे सख्त अफसोस है इस बात का। मैं इस सदन में मंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि वह पुनः मालूमात करके यह पता लगायें कि कौन लोग हैं जिन्होंने उनको खेत नहीं जोतने दिया और उनको खेतों करने से रोका ? वह सब सामन्ती लोग थे। इस बात पर आप विस्तार से विचार करें। यह होना चाहिये कि आइन्दा कोई इस तरह की हिम्मत नहीं करे और न इस तरह की बात हो। वहां पर ज्यादा सामन्तशाही रहे है और [illegible] पिछड़ी जाति के लोग हैं उन्होंने उ[illegible] काज करना मुश्किल कर दिया है। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके आप सामन्तशाही को कभी नाजायज सहायता मत दीजिये। मुझे मालूम है कि जनता

XXX शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अब्दुल अजीज)

पार्टी के ऊपर सामन्तशाही और जनसंघ का प्रभाव रहा है। मैं इसका प्रभाव देख रहा हूं, उनका बोलने का तारीका ऐसा ही है। उनकी तमाम बातें ऐसी हैं। दल में और सरकार में भी वही लोग छाये हुए हैं, सरकारी मशीनरी में भी वही लोग हैं। सब लोग अपने लोगों के ट्रान्सफर करवाने में लगे हुए हैं यह मैं जानता हूं। मैं सरकार और माननीय मन्त्रीजी को कहना चाहता हूं कि मुझे आपका हर भेजा हुआ आदमी स्वीकार है लेकिन अगर गरीबों के साथ कोई गड़बड़ी की गई या और कोई इस प्रकार की बात हुई जिससे जनता को नुकसान हो तो वह कभी बरदाश्त नहीं किया जायेगा। इसलिए जो कार्य की रीति-नीति आपने और आपके अफसरों ने अपनाए रखी है उससे मैं सन्तुष्ट नहीं हूं। आपने ऐसे ट्रान्सफर्स किये हैं जो एक वर्ग विशेष की तरफदारी करते हैं। इसलिए आपको अपनी नीतियों को बदलना चाहिए और सही रूप से उनको लागू करके लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए, चाहे वे किसी भी इलाके के रहने वाले हों। हमेशा जनता की तरक्की और बहबूदी के लिये आपको कदम उठाने चाहिए। जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया इसलिए उनको आपकी ओर से तकलीफें दी जायं, यह कोई अच्छा लोकतन्त्र नहीं होगा। इसलिए, अध्यक्षजी, इस देश की इज्जत को बचाने के लिए जो लोकतन्त्र कायम किया है तो आप जनहित के कार्यों को देखिये न कि वर्ग विशेष की तरफ आप ध्यान दें। एक तरफ आप भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ सामन्तशाही की तरफदारी करते हैं, यह हमारे देश की रीति-नीति में नहीं है। आपको अपने उस माहोल को छोड़ना होगा जो आपकी पार्टी का माहोल है। जो आपके केन्डीडेट हैं उनको लाने के लिए, उनको कामयाब बनाने के लिए हर तरीके अपनाए गए, अनुचित कदम उठाए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपने जो तरीके अपनाये, उनमें सुधार लाना होगा। पहले जो तरीके काम में लिये गये मौजूदा सरकार भी वही परम्परा चला रही है। गुटबन्दी के सहारे पर कोई ट्रान्सफर करना यह कोई लोकतान्त्रिक काम नहीं है। इसलिए मैं शेखावत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस परम्परा को प्रोत्साहन न दें और अगर कोई पोलिटिशियन भी इसमें इन्डल्ज हो तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाय। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कुछ बातें जो रह गई हैं उनको जोड़ा जाना चाहिए और विशेष तौर से खनिज के मामले को, अराजकता के मामले को, उसको दबाने के मामले को और सतर्कता से रहने के मामले को। मकराना नगर के विकास के लिए लोकल बाडीज द्वारा विशेष अनुदान दिया जाय। वर्ग विशेष को ही या सामन्तों को ही केवल राहत नहीं मिले, समानता रहनी चाहिए यह बात अभिभाषण में नहीं आई है इसलिए मुझे खेद है कि इस अभिभाषण में कोई बात प्रशंसनीय नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री माधवसिंह सोलंकी !

(अनुपस्थित)

श्रीमती सुमित्रा सिंह !

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जहां विगत वर्ष की उपलब्धियों का लेखा-जोखा होता है, वहां आने वाले वर्ष में राज्य की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक भी होता है। मुझे बड़ा दुःख हो रहा है यह कहते हुए कि राज्यपाल महोदय के

Page No 42

५२

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

अभिभाषण में इन दोनों ही बातों का प्रतिबिम्ब नहीं हो पाया है। यह भाषण न आने वाले वर्ष की प्रगति की आकांक्षाओं को, आशाओं को प्रतिबिम्बित करता है।

(1.30 म.पू.)

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री, सभापति, पीठासीन)

न विगत वर्ष की उपलब्धियों का लेखा-जोखा ही है। ऐसा लगता है कि राज्यपाल महोदय अभिभाषण नहीं कर रहे थे बल्कि एक राजनेता अपना अभिभाषण दे रहे थे। कई बार भाषण के दौरान उन्होंने 'हम' शब्द का प्रयोग किया है। मैं उन शब्दों को यहां पर दोहराना चाहूंगी और आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूंगी कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में पहले पृष्ठ पर ही कहा है, 'हम सब इस अहिंसक क्रान्ति के भागीदार हैं।' मैं इस सम्बन्ध में सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि उन्होंने दूसरे पेज पर यह भी कहा है "देश की जनता पुनः अपनी खोई हुई स्वतन्त्रता प्राप्त करने में सफल हुई है। देश की जनता के साथ हम सब दूसरी बार स्वतन्त्रता प्राप्ति के इस महायज्ञ के द्रष्टा व सृष्टा हैं। वर्तमान सरकार इस स्वतन्त्रता को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए भरसक प्रयत्न करती रहेगी।" राज्यपाल इस क्रान्ति से द्रष्टा तो हो सकते है परन्तु सृष्टा भी हो गये यह समझने की बात है। मुझे खुशी है कि उन्होंने कम से कम वर्तमान सरकार को दिशा दी है। यदि जनता की आकांक्षाओं को जगाया है तो उन आकांक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी सभी नव-निर्वाचित सदस्यों पर है।

छठी विधान सभा का यह पहला अधिवेशन है और मुझे पहली बार कहने का मौका मिला है इसलिये मैं सभी नव-निर्वाचित सदस्यों का अभिनंदन करती हूं और आप सबको आगाह करना चाहती हूं कि जनता पार्टी के सारे नव-निर्वाचित सदस्य केवल आपातकाल, जिसके बोझ की गठरी से हम दबे हुए हैं, का राग ही न अलापते रहें बल्कि 25 या 30 सालों में कांग्रेस ने क्या किया है वह भी कहें। इस पाप की गठरी के नीचे हम इतने दब गए कि जनता का विश्वास हमें न मिल कर आपको मिला।

कई माननीय सदस्य : आपको महसूस हुआ इसके लिए धन्यवाद।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, मैं आपके जरिए नव-निर्वाचित सदस्यों से निवेदन करना चाहती हूं कि इस सदन की परम्परायें हैं, नियम हैं, उनका आप थोड़ा ख्याल रखें। I am in possession of the floor मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया जाए।

श्री सभापति : कृपया बीच में न बोलें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जो कुछ निवेदन आपको करना है, सभापति के जरिए करिए और पाइंट आफ आर्डर उठायें ताकि मैं अपना स्थान ग्रहण कर सकूं। मैं सदन की परम्परा की बात कह चुकी, गरिमा की बात कह चुकी, अब महिमा के बारे में कहना है। माननीय सदस्यों, आप नए नए आए हैं, देखिए आप उत्तेजित न हों।

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : पाइंट आफ आर्डर। आप इस सदन की महिमा तोड़ने के लिए....

श्री सभापति : यह पाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हर मौके पर अपनी बात कहनी होती है। आप सत्तारूढ़ दल में हैं, आपकी परम्परायें और हैं, आपके लिए तौर-तरीके और नियम और हैं। आप नए नए आए हैं, सीखिए, आपको काफी सीखना है।

तो मैं निवेदन कर रही थी कि एक बार की विजय से आप फूल कर कुप्पा हो गये हैं, अफसोस है। कांग्रेस पार्टी एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार लगातार विजयी हुई है और लोक सभा में 1971 के अन्दर जितना जबर्दस्त बहुमत कांग्रेस को मिला था उतना तो आपको लोक सभा में मिला भी नहीं है। तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है न केवल लोकतंत्र को पनपाने की, उसको अक्षुण्ण रखने की, न केवल सदन की गरिमा बनाए रखने की बल्कि 2।। करोड़ जनता की जो आशायें और आकांक्षायें हैं, जो भरोसा आपको मिला है जो आपने वायदे किए हैं, आश्वासन दिए हैं, वे पूरे करने हैं। सदन में इस प्रकार का हंगामा मचाकर, केवल एक ही राग अलापने से, आपातकाल की ज्यादतियों को बार-बार दोहराने से आपका उत्तरदायित्व खत्म नहीं होता।

मुझे आपकी जिम्मेदारी की याद दिलानी है। यदि शासक दल नैतिकता की बात करता है तो मैं उसको याद दिलाती हूं कि लोक सभा के चुनाव की बात छोड़ दीजिए। विधान सभा के चुनाव में बाड़मेर में 8 में से 5 स्थान कांग्रेस को प्राप्त हुए, कांग्रेस पार्टी को जनता पार्टी के मुकाबले 40 हजार वोट ज्यादा मिले। जालौर में भी कांग्रेस को जनता पार्टी से ज्यादा स्थान और वोट मिले। झुन्झुनूं में भी कांग्रेस पार्टी को तीन सीटें मिलीं लेकिन जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस को 6 हजार वोट ज्यादा मिले। इसी प्रकार जोधपुर में भी 9 सीटों में से 8 सीटों के चुनाव हुए हैं वहां 6 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई हैं, 6 नहीं 5 सीटें। टोटल वोट्स सीक्योर्ड कांग्रेस के जनता पार्टी के मुकाबले ज्यादा हैं। नैतिकता की बात करने वाले, नैतिकता का दावा करने वाले लोगों को मैं चुनौती देना चाहती हूं कि बाड़मेर, झुन्झुनूं, जालौर और जोधपुर के लोक सभा सदस्यों को क्यों नहीं त्याग-पत्र दिलवा कर दुबारा चुनाव कराते हैं? जब कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला तब तो कहते थे कि चाहे टर्म पूरा हुआ है या नहीं, आपके गृह मंत्री कहते थे कि नैतिकता के आधार पर कांग्रेस को राज्य करने का हक नहीं है। अब क्यों चुप हो? आपकी जबान को क्या हो गया? क्यों ताला लगा हुआ है?

कई माननीय सदस्य : कोई ताला नहीं है।

श्री सभापति : बोलने दीजिए।

श्री नवनीत पालीवाल : वह चेलेंज कर रही हैं।

श्री जय नारायण सालोदिया (निवाई) : वह कह रही हैं कि मुंह क्यों बंद कर रखा है।

श्री सभापति : कृपया शांत रहें।

श्री जय नारायण सालोदिया : पाइंट आफ आर्डर। वह चेलेंज कर रही हैं कि हमारा मुंह बंद क्यों है।

श्री सभापति : पाइंट आफ आर्डर पैदा नहीं होता।

श्री जय नारायण सालोदिया : हमारा मुंह कभी बंद नहीं हुआ है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं निवाई से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहती हूं कि सदन की शिष्टताएं और परम्पराएं उनको मालूम हैं, बाकी तो नए सदस्य हैं। आपको याद दिलाना चाहती हूं, शायद 5 वर्ष में भूल गए। आपको अपनी बात कहने का हक है। जब आपका समय आए तो मेरी बातों को कान्ट्रेडिक्ट करें, मेरी सब बातों का जवाब दें लेकिन बीच में रोकते व टोकते हैं तो, सभापति महोदय मैं आपका प्रोटेक्शन चाहूंगी। इस तरह से मुझे बार बार डिस्टर्ब न किया जाए।

एक माननीय सदस्य : लेकिन आप हमारी नैतिकता चैलेंज नहीं करेंगी।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय सभापति महोदय, इन्हें यह भी पता नहीं है नये माननीय सदस्यों को कि आसन का कहना मानना चाहिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, हम तो सब जानते हैं। आप यह कह रही हैं कि यह कुछ नहीं जानते हैं। वह बात नहीं है जितनी किताबें आपने पढ़ी हैं उतनी किताबें हमने भी पढ़ी हैं और हम भी अपना कर्तव्य जानते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इन्हें बोलने दीजिये। आप बैठिये। अगर आप बोलेंगे तो फिर माननीय सदस्या बाद में समय मांगेंगी।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, यह हमें चैलेन्ज कर रही हैं। यह कह रही हैं कि यह नये हैं इन्हें ज्ञान नहीं है। उसकी बात कह रहे हैं। हममें भी ज्ञान है इसलिये कह रहे हैं। ऐसी बात तो नहीं है कि हमें कुछ नहीं आता, कोई ज्ञान नहीं है हममें, माननीय सदस्या ही ज्ञान की भण्डार बनी हुई हैं और हमें कुछ नहीं आता।

श्री सभापति : महिलाओं ने तो हमेशा चैलेन्ज किया है।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : सभापति महोदय··

एक माननीय सदस्य : प्रोन ए पोइन्ट आफ आर्डर··

श्री सभापति : आप बैठिये। आप बोलिये।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय सभापति महोदय, हर आदमी को बोलने का हक है। मैंने यह कभी दावा नहीं किया कि मैं आपसे ज्यादा ज्ञान रखती हूं। मैं तो कहती हूं कि आपके मुकाबले में तो कुछ नहीं जानती हूं आपको भी बोलने का समय मिलेगा उस वक्त आप बोलें। मुझे आप बोलने दें। आप मुझे बीच में रोकें नहीं, बीच में टोकें नहीं।

तो, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन कर रही थी कि माननीय सदस्य मेरी बात सुन कर इतने उत्तेजित क्यों हो गये? इतना परेशान होने की बात नहीं। माननीय सदस्यों को चाहिये कि जरा सब्र करना सीखें, दूसरे की बात सुनना सीखें और अगर आपको कुछ कान्ट्रेडिक्ट करना हो तो आपको मौका मिलेगा तब करना।

(व्यवधान)

श्री जयनारायण सालोदिया : आप चैलेन्ज कर रही हैं इसलिये बोल रहे हैं। मुंह बन्द नहीं है।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा, आप बीच में व्यवधान नहीं करें। इन्हें बोलने दीजिये।

श्रीमती सुमित्रासिंह : सभापति महोदय, जैसा कि मैं निवेदन कर रही थी, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के दौरान अपने भाषण में यह कहा कि देश में अधिनायकवाद के उन्मूलन से एक बार पुन: स्वस्थ प्रजातन्त्र की स्थापना भारतीय जनता पार्टी द्वारा हुई। जनता पार्टी का जन्म अधिनायकवाद के विरुद्ध जनता के संघर्ष की अभिव्यक्ति के रूप में हुआ। आजादी के बाद एक ही राजनैतिक पार्टी के सत्ता में बने रहने के कारण हमारे राष्ट्रीय जीवन में जड़त्व पैदा हो गया। तो मैं, सभापति महोदय, माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगी कि जनता ने न्यायपालिका को स्वतन्त्रता देने, द्रुत आर्थिक एवं सामाजिक विकास तथा प्रजातान्त्रिक मूल्यों की पुन: स्थापना के लिये जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया। मेरा निवेदन यह है कि आपको जनता ने चुनावों में जिता कर इन चार बातों को पूरी करने के लिये भेजा है।

इसके अलावा राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में शिक्षा के बारे में भी कहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आज भी राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। इसमें आगे यह नहीं कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या सिर्फ इतना कह कर ही सन्तोष कर लिया कि शिक्षा के क्षेत्र में आज भी राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। उन्होंने अपने अभिभाषण में यह नहीं बताया कि कैसी शिक्षा हो, उसमें किस प्रकार से कार्य करना चाहिये जिससे शिक्षा में पिछड़ापन जो है वह दूर हो जाय। क्या योजनायें उसमें लागू की जानी चाहिये। शिक्षा में क्या आमूल-चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। महिला शिक्षा के बारे में भी कुछ नहीं कहा। महिला शिक्षा को किस तरह से प्रोत्साहित राज्य सरकार करेगी, किस तरह से टैक्निकल शिक्षा दी जाये, शिक्षा को व्यवसाय से कैसे जोड़ें, शिक्षा को कैसे प्रोत्साहित किया जाय और उसमें क्या क्या परिवर्तन किये जायेंगे इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है।

इसी तरह से, सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सड़कों के बारे में भी यह कह कर सन्तोष व्यक्त कर दिया है कि अब तक जो राज्य में सड़कों का काम हुआ है उसमें काफी गड़बड़ घोटाले हैं, काफी अनियमिततायें हुई। तो इसके लिये मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि अगर कहीं पर घोटाले हुए हैं तो आप उनकी इन्क्वायरी क्यों नहीं कराते हैं? आप उन घोटालों की जांच करा कर जो भी दोषी व्यक्ति हों उनके खिलाफ में एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? अगर सड़कों के निर्माण में बेइमानी की गयी है तो आप खास तौर से उनकी जांच करायें और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें।

सभापति महोदय, जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार की जननी है। अगर कांग्रेस सरकार को आप भ्रष्टाचार की जननी मानते हैं तो आप उस भ्रष्टाचार को दूध क्यों पिला रहे हैं? आप भ्रष्टाचार रूपी शिशु को पालना क्यों कर रहे हैं? आप उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में कार्य-

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

वाही क्यों नहीं कर रहे हैं ? जैसा कि, सभापति महोदय, शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने भ्रष्टाचार के बारे में सदन में उदाहरण दिया था उसको मैं दोहराना तो नहीं चाहूंगी पर इतना जरूर बताना चाहती हूं कि अगर आपने भ्रष्टाचार को मिटाने का संकल्प किया है तो आप उसके अनुरूप कार्यवाही क्यों नहीं करते ? उसके अनुरूप काम कीजियेगा । सिर्फ सड़कों के बारे में घोटालों की जांच करने से ही राजस्थान की सड़कों का विकास नहीं होगा । आज हजारों-लाखों गांव ऐसे हैं जो कि सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं । उनको सड़कों से जोड़ना अनिवार्य है, नहीं तो राजस्थान का सही रूप से विकास नहीं होगा । सड़कों में जो घोटाले हुए हैं उनकी जांच करने से संचार व्यवस्था ठीक थोड़े ही हो जायेगी । आज राजस्थान की जनसंख्या ज्यादातर गांवों में है और गांव सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं । राज्यपाल महोदय ने उनके बारे में कुछ नहीं कहा । आप कुछ तो स्पष्ट करिये । आज राजस्थान की ढाई करोड़ जनता आपकी ओर टकटकी लगाये देख रही है । आप चाहे पहले सड़कों के गड़बड़ घोटालों की जांच करायें पर सड़कों का विकास तो करिये ।

इसके अलावा आप जो गड़बड़ घोटालों की जांच की बात करते हैं वह तो ठीक है लेकिन भूखे पेट घोटालों की जांच से थोड़े ही भर जायेंगे । आप बेरोजगारी मिटाने के लिये क्या कर रहे हैं ? आज राजस्थान में लाखों लोग बेकार हैं । हर साल लाखों बेकारों की फौज तैयार हो जाती है । जो कि बिना रोजगार बैठे हुए हैं उन लाखों बेरोजगारों को काम की जरूरत है । मेरा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध है कि हर आदमी के दो हाथों को काम मिलना चाहिये । मैं यह नहीं कहती कि हर आदमी को आज ही काम दें पर कोई आप बात स्पष्ट तो बताइये कि किस प्रकार आप बेरोजगारी को खत्म करेंगे । कोई योजना तो बनाइये । आज नहीं पांच साल में, दस साल में बेरोजगारी खत्म करने की कोई तो आपकी योजना होनी चाहिये जिससे कि आप बेरोजगारी की समस्या का हल कर सकें । आप इस तरह से शिक्षा दीजिये ताकि हर व्यक्ति शिक्षा पाने के बाद अपने पैरों के बल पर खड़ा हो सके । लेकिन खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं किया है ।

माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में पेन्शन एवं ग्रेचुटी के मामलों में शीघ्र भुगतान किये जाने के बारे में भी जिक्र किया है और यह कहा है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने दस दस साल के पेन्शन एवं ग्रेचुटी के केसेज अभी तक लटका रखे थे । लेकिन केवल यह कह कर वह मौन हो गये कि प्रभावी कदम उठा रहे हैं । कोई समय की निश्चित अवधि तो होनी चाहिए थी, कोई अवधि तो बतानी चाहिए थी । वह कहते कि अगले 6 महीनों के अन्दर या 12 महीनों के अन्दर या दो साल में हम पुराना एक भी केस लटका हुआ नहीं रहने देंगे या जो आदमी जब रिटायर होगा उसके रिटायरमेंट के बाद की कोई अवधि देते और बताते कि इतने समय के अन्दर उसकी पेन्शन और ग्रेचुटी का मामला जनता सरकार के प्रशासन में सुलट जायेगा । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई अपनी तरफ से निश्चित

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)
अवधि नहीं बताई, कोई संकेत नहीं बताया।

माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह भी कहा है कि भ्रष्टाचार का व्यापक विस्तार हुआ है। सुबह मुख्य मंत्रीजी भी प्रश्न काल में कह रहे थे कि भ्रष्टाचार का व्यापक विस्तार हुआ है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह भी कहा कि जनता सरकार स्वच्छ प्रशासन देने के लिए कटिबद्ध है। बड़ी खुशी की बात है कौन चाहता है कि भ्रष्टाचार पनपे। कोई पैरवी नहीं करता भ्रष्टाचार की लेकिन उस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कौन से कारगर कदम होंगे, कौन सी आपकी योजना है, कौन सी आपकी ऐसी बात है कि जिससे माना जा सके या इस बात का सबूत हो कि वास्तव में ईमानदारी के साथ आप भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं? इसका कोई भी उल्लेख माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह तो, सभापति महोदय, आप मेरे साथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं। लोगों ने मुझे बीच में काफी अब्सट्रक्शन पहुंचाया। मुझे पांच मिनट का समय और दिया जाये।

मैं निवेदन कर रही थी कि एक तरफ तो राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बार बार दलित वर्ग के उत्थान के लिए कहा है और इस बात को कहा है कि अनुसूचित जाति और जन जाति के उत्थान के लिए यह सरकार कटिबद्ध है और उनके अधिकारों के लिए चिंतित है। आज कौन इस बात से इन्कार करेगा? आज बिहार और यू. पी. के अन्दर हरिजनों के साथ क्या हो रहा है उस तरफ नहीं जाना चाहती हूं। पार्लियामेंट के मेम्बर्स ने और पार्लियामेंट में जनता पार्टी के खुद जनरल सैक्रेट्री ने इस बात को कहा कि बिहार में क्या हो रहा है, कितनी एट्रोसिटीज और कितनी ज्यादतियां वहां हरिजनों के साथ हो रही हैं। मैं बिहार और यू. पी. के उदाहरण नहीं देना चाहती हूं, मैं राजस्थान का ही उदाहरण देना चाहती हूं। यदि कोई ट्रेजरी बेन्चेज के सदस्य हैं तो कृपया नोट कर लें। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि एक तरफ तो आप अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान के लिए बड़े चिन्तित हैं और उनके अधिकारों के लिए भी चिन्तित हैं और जागरूक हैं और दूसरी तरफ जनता पार्टी के प्रशासन में क्या हो रहा है, हरिजनों के साथ क्या एट्रोसिटीज बरती जा रही हैं जरा सुनिये तो सही। झुंझुनू जिले के अन्दर चिड़ावा तहसील में एक गांव है लाखू वहां पर 8-7-77 को मांगूराम पुत्र रामदेव चमार के खेत के ऊपर वहां के सरपंच सुगड़ा राम ने कब्जा कर लिया। वह रोता रोता मेरे पास आया। मैंने उसे अपनी राय तो दी। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि अभी तो एक महीना भी नहीं हुआ है, एक महीने के अन्दर तो आपको इस बात के लिए ज्यादा जागरूक होना चाहिए और उनके हितों के लिए अधिक चिन्तनशील होना चाहिये था। अभी से यह कहर ढाने लगे तो आगे क्या होगा? मैं कहना चाहती हूं कि इतना ही नहीं दूसरा किस्सा आपको और बताना चाहती हूं ...

श्री प्रेमसिंह सिंघवी: क्या कहा आपने उनको?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने यह कहा कि उसके खेत के ऊपर सरपंच ने कब्जा कर लिया और वह रोता रोता फिर रहा है। अभी तक उसकी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

दूसरा उदाहरण मैं आपको निवेदन करना चाहती हूं, सभापति महोदय, चिड़ावा तहसील में ही एक दूसरा गांव खड़ो त है वहां रामकुमार पुत्र लीलूराम नाम के हरिजन को अमरसिंह, जयसिंह, मोहनसिंह और राजकुमार महावीरसिंह ने रात के 12 बजे बुरी तरह से पीटा। उसके साथ मारपीट की और भी जो कुछ हुआ उसे मैं कहना नहीं चाहती लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। उसने कोर्ट के अन्दर केस दायर किया है। एक तरफ तो आप इस बात की घोषणा करते है कि उनके हितों के प्रति हम जागरूक हैं और दूसरी तरफ ऐसी ज्यादतियां होती हैं और कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। तो इस बात से हम क्या समझें ? आप संरक्षण दे रहे हैं उन असामाजिक और असरदार तत्वों को या क्या कर रहे है, समझ मे नहीं आता।

सभापति महोदय, मैं निवेदन कर देना चाहती हूं आपके जरिये न केवल सदन में बल्कि ट्रेजरी बेन्चेज पर बैठे हुए सभी माननीय मत्रीगणों से कि एक नारा दिया है जनता पार्टी ने भय मुक्ति का। किसको भय से मुक्ति दिला रहे हैं ? यदि आम नागरिक को उसके अधिकारों के लिए भय से मुक्ति दिला रहे है तो इस बात का तो स्वागत है। लेकिन असामाजिक तत्वों को भय से मुक्त दिला रहे हैं तो इस बात के लिए हमें शर्म आती है। मैं निवेदन करना चाहती हूं, सभापति · · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

महोदय, परिवार नियोजन के नाम पर बल प्रयोग की बात नहीं की जायेगी और परिवार नियोजन के लक्ष्य को समझा बुझाकर पूरा किया जायेगा, ऐसा जनता सरकार ने कहा है। बड़ी खुशी की बात है। जनमानस आप परिवार नियोजन अपनाने के लिये बनायें, बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छी बात है क्योंकि यह बात सही है कि कांग्रेस की जो गलतियां हुई हैं आपको उससे सबक लेना चाहिए। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि कांग्रेस ने 30 वर्ष में हिन्दुस्तान में बहुत कुछ किया लेकिन यह बात भी सही है कि इन्दिरा गांधी की उपलब्धियों को भुलाया नहीं जा सकता · · ·

कई माननीय सदस्य : अहा ! अहा ! शेम ! शेम !

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं फिर कहती हूं कि · · ·

श्री दाऊदयाल जोशी : हमारे परिवार और बाल बच्चों को भूखों मारते रहे और आप इसको उपलब्धि बता रही हैं।

श्री निर्मलकुमार : इन्दिराजी इस देश के लिए कलंक हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, इस तरह से तो आप मुझे नहीं दबा पायेंगे · · ·

एक मननीय सदस्य : आने वाली पीढ़ी अपने बच्चों का नाम इन्दिरा नहीं रखेगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप इस तरह से जोर से बोल कर मुझे दबाना चाहते हैं। मैं अपनी

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

भावना व्यक्त करूंगी और आज भी मेरी मान्यता है कि इन्दिरा गांधी की उपलब्धियां भी हैं।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह : माननीय सभापति महोदय, आप महिला और हैं ×× वाला शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री सभापति : दवाना शब्द अनपार्लियामेन्ट्री नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : ××

श्री सम्पतराम (मंत्री, संसदीय मामलात): सभापति महोदय, माननीय सुमित्रा सिंह जी जरा एक मिनट ठहरें। मेरा यह अनुरोध है सदन के माननीय सदस्यों से कि विरोधी पक्ष से कोई भी माननीय सदस्या या सदस्य बोलें तो हमारा पक्ष शांत रहे और उनको हम शांति से सुनें। समय आयेगा तो जवाब भी दिया जायेगा। बीच में भी कोई बात पूछने की हो और वह पार्लियामेन्ट्री वे में एक या दो सवाल पूछना चाहें तो पूछ भी सकते हैं। लेकिन बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : यह आपकी बात मान लें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नये नये माननीय सदस्य हैं इसलिए इनकी एक कक्षा लगाइये।

श्री सम्पतराम : विरोधी दल के नेता ने कल भी यह प्रश्न उठाया। मैं मानता हूं कि इस पक्ष में बहुत से माननीय सदस्य नये आये हैं लेकिन जिन्हें 30 साल का अनुभव है उनका भी परफ़ार्मेन्स बहुत अच्छा नहीं था।

श्री सभापति : मैं निवेदन करूंगा माननीय सदस्यों से कि व्यक्तिगत रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। यह बहुत गलत है। आखिर हम यहां चुनकर आये हैं। व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होनी चाहिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करती हूं।

मैं यह निवेदन कर रही थी कि इन्दिरा गांधी की उपलब्धियों को भी नहीं भुलाया जा सकता। यह सही है कि इन्दिरा गांधी से गलतियां भी हुई हैं, उन गलतियों को जनता ने महसूस कर लिया और जनता ने अपना फैसला भी कर दिया। अब आप उस उस बात को बार बार कहकर क्या कहना चाहते हैं? इन्दिरा जी की गलतियों के कारण जनता पार्टी शासन में आई है लेकिन उनकी उपलब्धियों को भी नहीं भुलाया जा सकता। यदि कांग्रेस की गलती न होती तो आपको शासन करने का मौका भी नहीं मिलता।

राज्यपाल महोदय ने जहां अनाज के भण्डारों का जिक्र किया है, माननीय सभापति महोदय, सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहती हूं कि यह भण्डार कांग्रेस सरकार की देन हैं। इस

××× शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्ष महोदय, के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

बार तो वर्षा की वजह से, अत्यधिक वर्षा की वजह से फसलें खराब हो रही हैं और कई जिलों में तो खरीफ की फसल भी नष्ट हो गई। मुझे बड़ा दुःख है इस बात का कि किस ने राज्यपाल महोदय को सलाह दी कि इस वर्षा से फसलें अच्छी होने का अनुमान है। मुझे ऐसा लगता है.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, यह बात तो कह दूं।

मैं निवेदन कर रही थी मुझे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार में खेती बाड़ी का जानकार कोई नहीं है। क्या परेशानी है उन्हें ? क्यों किसान के नुमाइन्दे को नहीं लिया ? लेकिन यह मेरे परव्यू का विषय नहीं है। वे चाहें जो कुछ करें मुझे इससे मतलब नहीं। क्या कोई आदमी राय देने वाला नहीं मिला कि खरीफ की फसल पूरी तरह खराब हो गई है। राहत के उपाय करने पड़ेंगे। फ्लड आ गया है। प्राइस इन्डेक्स भी बढ़ा है। तीन महीनों के अन्दर जो कीमतें बढ़ी हैं उसके बारे में राज्य सरकार की अलग अलग राय और विचार हैं और अलग अलग मान्यता है। राजस्थान पत्रिका के अन्दर निकाला कि व्यापारी कहते हैं कि एफ. सी. आई. की ऊंचे भावों पर खरीद के कारण भाव बढ़े हैं, अनाज की कीमतें बढ़ी हैं

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरी तरफ सदन में माननीय नेता ने यह कहा कि केवल आयल सीड्स को छोड़ कर और किसी के भाव नहीं बढ़े। मैं कहना चाहती हूं कि दालों के भाव भी बढ़े हैं। न केवल दालों के भाव ही बढ़े हैं बल्कि सभी चीजों के भाव बढ़े हैं.....

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्रीम पाउडर तो सस्ते हो गये हैं।

श्री सभापति : किस तरह की बाते करते हैं ? बैठिये।

श्री खेतसिंह : ××क्या ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : व्यापारी जिम्मेदार हैं ? एफ. सी. आई. जिम्मेदार है ? कौन जिम्मेदार है ?

राजस्थान में कानून और व्यवस्था के बारे में निवेदन करना चाहूंगी। राजस्थान का कानून और व्यवस्था के बारे में एक ज्वलंत उदाहरण रखना चाहती हूं। अभी दस-पन्द्रह दिन पहले की बात है। सुबह मैं भी घूमने जाती हूं। जैन परिवार की एक महिला रोजाना चींटियों को कुछ आटा डालने के लिये अकेली जाती है। देखते देखते मोटर साइकिल पर बैठने वाला एक व्यक्ति उसके गले की जंजीर तोड़ ले भागा। उस बेचारी जैन महिला का मोन व्रत था वह बोल भी नहीं सकी। उसने इशारे से कहा कि उसके गले से जंजीर तोड़कर वह मोटर साईकिल वाला चला गया। वह उसने इशारे से बताया, वह बोल भी नहीं सकी। स्टेच्यू सर्कल पर सुबह के टाइम पर जहां सैकड़ों आदमी घूमते हैं वहां अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो अराजकता की यह आखरी स्टेज है इसे कैसे बरदाश्त किया जा सकेगा।

××शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार निकाला गया।

SV.

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूं, आपने पंचायतों के, म्युनिसिपैलिटीज के, सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराने की बात कही है, खुशी की बात है। सरकार को धन्यवाद देती हूं बशर्ते कि चुनाव कराये। आज सहकारी संस्थाओं के नाम पर लाखों रुपया हड़पने वाले और खाने वाले कांग्रेस छोड़कर जनता पार्टी में शामिल हो गये हैं। लाखों रुपया सहकारिता के नाम पर खाया है। यदि आप लोगों ने लिहाज बरता, यदि किसी पर रहम खाया तो सहकारिता को प्रोत्साहन देने वाली बात नहीं होगी। सब जानते हैं, यहां बैठे हुए लोग भी जानते हैं, सारी जनता जानती है कि जिन लोगों ने पैसा खाया, सहकारिता को बदनाम किया, असफल किया वे ही आज जनता पार्टी की गोदी में जा बैठे। इन्हीं शब्दों के साथ····

एक माननीय सदस्य : कौन कौन हैं, नाम गिना दीजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वे लाडले पुत्र अब आपकी गोद में खेल रहे हैं।

श्री माणकचन्द सुराणा : उनकी सूची तो आप दे दें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बैठिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हम जानते हैं हमारे कुछ भी कहने से आप हमें बखशने वाले नहीं हैं, आप बेशक जांच कराइये। दोष हमारा होगा हम उसको भुगतने को तैयार हैं। किन्तु राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इन बातों का जिक्र नहीं किया है इसलिये मुझे बड़ा अफसोस है और मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद कैसे दूं? अतः धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने में असमर्थ हूं।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : चिड़ावा के सरपंच हैं उनका नाम क्या है ? कौन सी पार्टी के हैं, उन्होंने क्या अत्याचार किये हैं ? आप बताइये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुझे नहीं मालूम कौन सी पार्टी के हैं। मैंने चिड़ावा से चुनाव नहीं लड़ा। झुंझुनूं से चुनाव लड़ा है।

श्री सभापति : श्री मदन सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री गुल मोहम्मद !

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने यह जो उपदेश दिया है कि लोक सभा के चुनावों के समय शांतिपूर्ण परिवर्तन से तानाशाही को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है वह विधान सभा चुनावों के साथ पूरा हुआ। मैं आपको इस बात की तरफ ले जाना चाहता हूं कि अभी अभी कुछ समय पहिले हमारे एक साथी जो कि मकराना के सदस्य थे···

एक माननीय सदस्य : थे नहीं, हैं।

श्री गुल मोहम्मद : जो कि मकराना के सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि किस तरह से कांग्रेस ने हकूमत की है। उनको याद दिलाना चाहता हूं तुर्कमान गेट का वह किस्सा। दिल्ली के अन्दर किस बेदर्दी के

(श्री गुल मोहम्मद)
साथ वहां के रहने वाले निवासियों के मकानों को बुलडोजर चलाकर धराशायी किया। जब वहां से मलवा हटाया गया वहां से बच्चों और इन्सानों की लाशें मिलीं। वहां से हटने वालों को कहां बसाया गया? कांग्रेस ने हमेशा हिन्दू और मुसलमानों को अलग अलग रखा है, हिन्दू अलग हैं और मुसलमान अलग हैं। आज जनता पार्टी ने हिन्दू और मुसलमान की खाई को पाट दिया है। आपको मालूम होगा जो झण्डा कांग्रेस का है उसमें सफेद रंग लगाया हुआ है जिससे ये दोनों रंग जुदा जुदा होते हैं। ये उस झण्डे में जुदा जुदा किये गये हैं लेकिन जनता पार्टी ने सफेद रंग निकालकर दोनों को एक कर दिया और हमेशा हमेशा के लिये हिन्दू मुसलमान की खाई को पाट दिया।

मैं, माननीय सभापति महोदय, यह बात कहना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जन भावना को दर्शाया गया है। आज राजस्थान की ढ़ाई करोड़ जनता उनके अभिभाषण पर धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकती है, क्योंकि विगत दिनों देश में जो तानाशाही का नंगा नाच हुआ था उसमें न केवल पुलिस ही अपने मनमाने काम करती थी बल्कि इन नेताओं ने दुधमुंहे बच्चों को जेलों में डाल दिया था।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि भाषण पढ़ें नहीं।

श्री गुल मोहम्मद : मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का पेज नम्बर दो का वह अंश पढ़ रहा हूं जिसमें आपातकालीन स्थिति देश के इतिहास का एक काला पृष्ठ है। एक व्यक्ति को सत्ता में बनाये रखने के लिये सारे देश को भयंकर उत्पीड़न सहना पड़ा। हजारों लोग अकारण ही जेलों में डाल दिये गये। इसका उल्लेख हमारे नेता जय प्रकाश नारायणजी ने अपनी पर्सनल डायरी, जो जेल में लिखी थी, में किया है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, "सम्पूर्ण क्रान्ति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। क्या अब यह इतिहास का एक व्यंग मात्र बनकर रह जायगा? सब जी हुजूर, कायर, बुजदिल तो जरूर हंसते होंगे हम पर। आसमान के सितारे तोड़ने चले थे गिरे हैं अब जाके नर्क में। लेकिन दुनियां में जो कुछ किया है वह सितारे तोड़ने वालों ने ही किया है चाहे भले ही उसके लिये उनको प्राणों का मूल्य चुकाना पड़ा है। सम्पूर्ण क्रान्ति के बदले आज तो सम्पूर्ण प्रतिक्रान्ति की घटाटोप बेला है। इस समय तो उल्लू और गीदड़ बड़े प्रसन्न हैं। चारों तरफ हुआ हुआ और हूं हूं की ही आवाज सुनाई देती है। लेकिन काल-चक्र तो घूमता ही रहता है। रात चाहे कितनी ही अन्धेरी हो, प्रभात तो आता ही है।"
यह यह डायरी है, जो जय प्रकाश जी ने जेल में लिखी है, का अंश आपके सामने पढ़ कर सुनाया है। इस तरह काले बादल हमारे हिन्दुस्तान में मंडराये थे और उस काले बादल को जनता ने धो साफ दिया है। वह अपनी जगह एक मिसाल है।

मैं, सभापति महोदय, यह कहना चाहूँगा कि अल्प संख्यकों के लिये राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में जो बात कही है वह, सभापति महोदय, बहुत ही अच्छी है।

(श्री गुल मोहम्मद)

अब मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी का ध्यान उस बात की ओर दिलाना चाहूँगा जो हमारे केन्द्रीय चिकित्सा मंत्री माननीय राजनारायण जी ने कही है और आशा है, वे उनकी बात को पूरा करेंगे । उन्होंने यह बताया है कि गांव गांव में, कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिसमें चिकित्सालय नहीं खोले जायेंगे। जितने हमारे हिन्दुस्तान के गांव हैं, उनमें चिकित्सालय खोलने के लिये उन्होंने कहा है । हमारे माननीय चिकित्सा मंत्री जी से भी मैं यह कहूंगा कि वे अपना पूर्ण योगदान दें और उसमें किसी किस्म की बात हो तो उसके लिये वे उनसे परामर्श लें ।

अल्प संख्यकों के लिये मैं यह कहना चाहूँगा जो इन्होंने अल्प संख्यकों की बात कही है वह एक ऐसी बात है कि जिसको नहीं कहना चाहिये था। अल्प संख्यकों के लिये हमारी सरकार बहुत कुछ करेगी जैसा कि हमारे नेता ने विश्वास दिलाया है । मैं यह चाहूँगा कि उर्दू जबान जो इस हिन्दुस्तान की जबान है, को भी प्रोत्साहन दें क्योंकि हिन्दी जबान और उर्दू जबान दोनों में जो फर्क डाला था वह तो भूतपूर्व सरकार ने डाला था । वर्तमान सरकार से उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह हिन्दू-मुसलमान की खाई को पाटा है उसी तरह इसको भी पाटिये । जितनी माइनोरिटी के लोग हैं मणिहार, लुहार, दिनारे आदि उन कौमों के लिये भी मैं चाहूंगा कि सरकार उनके लिये अच्छी एजूकेशन की व्यवस्था करे ताकि जो पिछड़े हुये तबके के लोग हैं वे अपने बच्चों को उचित ढंग से पढ़ा सकें। उनको स्कूल और कालेजों की उच्च शिक्षा दी जाय, क्योंकि वे गरीब आदमियों के बच्चे होते हैं। गरीब आदमी पैसों के अभाव में अपने बच्चों को ठीक प्रकार से नहीं पढ़ा सकते हैं। जो पिछड़ी हुई जाति है और जो माइ-नोरिटी में हैं वे भी आगे बढ़ सकें और उनमें भी शिक्षा का प्रचार हो सके। इसके लिए आपसे निवेदन है कि उनको पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा मदद दें ताकि वे आगे बढ़ कर विकास कार्य कर सकें। जो पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था है वह गरीब छात्रों के लिये गलत है । यह व्यवस्था आपातकाल के अन्दर जो भूतपूर्व सरकार की थी, मैं, माननीय सभापति महोदय की मार्फत शिक्षा मंत्री जी को कहना चाहूँगा कि पत्राचार का जो पाठ्यक्रम है, इसको खत्म किया जाय और जो पहले प्राइवेट छात्रों के लिए व्यवस्था थी, उसको ही चालू किया जाय। इससे जो गरीब बच्चे हैं वह नहीं पढ़ पाते हैं। पत्राचार पाठ्यक्रम की फीस इतनी जबरदस्त है कि कोई भी गरीब आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है।

इसी तरह नशाबन्दी के लिये कहूंगा। नशाबन्दी राज्य में होनी ही चाहिये । जब भूतपूर्व सरकार थी, उस समय की एक घटना की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। यह वाकिया उस समय का है जिस समय यहां जयपुर के अन्दर एक ठेके के लिये आन्दोलन चला था जिसमें काफी बहिन-बेटियों की इज्जत लूटी गई थी। उस समय जो मंत्री थे कांग्रेस के, उनसे कहा था इसको बन्द किया जाय, क्योंकि यहां बहिनों की और बहु-बेटियों की इज्जत लूटी जाती है लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने हमारे 40 आदमियों को जेल में इस तरह बन्द किया था जिस तरह चम्बल घाटी के डाकुओं

(श्री गुल मोहम्मद)

को बन्द किया जाता है। आज यह कहते हैं शराबबन्दी है कहां ? इनसे मैं पूछना चाहता हूं, सभापति महोदय, क्या हथेली पर सरसों उग सकती है ? क्या एक दिन में ही ये नशाबन्दी करवाना चाहते हैं ? मैं चाहता हूं ये सबक सीखें।

मैं पुन: यह निवेदन करूंगा कि पत्राचार पाठ्यक्रम बन्द होना चाहिये। नशाबन्दी के लिये भी मैं माननीय मंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी बन्द करें और पूर्ण नशाबन्दी करें। ताकि गरीब आदमियों, महिलाओं और बच्चों को राहत मिल सके। जिस प्रकार से माइनोरिटीज के यू. पी. के अन्दर दंगे-फसाद हुए उसकी कोई मिसाल नहीं है। क्योंकि अखबारों पर सैंसर लग चुका था इसलिए हमको इधर-उधर की खबरें मालूम नहीं हो पाती थीं। खबर मालूम नहीं होने से एक ऐसी विपदा खड़ी हो गई कि जहां गोलियां चलीं उनकी कोई पुकार तक नहीं हो सकी। आपने एक रिपोर्ट पढ़ी होगी, डिप्टी होम मिनिस्टर साहब थे पहले दिल्ली में मिस्टर एफ. एस. मोहसिन, उनकी रिपोर्ट है कि यू. पी. में जो मुजफ्फरनगर है वहां पर किस प्रकार से गोलियां चलीं और किस प्रकार से माइनोरिटीज पर कुठाराघात किया गया। जब भूतपूर्व यूनियन होम मिनिस्टर यह बात कहते हैं, उनकी रिपोर्ट मौजूद है, उसकी फाइल को उठा कर पढ़ सकते हैं, फाइल पर उनकी रिपोर्ट मौजूद है किस प्रकार से माइनोरिटीज पर अत्याचार और जुल्म हुए हैं, हमारे यह भाई कहते हैं कि माइनोरिटीज पर जुल्म नहीं हुए। मैं पूछता हूं कि तुर्कमान गेट पर क्या हुआ ? जयपुर में इन्दिरा मार्केट जिस वक्त बना था, उस समय हम लोगों का डेपुटेशन दिल्ली गया था और प्राइम मिनिस्टर से मिला था। प्राइम मिनिस्टर ने उनके जो सैक्रेटरी और पी. ए. थे, उनसे हम लोगों के सामने कहा था कि मिस्टर धवन, फौरन राजस्थान के मुख्य मंत्री को टेलीफोन कीजिए कि गरीबों पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस समय हम लोग यहां पर आए, जयपुर पहुंचे उसके पहले ही उनके मकानों पर बुलडोजर चला दिए गए थे और उनको तहस-नहस कर दिया गया था। उनको वहां से हटा तो दिया गया लेकिन आज तक उनको जमीन नहीं मिली।

(व्यवधान)

हम आपकी कोई मदद नहीं चाहते। हम नहीं कहते कि आप कोई मदद दें। हम उनको जमीन दिलवायेंगे, लेकिन मैं यह कह रहा था कि जिस तरह की बात हुई वह गलत है।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो यह पिछड़ी जाति के लिए मापदण्ड है वह जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। पिछड़ी जाति के मापदण्ड में जाति के साथ गरीबी भी शामिल होनी चाहिए। इसके लिए एक रूलिंग भी सुप्रीम कोर्ट की आई थी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है जो 18 अगस्त, 1976 को हुई है। यह केस है, Miss Jai Shree and others Vs. Kerala State Govt.

"Supreme Court today rules that caste and poverty are both

(श्री गुल मोहम्मद)

relevant factors for determining the social and educational backwardness of a community under Art. 15(4) of the Constitution."

तो मैं आपसे, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पिछड़ापन जाति के आधार पर न हो, इसके अन्दर जाति के साथ साथ गरीबी भी शामिल करें। अगर कोई गरीब है तो उस गरीब व्यक्ति को पूरी सहायता भी मिलनी चाहिए, क्योंकि जाति के आधार पर जो गरीब आदमी हैं वे पिछड़े रह जाते हैं और जो लोग ऊंचे और मालदार हैं वही इसका फायदा उठा कर ले जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इसकी ओर ध्यान देकर के इस बात को करें।

अन्त में मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए धन्यवाद देते हुए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। उन्होंने जो अभिभाषण दिया है वह देश के हित में है और देश की भलाई के लिए काफी कारगर होगा। मैं इतना ही निवेदन करते हुए दुबारा समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री रामप्रसाद लड्ढा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) : माननीय सभापति महोदय, मैं राज्यपाल के अभिभाषण का हार्दिक समर्थन करता हुआ अपनी बात रख रहा हूं। देश की आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों ने, शहीदों ने देश के लिए आजादी की लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि हमारा राज्य हो, हमारी जनता को न्याय सुलभ हो, हमारी जनता की भलाई हो लेकिन हम देखते हैं कि उसका गला घोट दिया गया। उस समय उन्होंने यह विचार किया था कि गरीबों पर, किसी गरीब पर गोली नहीं चलेगी, देश के नागरिकों को जेलों में बन्द नहीं किया जावेगा, इसी आशा और विश्वास के साथ शहीदों ने फांसी के फंदे को भी हंसते हंसते गले लगाया, हजारों ललनाओं की मांग सूनी हो गई, हजारों माताओं की गोद खाली हो गई लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि देश के अन्दर क्या हुआ। देश के इतिहास के अन्दर झांक कर देखें तो पता चलेगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीमती इन्दिरा गांधी को ठुकरा दिया और श्रीमता इन्दिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया। भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा कर छः साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया। उस दिन गुजरात की जनता ने भी श्रीमती इन्दिरा गांधी को ठुकरा दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी का नैतिक कर्तव्य था कि वह सत्ता छोड़ देतीं लेकिन उनको यह मंजूर नहीं था। न्यायाधीश सिन्हा ने जो उनको बारह दिन का समय दिया था उसमें उन्होंने आपातकालीन स्थिति लागू कर दी। आपातकालीन स्थिति जनता के कल्याण के लिए नहीं लगाई गई, लोगों के कल्याण के लिए नहीं लगाई गई बल्कि अपनी कुर्सी को कायम रखने के लिए आपात स्थिति लगा दी। लाखों लोगों को जेलों में बन्द कर दिया, सत्याग्रहियों को जेलों में बन्द कर दिया। माननीय सदस्यों ने काफी मजबूती के साथ इस बात को यहां पर रखा है। मैं भी इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जब लोगों को जेलों में बन्द कर दिया गया तो भीलवाड़ा जेल में लोगों ने बिस्तर मांगे तो उस समय कह दिया गया कि जेल की व्यवस्था के अनुसार ही दिए

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

जायेंगे। आपातकाल में लोगों के साथ क्या क्या अत्याचार नहीं हुए इसके कितने ही उदाहरण हैं। उदयपुर जिले में एक भैरूलाल लखारा था, वह बाईस साल का नवयुवक था वह केवल इसलिए समाप्त हो गया क्योंकि उसके उपचार की प्रोपर व्यवस्था नहीं की गई। अठारह साल की औरत विधवा हो गई। कांग्रेस वाले कहते हैं कि पिछली बातों को भूल जाओ। हमें स्वीकार है कि हम पिछली बातों को भूल जायं, मगर इस काल में जो जुल्म किए गए हैं आपात स्थिति के अन्दर उसके लिए चाहे कोई भी हो, चाहे बाबू हो और चाहे अधिकारी हो और चाहे कोई नेता हो, किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती है। आपात स्थिति के दौरान सरकारी पक्ष की तरफ से जो ज्यादतियां हुईं परिवार नियोजन के नाम पर उनको नहीं भुलाया जा सकता। खड़ी फसल में पिलाई का सवाल था लेकिन सरकारी अधिकारियों ने, परिवार नियोजन के नाम पर इर्रीगेशन सेक्रेटरी ने, इर्रीगेशन के अधिकारियों ने जुल्म किए। हरिदेव जोशी को क्योंकि अपनी कुर्सी प्यारी थी इसलिए अपनी कुर्सी को कायम रखने के लिए जो राजस्थान के लिए पौने दो लाख लोगों की नसबन्दी का सवाल था उस पौने दो लाख के टार्गेट को बढ़ा कर साढ़े तीन लाख का टार्गेट कर दिया था। उस साढ़े तीन लाख के टार्गेट का परिणाम यह हुआ कि काश्तकारों का पानी बन्द कर दिया गया। मांडल और मेजा के तालाबों की मोरी बन्द कर दी गई और कहा गया कि पहले पन्द्रह केस-नसबन्दी के लाओ उसके बाद पानी दिया जाएगा। मैं आपकी मार्फत सरकार को अर्ज कर रहा हूं कि इस नसबन्दी के कारण तालाब की मोरी का पानी नहीं खोला गया जिससे काश्तकारों का समय पर उत्पादन नहीं हुआ, राष्ट्रीय उत्पादन गिरा। हरिदेवजी जोशी का ख्याल था कि तालाब की मोरी समय पर नहीं खोली जायेगी और देश के काश्तकारों का उत्पादन कम होगा तो क्या हुआ। उनको तो बस इस बात खयाल था कि संजय गांधी को राजी रखा जाय, इन्दिरा गांधी को किसी प्रकार से राजी रखा जाय और यही उन्होंने किया। इस प्रकार के कारनामे करने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। अभी भूतपूर्व सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे थे लेकिन भ्रष्टाचार तो उनके समय में ही अधिक बढ़ा है। अब हम आशा करते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म होगा और किसानों को राहत मिलेगी। हमारी सरकार के नव-निर्वाचित नेता श्री भैरोंसिंह जी शेखावत ने इस बात पर जोर दिया था कि हम भ्रष्टाचार को मिटा कर रहेंगे। मैं यह बात कहता हूं कि हम भ्रष्टाचार को मिटा कर ही नहीं रहेंगे बल्कि गत तीस साल के अन्दर जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, उनको कब्र में से निकालेंगे, उन लोगों को माफ नहीं किया जायगा। यह सराहनीय घोषणा थी, कदम था। इस बात की आप खिल्ली उड़ा रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं। पिछले वर्षों में श्रीमती इन्दिरा गांधी का कितना बड़ा आतंक था। लोग सोच ही नहीं सकते थे कि श्रीमती इन्दिरा गांधी को कोई हराने वाला भी है। कांग्रेस शासन को कोई हरा नहीं सकता। परन्तु जनता जनार्दन ने यह फैसला दे दिया। सिर्फ इन्दिरा को ही नहीं कई प्रान्तों से हमारी जनता ने कांग्रेस शासन को उखाड़ फैंका लोक सभा के चुनावों के अन्दर। विधान सभा के अन्दर नयी जनता सरकार बनी। जनता

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

ने हमको वोट दिया है, जनता पार्टी को वोट दिया है और इससे जनता को राहत मिलेगी। देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी थीं, उनकी आशाओं को सफलीभूत करने का लोगों ने हमको मौका दिया है। निश्चित रूप से पहले यह सोचा करते थे कि इन्दिरा गांधी को कोई नहीं हिला सकता। आज आप खिल्ली उड़ा सकते हैं परन्तु मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि इस देश से भ्रष्टाचार जाएगा, राजस्थान से भ्रष्टाचार जाएगा और लोगों को जो तकलीफ है, कष्ट है, जो पीड़ा है, बहुत सारी समाप्त हो कर रहेगी।

यह प्रसन्नता की बात है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर खेती, उद्योग, खनिज के सुधार की बात कही गई है। खान के उद्योग के अन्दर चन्द लोग होते हैं। चन्द लोगों के पास ही खानों के पट्टे हैं। जनता सरकार के अन्दर मजदूरों की सहकारी समितियां बना कर उनको इन खानों का पट्टा दिया जाय। नेता महोदय को, मेरी सरकार को मेरा यह सुझाव है कि आज जो भ्रष्टाचार भीलवाड़ा जिले के अन्दर खनन में है जहां पर कि खनन के पट्टे कुछ लोगों के हाथों के अन्दर हैं कांग्रेस के नेताओं के पास हैं, उनके आदमियों के पास हैं, मजदूरों के नाम, काश्तकारों के नाम पर उनके पास जो पट्टे हैं उनसे वे करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। इसकी छानबीन कर के उनके पट्टों को रद्द किया जाये और मजदूरों के हक में फैसला किया जायेगा मजदूरों की सहकारी समितियां बना कर उनको राहत दी जाय यह मेरा निवेदन है।

खेती का सवाल है। मेरी सरकार ने बेरोजगारी को मिटाने के लिए बड़े उद्योगों को आधार नहीं बनाया है। बड़े उद्योगों के बजाय खेती, पशुपालन, खानों के विकास को विशेष महत्व बेरोजगारी मिटाने के लिए दिया है। अगर हमारे गांवों में विद्युत आ जाये, आज हमारी विद्युतीकरण की ओर उसके साथ गांव में कुटीर उद्योगों को पनपाने की योजना है—वहां पर बिजली पहुंच गई, सड़क पहुंच गई, तो निश्चित रूप से गांव का आदमी शहर की तरफ नहीं आयेगा। बल्कि शहर का आदमी भी गांव की तरफ मुड़ेगा। मेरी सरकार को सुझाव दूंगा—वैसे केन्द्रीय सरकार ने गांवों को पनपाने की बात कही है लेकिन मेरी सरकार को भी सुझाव है कि अधिक से अधिक ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे कृपया शान्त रहें। व्यवधान करने का कष्ट न करें।

आप बोलिए।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : मैं माननीय सदस्यों को जोश दिलाने की बातें नहीं कह रहा हूं। जिस प्रकार हम सुन रहे थे, आप भी सुनें। मेरे कांग्रेसी बन्धुओं ने बार-बार कहा कि हम नये हैं, पार्लियामेंट्री प्रक्रिया की बात भी कही। यह बात जरूर है कि हम नये जरूर हैं लेकिन अनुभव लेकर आये हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने हमको कुचलने के लिए क्या नहीं किया। उसके बाद सरकार से टक्कर ली है। जेलों से निकले हैं। लोक सभा के चुनाव के अन्दर राजस्थान के अन्दर कांग्रेस को धराशायी किया है। जनता ने हमको विजयी बनाया

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

है। जनता हमारे साथ है । उसने हमको वोट दिया है। जो कांग्रेस शासन में 30 साल के अन्दर खराबियां आ गई थीं, जनता पार्टी अगले पांच साल के अन्दर निश्चित रूप से उन खराबियों को दूर करने में सफलता प्राप्त करेगी । मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे शांति से सुनें। 30 साल तक आपके शासन को धैर्य के साथ हमने सहन किया है, लेकिन आप छः महीने में भ्रष्टाचार मिटाने की बात कहते हैं, मेला उठाने की बात करते हैं। एक महीना इस सरकार को आज की तारीख को होगा । महंगाई की बात करते हैं। महंगाई भी मिटेगी, भ्रष्टाचार भी मिटेगा, बेरोजगारी भी मिटेगी, सब कुछ होगा । जब हमने तीस साल तक इन्तजार किया है तो आप भी कुछ समय के लिए इन्तजार कीजिये। जिस प्रकार की ज्यादतियां आपने की हैं, वह हम नहीं करेंगे। देश के अन्दर जो कुछ हुआ, उसने देश को आजाद किया है। तत्कालीन सरकार का यह कर्तव्य था कि वह देश के नागरिकों को तंग न करे। एक स्वतन्त्र देश के नागरिक का क्या कर्तव्य होता है । कांग्रेस का पिछले बीस महीनों का शासन भयावह था। जनता जनार्दन ने एक झटके से उसको खत्म कर दिया। यह ज्ञान कांग्रेस को आया। व्यापारियों को भी आयेगा, राज्य कर्मचारियों को भी आएगा। मजदूर को मालूम हो गया, काश्तकारों को मालूम हो गया । आपातकालीन स्थिति से वे कितने परेशान हो रहे थे । देश को आजादी मिली, जनता को राहत मिली । कांग्रेस तीस साल तक शासन में नहीं रहती तो यह भ्रष्टाचार नहीं पनपता। हमारी सरकार से निवेदन करूंगा कि भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही को मिटाने के लिए वह निश्चित रूप से कदम उठाये।

अन्त में राज्यपाल महोदय ने विधान सभा में आकर जो अभिभाषण दिया है, जनता को राहत देने की जो बात कही है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री टीकमचन्द कांत।

श्री टीकमचन्द कान्त (जालौर): सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गये अभिभाषण पर प्रस्तुत हुए धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहा हूं। सर्वप्रथम मैं इस देश की जनता का अभिनंदन करना चाहता हूं जिसने महान् शान्तिपूर्वक परिवर्तन करके इस देश को पुनः स्वतन्त्रता दी, आजादी दी। इस जनता के अभिनन्दन को, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में तीन, चार पेजों में दिया गया है, मैं उन्हें भी बधाई देता हूं।

आगे कहानी कहां से शुरू करूं, प्रश्न यह उठता है । तीस साल के शासन··

श्री मूलचन्द डागा : निश्चित समय पर समाप्त हो जाये, वहां से शुरू करिये।

श्री सभापति : बोलने दीजिये।

श्री टीकमचन्द कान्त : आपके तीस साल की बात को दस-पन्द्रह मिनट में समाप्त करना है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मेरी तरफ देख कर ही बोलें।

श्री टीकमचन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, कल और आज दोनों समय मेरे दायीं ओर से जो भी बोले हैं उन्होंने हमें उपदेश भी दिये हैं। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। एक माननीय सदस्य कल बोले, जनता पार्टी नाम हमने कैसे रख लिया? मैं उन्हें यह कहना चाहूंगा कि हम जन संघर्ष में से पैदा हुए हैं और जन आन्दोलन की हम उपलब्धि हैं अतः हमें सम्पूर्ण अधिकार है कि हम अपनी पार्टी का नाम जनता पार्टी रखें। परन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि आप अपनी पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी से बदल कर कुर्सी परस्त पार्टी रख लीजिये। यह अच्छा रहेगा। हमें परिवर्तन की बात कही गई है कि आपने क्या परिवर्तन किया है? मैं कहूंगा, परिवर्तन तो हमने अवश्य किया है। भयभीत जनता को भय से मुक्त किया, जेल के दरवाजे तोड़ कर लोगों को बाहर लाये हैं। जनता को जेल से बाहर लाये हैं। यह परिवर्तन कम नहीं है। मान्यवर परिभाषाएं भी बदली हैं। पहले परिभाषा थी, "इन्दिरा ही भारत है। भारत ही इन्दिरा है।" अब इन्दिरा ही भारत नहीं है। अब तो भारत की 66 करोड़ जनता भारत है। यह सारा भू-भाग मिलाकर, उसमें बसने वालों को और उसकी संस्कृति को मिलाकर भारत बनता है। अब तो आपकी बातों और स्थानों में भी परिवर्तन आया है। पहले आप इस ओर बैठते थे और बोलते थे, अब आप उस ओर बैठते हैं और बोलते हैं। यह परिवर्तन, परिवर्तन आने के कारण ही हुआ है। मैं कह रहा हूं कि हम जरूर इस राज्य के अन्दर उचित और अच्छा शासन दे सकेंगे और इस प्रकार से 30 साल के कलंक को मिटा सकेंगे। मैं तो राजस्थान के पिछड़े हुए इलाके से आया हूं। जालौर जिला एक पिछड़ा हुआ इलाका रहा है। जालौर क्षेत्र के लिये पिछले 15-20 वर्ष से इस सदन में कोई नहीं बोला। जालौर मूक रहा। सभापति महोदय, पिछले शासन ने अनुसूचित जाति को क्या दिया है? मैं भी तो अनुसूचित जाति का ही हूं। वास्तव में कांग्रेस ने हमको दिया कुछ भी नहीं है परन्तु उसने हमको खरीदा है। हमारी वफादारी को खरीदा है। उसने स्कालरशिप के रूप में राष्ट्र का पैसा दिया और वरीयता शेष समाज के अधिकारों में से कमी कर के दी, लेकिन उसने कहा यह कांग्रेस का दिया हुआ दान है। उसने इस नाम पर हमारी वफादारियों को खरीदा है। यह सब से बड़ा अभियोग मैं उस पर लगाता हूं। मैं अनुसूचित जाति को कहना चाहता हूं कि उसके चंगुल से बाहर निकलो। परन्तु मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अनुसूचित जाति के लिए जो कुछ आना चाहिए वह नहीं आया है। उन्हें यह कहना चाहिए था कि हम तुम्हारे लिए समाज के अन्दर वह स्थान बनायेंगे जो 30 साल के अन्दर कांग्रेस ने नहीं बनाया है। उनको दिये हुए वायदे भी तो हमें पूरे करने हैं लेकिन जनता पार्टी के वायदे आपके वायदे की तरह से नहीं होंगे।

मुझे एक और बात याद आती है। मेरे पड़ोस में आहोर है। आहोर विधान सभा की कान्स्टीट्यूएन्सी है। वहां के दो युवक अनुसूचित जाति के हैं उनको मीसा के अन्दर बन्द किया था। महोदय, वे युवक भी नहीं, किशोर थे। अगर आपको प्रेम होता तो आप कहते कि अनुसूचित जाति को मीसा के अन्दर बन्द नहीं करना चाहिए।

(श्री टीकमचन्द कान्त)
परन्तु आपको प्रेम अनुसूचित जाति से नहीं अल्प संख्यकों के प्रश्न पर ही मैं यह अधिकार-पूर्वक कहना चाहूंगा कि कांग्रेस द्वारा हम लोगों के अन्दर फ्रेक्शन्स पैदा किये गये, हमारे अन्दर मतभेद पैदा किये गये हैं और मात्र मतों के लिये मतभेद पैदा किये गये। हमें आपस में कभी मिलने नहीं दिया। उनको तो यह कहते रहे कि यह राष्ट्र तुम्हारा नहीं है। उनसे कहा देखो उस जनसंघ को देखो वह तुम्हें खा जाएगा। इस प्रकार से माइनोरिटी को काल्पनिक भय से और भी भयभीत किया और वे इस उल्टी राजनीति से घबड़ा भी गये।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, उन तीनों माननीय सदस्यों को समझा लें।

श्री सभापति : माननीय जोशी जी, आप भी बहुत व्यवधान करते हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, सदन में किसी को नाम से सम्बोन्धित नहीं किया जाता है। कान्स्टीट्यूएन्सी के नाम से बोलते हैं।

श्री टीकमचन्द कान्त : अल्प संख्यकों के प्रति उनका यह प्रेम तुर्कमान गेट पर भी दिखाई दिया है। आज से पहले तक आर. एस. एस. को बदनाम किया गया है परन्तु जब दोनों तीनों के लोग जमायते इस्लाम, आर. एस. एस. और जनसंघ के लोग जेलों में गये तो एक दूसरे के निकट आये, एक दूसरे को जाना-पहचाना और इस प्रकार मतभेदों में कमी हुई। बिछुड़ते समय, आपस में गले मिले हैं, हाथ से हाथ मिले हैं, विदाई के आंसू टपके हैं। अब समाज में नई एकता जन्म ले रही है। इस परिवर्तन का एक और उदाहरण आर. एस. एस. के सरसंघ चालक श्री बाला साहब देवरस दिल्ली जाते हैं तो श्री सिकन्दर बख्त उनको लेने के लिए जाते हैं। यह कितना महान् परिवर्तन हुआ। कौन कहता है कि परिवर्तन नहीं हुआ है ?

इसके बाद मैं शिक्षा पर आता हूं। शिक्षा देश के नागरिक को सुनागरिक बनाती है। अच्छा नागरिक बनाती है। परन्तु अच्छी शिक्षा की कमी के फलस्वरूप भ्रष्टाचार पनपा है। इसी कारण शासन खराब रहा। 30 साल तक हम मात्र उनके मुंह की ओर ताकते रहे। उनको तो कोठियां बनती रहीं। इसका कारण क्या था ? इसका कारण यह था कि शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय भावना को विशेष रूप से नहीं पनपने दिया है। अगर छोटे-छोटे बच्चों के दिमाग में यह विचार डाला होता कि तुम्हें ही बड़े होकर इस समाज के लिए कुछ करना है, इस राष्ट्र के लिए तुम्हें ही कुछ करना है, अगर ऐसा किया होता तो यह जरूरी नहीं है कि यहां पर मात्र 30 वर्ष के या 35 वर्ष के मन्त्री होते। वे ही केवल एकान्त अन्धेरे में बैठकर राष्ट्र हेतु नहीं सोचते बल्कि हर नागरिक सोचता। परन्तु इस अभिभाषण में शिक्षा के साथ-साथ राष्ट्रीय भावना पनपाने के लिए कोई कदम उठाने की बात नहीं है। यदि यह होती तो बहुत अच्छा होता।

परिवर्तन के पुंज और क्रांति के कर्णधार युवक के लिये इस अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया। उसके बारे में यह अभिभाषण कतई मौन है। मान्यवर, उस युवक ने इस परिवर्तन हेतु गोलियां खाई हैं, अनेक युवा शहीद हुए हैं, क्रान्ति की अलख जगाई हैं। उन्हें भूल गये, उनके लिये कुछ नहीं कहा। उनके लिए इस अभिभाषण में कुछ

(श्री टीकमचन्द कांत)

होना चाहिए था। नहीं है, इसका मुझे बहुत गहरा दुःख है।

इन टीकाओं के बावजूद भी इस अभिभाषण में एक दृढ़ संकल्प हम देख रहे हैं। बेशक इस अभिभाषण में आंकडों का मायाजाल नहीं है। परन्तु हम जो कुछ करना चाहते हैं वही सच्ची और सीधी बात ईमानदारीपूर्वक कह दी गई है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं साथ ही मैं 30 साल के कुशासन की बातें भी कह रहा हूं। यह मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं ताकि आपके दिमाग के कीड़े झड़ जायें। तभी तो आप इन्दिरा गांधी का नाम लेना बन्द करेंगे, संजय गांधी का नाम लेना बन्द करेंगे।

सभापति महोदय, अब मैं 30 सालों के बाद हुए विकास के दर्शन करवाने अपने इलाके की ओर ले जाता हूं। मेरे इलाके में 100 में से 80 गांव ऐसे हैं जहां पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। यदि कहीं पर पानी है तो खारा और स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। वहां के पानी में फ्लोराइड है जो पीने के योग्य नहीं है। नागणी गांव में तो फ्लोराइडयुक्त उस पानी को पीने से लोग कुबड़े हो गये हैं। उनके हाथ यूं हो गये हैं। नागणी गांव के पानी में 12 प्रतिशत फ्लोराईड है। मान्यवर, कहां गये वे जालौर का अभी-अभी प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य? क्या यही मानवता है इनकी? बताइये मैं किसको दोष दूं? उस तीस साल वाली सरकार को दोष दूं या इस तीन महीनों वाली सरकार को दोष दूं?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

वर्षों से वहां की जनता मांग करती रही) कौन सुनता था? हमारे कार्यकर्ताओं के लगातार प्रयत्नों से तीन वर्ष पहले नागणी की एक स्कीम जरूर बनी परन्तु अभी तक उसे मन्जूरी नहीं मिली। नागणी गांव का एक-एक व्यक्ति इस दोष का शिकार हुआ है। तीस साल का व्यक्ति साठ साल का बूढा लगता है। इस तरह से लोगों की जिन्दगी के साथ खेलने वाले लोगों को, मैं आप लोगों को दोष दे रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने जनता की भलाई के लिए कुछ नहीं किया। अब मैंने वर्तमान सरकार से कहा है, शायद वह अब इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेगी, ऐसी आशा है। श्रीमान्, यह कतरोसण गांव का अत्यन्त ही खारा पानी है। वहां के लोगों ने मुझसे कहा कि आज तक कांग्रेस के जितने भी एम.एल.ए. वहां पर आये हमने उनको वह पानी पिलाया है और वे एक घूंट भी उस पानी का नहीं पी सके। लेकिन हम लोग वर्षों से इस पानी को पीते आ रहे हैं। श्रीमान्, बताइये इस बात का भी किसको दोष दूं? यह मैं समय रहते इन्हें भी चेतावनी दे रहा हूं।

श्रीमान्, इसके अलावा भी जिले की और बातें मैं कहने जा रहा हूं अभी जस्ट किसी ने कहा था।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : कौन सा जिला है?

श्री टीकमचंद कान्त : जालौर जिला। मैं उस जिले की एक उस विशेष कान्स्टीट्यूएन्सी की बात कह रहा हूं जहां पर एक नये सामन्तवाद का जन्म हुआ है, एक दूसरी नई जाति कांग्रेस शासन में वहां सामन्तवाद के रूप में उभरी है। उस जाति के लोग बिन

(श्री टीकमचन्द कान्त)

टिकट मोटरों पर चढ़ जाते हैं और लाठियों के बल पर अपनी सत्ता जमाये हुए हैं। वहां के ये लोग जिस अंगुली पर वोट देते समय जो निशान लगाते हैं उस पर पट्टी बांधकर ढक देते हैं और दुबारा तिबारा वोट देते हैं। उनके अपने क्षेत्र में कई जगह कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टी की गाडियां भी नहीं जा सकीं। वहां से आये वे माननीय सदस्य जो इस वक्त नहीं हैं, कहते हैं कि मैं चौथी बार चुन कर आया हूं। मैंने रेलगाडी में मेरे साथ सफर कर रहे इनके क्षेत्र के मतदाता से अचानक कहा, यह कैसे जीत गये ? तो जवाब में कहते हैं हम पुलिस वालों की परवाह नहीं करते, जब कि हमारे वहां अफीम खुले आम खाई व बेची जाती है। हमारे एम. एल. ए. साहब हैं। उन्होंने पुलिस वगैरह को सभी को कह रखा है कि वे हमारे आदमियों को कोई परेशान नहीं करें। सभी को उन्होंने कह रखा है कि ये मेरे आदमी हैं इनसे कानून विरुद्ध कुछ हो जाये तो इनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब कहते हैं कि वे चौथी बार जीत कर आये हैं। इन कारणों के लिये मैं जनता सरकार से भी कहना चाहूंगा कि इस ओर जरूर ध्यान दे।

श्रीमान्, जालोर की सड़कों के बारे में कहूं कि आज तक तीस वर्षों में मात्र चार सौ किलोमीटर सड़क पूरे जिले में हमको मिली है। तीस वर्षों का शासन चार सौ किलोमीटर की सड़कों के लिए पर्याप्त नहीं है।

सभापति महोदय, इस अभिभाषण के अन्दर राजस्थान के काफी जिलों के नाम आये हैं लेकिन जालोर जिले का नाम नहीं आया, इसका मुझे दुःख है। काश ! इस अभिभाषण के अन्दर जालोर का नाम भी कहीं आता।

चिकित्सा के नाम पर वहां पर मात्र एक सर्जन पूरे जिले में पिछले थोड़े वर्षों से है। श्रीमान, मात्र एक विशेषज्ञ जिले में है मैं यह निवेदन कर रहा हूं।

कृषि के मामले में भी वैसी ही बात है। उनकी आज उग्र समस्या यह है कि अधिक बरसात और नदियों में बाढ़ के कारण जमीन और खेत, जिनमें वे लोग बुआई करते हैं, में कटाव हो गया है, कई लोगों की जमीनें चली गई हैं उसके अन्दर। आज तक उस समस्या को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। इस अभिभाषण में नदियों के कटाव के कारण से भी जो नुकसान होता है उसको दूर करने के लिये कुछ भी नहीं है। इसका मुझे दुःख है। श्रीमान्, अनेक समस्याएं हैं लेकिन उन सभी के लिये तो समयाभाव में नहीं कहा जा सकता फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं।

हां ! श्रीमान्, कल एक बात सीधी इधर से आई थी कि माननीय मन्त्री महोदय, श्री सम्पतराम जी के विरुद्ध जनता पार्टी में से कई विरोध की आवाजें उठी थीं, कुम्भाराम जी के लिए भी जनता पार्टी में से विरोध की आवाजें उठीं। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह आवाजें उन भले व्यक्तियों के लिये नहीं थीं, यह आवाजें इसलिये थीं कि उन्होंने जितना बहुत भी आपका साथ दिया था उसके कारण उनके अन्दर जो पाप आ गए थे, उसके विरोध के लिए वे आवाजें थीं। उन आवाजों से एक शुद्धिकरण हुआ है। फलस्वरूप अब बिल्कुल ठीक हैं। चौधरी साहब की इज्जत····

(श्री टीकमचन्द कान्त)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आपके साथ ढाई महीने में . . . .

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री सभापति : मैं निवेदन कर रहा हूँ कि माननीय सदस्य सुनें जरा, सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए ।

श्री रतन लाल वर्मा : पचाने की क्षमता नहीं है ।

श्री सभापति : बैठिये, माननीय सदस्य ।

श्री टीकम चन्द कान्त : मैं तो अपनी बात कहता जाऊंगा ।

तो पुनः जिले की बात पर आऊं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इनके ऊपर जो कलंक-स्वरूप है वह एक और बात मुझे कहनी है । हमारे पड़ौस में ही तो खुशहाल गुजरात है । श्रीमान्, हमारे जिले के मतदाताओं ने, वहां के लोगों ने मुझसे, कहा है काश ! हम गुजरात में होते । मान्यवर, गुजरात में गांव-गांव में सड़कें है, गांव-गांव बसें जाती हुई दिखती हैं । वहाँ पर किसान समृद्ध दिखते हैं, वहां हर किसान कृषि साधनों से सम्पन्न है, हर किसान के घर ट्रैक्टर है, खुशहाली है, स्वाभाविक है कि लोग कहें, काश ! हम भी गुजरात में होते । तीस वर्षों के विकास के बाद भी लोग गुजरात की कामना करें यह उस शासन पर कलंक समान है ।

साथ ही साथ मैं मीसा की बात कह दूं श्रीमान् रघुनन्दन जी व्यास, जो जालौर के हैं, को मीसा में बन्द किया गया । उनके पीछे उनका पुत्र, जो विद्यार्थी था, को भी बन्द कर दिया गया । उनका दूसरा पुत्र लम्बी बीमारी में सोया हुआ था, आज मानवता की बातें उस ओर से की जाती हैं परन्तु उस समय मानवता मर गई थी । अगर उनकी मानवता जिन्दा होती तो वे मीसावासियों की निर्दोष औरत और बच्चों के पास जाकर उनके दुःख-दर्द तो पूछते । जालौर राजस्थान और गुजरात के बीच की सरहद पर है । मैं उस समय इमर्जेन्सी के समय दोनों के बीच में कड़ी का कार्य कर रहा था । स्वाभाविक है गुजरात याद आ जाये । कांग्रेस यहां भी थी, और वहां भी थी । उसके जुर्म यहां भी थे और वहां भी थे । एक और मीसा की कथा गुजरात की है । श्रीमान्, नारायण भाई पंवार पालनपुर को मीसा के अन्दर बन्द कर दिया गया । उनके पीछे उनकी पत्नी का आपरेशन हो रहा था । मैंने उनसे कहा, आपरेशन यदि कल ही हो रहा है तो नारायण भाई को एवं सम्बन्धित अधिकारियों को तार दिया होगा । कलेक्टर से भी बात की होगी । उस महिला का जवाब था कि उसे कोई जवाब नहीं मिला । आपरेशन होने जा रहा है उसका पति उसकी देख-रेख के लिये नहीं आ सकता–कैसी विडम्बना । उसका छोटा-सा निर्दोष बच्चा मुझे कहता है, "चाचा मेरे पापा को कह दीजिये कि वह जेल में क्या कर रहे हैं । मेरी मां का कल तो आपरेशन हो रहा है ? उनसे कह दीजिये कि वह आज ही आ जायें" यह गुजराती भाषा में कहा था । मैंने कहा "तेरे पापा इन्दिरा गांधी के कारण नहीं आ रहे हैं । मैंने उसको इन्दिरा गांधी की तस्वीर

(श्री टीकमचन्द कान्त)

दिखाई। इस पर वह बच्चा कहता है, मैं इन्दिरा गांधी की तस्वीर कभी नहीं देखूंगा इमर्जेन्सी की दुहाई देने वालो, बाल मानस की प्रक्रिया देखो, इसके लिये शर्म आनी चाहिये।

जब न्याय और संविधान की बात आती है और दुहाई देते हैं डाक्टर अम्बेडकर की तो उनसे मुझे कहना है कि कान्स्टीट्यूएन्ट असेम्बली डिबेट्स में डाक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि आज कोई मुझे यह पूछे कि इस संविधान में से कौन-सी धारा है जिसको खत्म कर दो उसके बाद यह संविधान कोरा पोथा कहा जाएगा तो वह धारा है 32 यदि जुडिशियल रिव्यू को निकाल दो तो वह कोरा पोथा बन जायेगा, वह संविधान नहीं रह जाता। मान्यवर, इमर्जेन्सी काल में जुडिशियल रिव्यू समाप्त कर दिया गया था। प्रश्न काल में हल्ला करने वालो, आपको याद है कि इमर्जेन्सी में लोक सभा में से प्रश्न काल ही समाप्त हो गया था। कितनी बातें याद दिलाऊं? अब आप कहते हैं कि जनता के लिए इस अभिभाषण में कोई ठोस कार्य नहीं है आपको शर्म आनी चाहिए। सभापति महोदय, इस अभिभाषण में जैसा पहले कहा था, आंकड़ों का मायाजाल नहीं है परन्तु इसमें जनता पार्टी और जनता पार्टी की धड़कन है। इस अभिभाषण में संकल्प है काम करने का, हम इसको कार्यान्वित करेंगे और फलस्वरूप राजस्थान विकास की ओर अग्रसर होगा।

महामहिम राज्यपाल ने कृपापूर्वक जो अभिभाषण यहां आकर दिया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्री मनोहर सिंह मेहता।

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) : सभापति जी, लगभग साढ़े पांच वर्ष बाद मुझे इस सदन में हाजिर होकर आप सभी का दर्शन करने का मौका मिला है। इन साढ़े पांच वर्षों के दरमियान एक समय वह भी था जैसे हिरण्यकश्यप के दिनों में राम का नाम नहीं लिया जा सकता था, जो भी राम का नाम लेता उसको बन्द कर दिया जाता था, बल्कि उसने अपने बेटे प्रह्लाद को भी बंद कर दिया इसी तरह इमर्जेन्सी के दौरान ऐसा हुआ :

बुरो लागतो जी तरह, हिरणाकुश ने राम।
इन्दिरा जी ने वी तरह, नारायण को नाम।।

(3.06 म.प.)

(मेजर श्री फतह सिंह, सभापति, पीठासीन)

जय प्रकाशजी का नाम इस तरह से बुरा लगता था इन्दिराजी को। उनको जेल में डाला गया। हथकडी लगाई जाती थी जो भी उनका नाम लेता था। कितना बड़ा परिवर्तन आया है कि आज स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। मैं इसलिए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मुझे जब पूरा अभिभाषण देखने का अवसर मिला तो, इसमें एक जगह भेड़ पालन की बात आई। मैं भेड़ का नाम सुनकर घबड़ाया। मांडलगढ़ क्षेत्र में 3-4 लाख भेड़ इस तरह से छाई हुई हैं, जिस तरह टिड्डी दल होता है। हर साल वहां मर्डर्स होते हैं। आप कृपापूर्वक भेड़ का विकास करते समय ध्यान रखें कि कहीं किसान नष्ट न हो जाए।

(श्री मनोहर सिंह मेहता)
भेड़ सब चीजों को निकाल कर फेंक देती है। आज 10–12 आदमी आये हुए हैं इसी सिलसिले में।

अभिभाषण में एक बात पर सदस्यों ने ताली बजाई। उन्होंने फर्माया कि छोटी जोतों पर लगान बन्द हो गया। सदन में मैं शायद अकेला ही आदमी था, जिसने ताली नहीं बजाई। मुझे कभी खुशी नहीं होती है कि जिस पवित्र टैक्स को जनता पचा चुकी है उसको माफ किया जा रहा है। जनता कभी टैक्स से नाराज नहीं होती:

कर लागे सो ठीक पर, केवल चिंता एक,
दूध दूह कर गाय को, देय गटर में फेंक।

बुरा तब लगता है जब आप गटर में फेंक देते हैं। लोगों का गाढ़े परिश्रम से कमाया हुआ पैसा जब राजकुमार संजय गांधी के स्वागत में उठाते हैं तो कितनी ठेस पहुँचती है? 500–500 दरवाजे बने, हमारे मुख्य मंत्री फर्माते हैं 'संजय गांधी आए हैं, नई रोशनी लाए हैं।' क्या नई रोशनी लाए हैं? वह न तो पंच था, न सरपंच, न कान्सटेबल, फिर स्वागत इस तरह से क्यों?

मेरे क्षेत्र जिला भीलवाड़ा में उपरमाल में जहां से मैं आ रहा हूं, कोई सड़क नहीं है। मर जाए तो कोई भले मर जाए। सांगानेर से भीलवाड़ा दो माइल है। उस सड़क पर लगभग 36 हजार खड्डे हैं और हालत यह है कि जब नसबन्दी अभियान के दौरान अस्पताल में 5 आदमी मर गए तो आपरेशन थ्येटर बंद हो गया। वहां पर गर्भवती औरतों को अस्पताल में नहीं ले जाया सकता था लेकिन कांग्रेस सरकार की कृपा थी कि जब उस सड़क पर गर्भवती औरत आती है तो रास्ते में ही साफ हो जाती है।

आप फर्मा रहे हैं कि बड़ी उपलब्धियां हैं। खाने को अन्न नहीं, पीने को पानी नहीं, रहने को मकान नहीं लेकिन शराब की दुकानें गली-गली में इस तरह से खुली हैं जैसे किसी धर्मात्मा ने गर्मी के मौसम में जगह-जगह प्याऊ खोल दिए हों। यहां कहा गया कि सरकार पूर्ण मद्यनिषेध में विश्वास रखती है। वर्षों तक कांग्रेसी शासन में ये शब्द सुनने को मिले और अब भी यही शब्द सुन रहे हैं। यदि शराबखोरी बंद नहीं हुई तो फिर बरबादी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। भाषण बहुत सुन्दर है अन्त में जिस तरह की बात कही गई है बहुत अच्छी है। और इतना सुन्दर होते हुए भी जब पैरों की तरफ देखता है तो आंसू बहाता है। अगर एक-एक दो-दो जिले में शराबबन्दी होती रही तो शराबखोरी कभी बंद नहीं होगी। मेरा निवेदन है पूर्ण नशाबन्दी का कदम तुरन्त उठायें। अगर आजादी की रक्षा करनी है तो यह कदम उठाना होगा। मत चिंता करिये इस बात की कि बांध नहीं बनेंगे, सड़कें नहीं बनेंगी, स्कूल नहीं खुलेंगे। न खुलें हर्ज नहीं लेकिन लाखों औरतें, जिनके पति शराब पीते हैं, तकलीफ पा रही हैं, जिनके बच्चे बिना खिले कुम्हला रहे हैं। एक द्रोपदी का चीर हरण हुआ तो महाभारत पैदा हुआ, लेकिन आज लाखों औरतों का चीर हरण हो रहा है, उसको आप और हम बचा नहीं सकते। आप उन अस्पतालों और स्कूलों को क्या करेंगे?

शुद्ध कमाई रीत की, काम करावे शुद्ध।
जो न कमाई शुद्ध तो, सूझे अंवली बुद्ध।।
यह औंधी बुद्धि कांग्रेस को क्यों सूझी?

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं और खास तौर से मेरे साथी मन्त्रियों से, मुख्य मंत्री श्री शेखावत साहब से और इसके अलावा जनता पार्टी के सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे साथियों, इस शराब को तुरन्त बन्द किया जाय। पहले की कांग्रेस सरकार ने शराबबन्दी नहीं करके शराब की गारन्टी प्रथा को चलाया, शराब के ठेकों की बोली लगने लगी, जो ज्यादा पैसे दे उसी को दुकान मिले और इतना ही नहीं, सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार ने जगह-जगह स्कूलों के पास, मन्दिरों के पास में, गली-गली में शराब की दुकानें खोल दीं। अगर इसके बारे में कभी कोई विधान सभा में प्रश्न पूछे तो मन्त्री महोदय यहां पर कहते थे कि मैं इसकी जांच करवा लूंगा। आप देखें तो सही कि शराब के ठेके के लिये हमारे मन्त्री महोदय भगवान की जांच कराने को तैयार थे। इसके वास्ते भगवान की जांच, कितना घोर अनर्थ है। हमें, जनता पार्टी की सरकार को शराबबन्दी को पूर्णतया लागू करना पड़ेगा। जनता पार्टी के सदस्यों ने महात्मा गान्धी की समाधि के सामने शपथ खाई थी कि हम महात्मा गांधी के उसूलों के ऊपर चलेंगे। लेकिन, सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहूंगा, महात्मा गांधी ने कहा था कि शराब को पूर्ण बन्द किया जाय। उन्होंने यह भी कहा था कि जब तक आप शराबबन्दी नहीं करेंगे तब तक हमारे देश का विकास नहीं हो सकता क्योंकि शराब के अड्डों के पास जुआखाने मिलेंगे, और इस शराब से ही वेश्यालय की प्रवृत्ति बढ़ेगी। सभापति महोदय, आपको मालूम ही होगा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने शराब की गारन्टी प्रथा को लागू किया और उसके साथ उसने जुआ भी चालू किया। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने लाटरी चालू कर दी। नारे लगा-लगा कर कहते हैं लो, एक रुपये में दस लाख रुपये लो। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि एक सरकार ही अपने लोगों को जुआ खेलने को प्रेरित करे। मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन समाज की बुराइयों को तुरन्त बन्द किया जाना चाहिये।

मैं जनता पार्टी के सदस्यों से तथा यहां कांग्रेस के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे देश के महान् नेता महात्मा गांधी ने कहा था "अगर मुझे एक दिन के लिए भी भारत का डिक्टेटर बना दिया जाय तो मैं सबसे पहले शराबखानों को बन्द करूंगा। मैं शराबखानों को कभी भी सहन नहीं कर सकता। उन शराबखानों के मालिकों को एक भी पैसा नहीं दूंगा चाहे मुझे हजारों शराब के पीपे बहाने पड़ जायं।" इसलिए मैं राज्य सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि जब आपने महात्मा गांधी के उसूलों को मानने के लिए शपथ खाई तो आप इस शराब को बन्द कीजिये।

मैं कांग्रेस के सदस्यों को खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने अभी जो अपने भाषणों में कहा उसके लिये मेरा यह निवेदन है कि आप थोड़ा संतोष रखिये। आपने हमें मौका दिया है। हमें कोशिश करने दीजिये। इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमें इनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। यह इसलिए जरूरी है, उसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक बार एक बच्चे को डिसेन्ट्री हो गयी थी और वह बन्द नहीं हो रही थी। वह बच्चा

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

डिसेन्ट्री होने के बावजूद भी गुड़ खाना बन्द नहीं कर रहा था तो उस बच्चे की मां उस लड़के को गुरुजी के पास ले गयी। लड़के की मां ने यह कहा कि गुरुजी यह लड़का गुड़ खाना बन्द नहीं कर रहा है और इस लड़के को दस्त लग रहे हैं। गुरुजी ने कहा, "अच्छा।" गुरुजी ने तत्काल, उसी वक्त से गुड़ खाना बन्द कर दिया लेकिन उस वक्त उस बच्चे को कुछ नहीं कहा। फिर थोड़े दिन बाद लड़के को गुरुजी ने गुड़ खाने को मना कर दिया। लड़के ने तत्काल गुड़ खाना बन्द कर दिया और उसके दस्त बन्द हो गये। लड़के की मां ने जब यह सारी बात गुरुजी को पूछी तो गुरुजी ने कहा कि जब लड़के को पता लग गया कि मैं गुड़ नहीं खाता हूं तो उसने भी बन्द कर दिया। इसका मतलब यह है कि पहले अपना उदाहरण पेश करो, अपनी आत्मा का विमोचन करो। लेकिन मुझे इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करना है कि जब तक माननीय सदस्य आत्म-विमोचन नहीं करेंगे तब तक हल नहीं निकलेगा। सभापति महोदय, आजादी के पहले जिन लोगों के पास खड़े रहने को मकान नहीं था, पहनने को कपड़े नहीं थे उनके पास कारें, बंगले हो गये, लाखों रुपयों का धन हो गया....

एक माननीय सदस्य : कुत्ते हो गये, बैंक में लाखों रुपये....

श्री मनोहर सिंह मेहता : उन लोगों की औरतों के लाखों के जेवर हो गये, वह जेवर से लदी हुई हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि आप लोग अपना आत्म-विमोचन करके उन सभी को राष्ट्र को समर्पित कर दो। इसके अलावा, सभापति महोदय, आज इनमें से ऐसे लोग हैं जो कि सौ-सौ, दो-दो सौ रुपये की बोतलें पीते हैं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जब कोई सदस्य बोलते हों तब उन सदस्य के सामने होकर नहीं निकलना चाहिये, पीछे से निकलना चाहिये।

श्री मनोहर सिंह मेहता : सभापति महोदय, उन्हें तुरन्त बन्द किया जाना चाहिये। ऊपर से तो कांग्रेस वाले शराबबन्दी का नारा पीटते थे लेकिन उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क था

कथनी करनी मायने, जदी आंतरो होय।
वो नर को मनसू कदी, आदर करे न कोय।।

सभापति महोदय, जनता पार्टी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गयी है, हमें अपने वायदों को पूरा करना होगा। आज इन्दिरा जी की हम आलोचना करते हैं लेकिन अगर कंस कृष्ण के सातों भाइयों को नहीं मारता, अगर दुर्योधन के पास चन्डाल-चौकड़ी नहीं होती तो कौरवों का विनाश कैसे होता? कंस का नाश कैसे होता? अगर हम सभी को इन्दिरा जी जेल में नहीं रखतीं तो हम भी एक नहीं हो सकते थे। फिर हमेशा इन्दिरा जी 40 प्रतिशत वोट लेकर जीततीं और हम पर बराबर राज करतीं।

नेता गण ने इन्दिरा, दिया जेल में मेल।
भलो भाग ई देश को, सो जेल करायो मेल।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आपको हमारा उपकार मानना चाहिये।

श्री मनोहर सिंह मेहता : तो यह अच्छा हुआ कि हम जेल में रहे और जनता की

(श्री मनोहर सिंह मेहता)
पार्टियों में एका हो गया, हम सभी एक हो गये। प्रयाग में जिस तरह से संगम नदियों का होता है उसी तरह से हमारा संगम हुआ है। जिस तरह से गंगा और यमुना दो मील से अलग-अलग आकर एक हो जाती हैं उसी तरह से हम सब एक हो गये। कांग्रेस का जो भ्रष्ट शासन था उसका हमारे एक होने से अन्त हो गया। हमने दृढ़ संकल्प कर लिया है हम एक हैं और एक रहेंगे, हमारे में कोई भेदभाव नहीं है। हमने संकल्प किया है जनता पार्टी के लोगों ने कि हम जनता के सेवक हैं, जनता के चाकर हैं हमें जनता के लिये उनके भले के लिये काम करना है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आप हमारा उपकार मानिये। आपको मुबारक हो।

श्री मनोहर सिंह मेहता : क्या फर्माया आपने ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : हमारा उपकार मानिये। आपको मुबारक हो।

श्री मनोहर सिंह मेहता : इसलिये मेरा निवेदन है कि हमें पूर्णतया शराबबन्दी करनी होगी। हमारे देश के नेता श्री जय प्रकाश नारायण ने जो कहा है वह हमें पूरा करना है। जयप्रकाश नारायण ने जो कांग्रेस ने तीस साल में नहीं किया वह पांच साल में कर दिया, आप उसके गुण गाएं।

श्री रामसिंह बिश्नोई : उड़ीसा की घटना को छोड़ कर जयप्रकाश नारायण की सारी बातें मानते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री मनोहर सिंह मेहता : सभापति महोदय, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेकर इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि हमने जो संकल्प लिया है उसे हमें पूरा करना है। मैं बड़े-बड़े संकल्प की बात तो नहीं करता लेकिन जिससे कि थोड़े हमारे राज कोष पर फर्क पड़े ऐसा संकल्प जरूर लूंगा। श्री रामचन्द्र जी जब लंका पार करने के लिए पुल बना रहे थे उस वक्त जिस प्रकार गिलहरी ने पत्थर डाला था उसी तरह मैं, सभापति महोदय, आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक मैं विधान सभा का सदस्य रहूंगा प्रथम श्रेणी में कभी नहीं आऊंगा, और हमेशा द्वितीय श्रेणी का किराया ही यहां आने-जाने का चार्ज करूंगा। इससे जितना भी थोड़ा बहुत पैसा बच सके उससे हमारे देश का भला हो। इस प्रकार मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो हमारे समाज की बुराई है शराब उसको बन्द करो चाहे आप स्कूल मत बनाओ, चाहे आप बांध मत बनाओ। गान्धी जी कहते थे, शराब जननी है चोरी की, जुए की, व्यभिचार की। आज जो 500–550 रुपये की शेम्पेन की बोतलें पीते हैं, वह रिश्वत से ही आती हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपको दारू की कीमतें कैसे मालूम हुईं ?

श्री मनोहर सिंह मेहता : व्हाइट हौर्स और दूसरी अंग्रेजी दारू की बोतलें हैं जो 200–200 और 250 रुपये की मिलती हैं उनको अधिकारी पीते हैं। वह कहां से लाते हैं। वह जरूर हजारों रुपये की रिश्वत लेते हैं। इस प्रकार भ्रष्टाचार पनपता है। हमारे भीलवाड़ा के एरिया में खानें हैं उन खानों में काम करने वाले लोग हजारों की तादाद

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

में 25-30 रुपये रोज कमाते हैं और वह सब कमाई वह मजदूर लोग रात में शराब में पी जाते हैं और उनके बच्चे बेचारे भूखे सोते हैं। मैं राज्य सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि आप शराब बन्द करने में हिचकिचाइये मत। घोड़े पर बैठ कर जिस तरह खन्दक को सवार पार करता है उसी तरह बिना हिचकिचाये आप घोड़े के एड लगा कर पार कर जाओ। आप शराब को बन्द कर दो। दृढ़ संकल्प कर लो, जिस तरह नानी बाई का माहिरा बिना पैसे के भरने का नरसी मेहता ने विचार किया, आप तो नरसी मेहता की तरह आगे बढ़ जाओ, नरसी मेहता माहिरा भरने गये जब वही साधुओं की टोली और हाथ में तुमड़ी थी लेकिन श्रीकृष्ण भगवान को माहिरा भरने आना पड़ा। आप शराबबन्दी को लागू कीजिये, मोरारजी भाई आपकी मदद करने जरूर आ जायेंगे। ऐसा करने से राजस्थान का गौरव बढ़ जायेगा। हमारे देश, राजस्थान में जिस तरह से राणा प्रताप का नाम शान से लिया जाता है इसी तरह जो गौरव राजस्थान का पहले था वही वापस आ जायेगा। सारा देश हमारे से प्रेरणा लेगा और राजस्थान का सम्मान देश में बढ़ेगा। बस इतना ही कहते हुए मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है उसका मैं विरोध करता हूं और मैं मेरे विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। किसी भी सरकार की उपलब्धियां जिन बातों से जांची जाती हैं, उसमें सबसे बड़ा प्रश्न जो जनता से संबंध रखता है वह है महंगाई का प्रश्न। जब तक कोई भी सरकार महंगाई के प्रश्न को हल नहीं करती है और हल करने में सफल नहीं होती है तब तक वह सरकार सफल नहीं कही जा सकती।

सभापति महोदय, मार्च, 1977 में जो भाव थे अनाज के और तेल के पहले उन पर जाना चाहता हूं। 24 मार्च को भाव गेहूं कल्याण के 105 रुपये थे जो वर्तमान में 125 हैं। गेहूं फार्मी जो 135 थे आज वर्तमान में 165 हैं। चावल जो 140 था आज वर्तमान में 165 है। चना जो पहले 135 रुपये था आज वर्तमान में 165 है। जीरा 1450 था और आज वर्तमान में 2200 है। बाजरा जो 108 था वर्तमान में 122 है। हल्दी जो 400 रुपये थी आज 700 है। तेल मूंगफली जो 142 का टिन था वह आज वर्तमान में 178.50 है। सरसों जो 147 था वह अब 187 का टिन है। सिर्फ शक्कर के भाव नहीं बढ़े हैं और दूसरी जो मैंने अभी चीजें बताई हैं सबके भाव बढ़े हैं।

अब यह प्रश्न आता है कि इन भावों को, जो बढ़ रहे हैं, बढ़ने से कैसे रोका जाये ? इस प्रश्न पर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट भी विचार कर रही है। प्रधान मंत्री जी के बयान बार-बार आ रहे हैं। मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन भी बुलाया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह भाव जितने-जितने हैं, कितने भी आप उपदेश दे दें, कितनी भी समझाइश कर दें लेकिन अगर ठोस कदम नहीं उठाया जायेगा तब तक यह भाव अधिक के अधिक ही रहेंगे और बढ़ते ही रहेंगे। ठोस कदम उठाने के लिए केन्द्रीय सरकार को सोचना पड़ेगा। अगर केन्द्रीय सरकार ने नहीं सोचा और अपीलें ही अपीलें कीं और समझाइश ही समझाइश की तो उससे कोई काम होने

Page No 70

(70)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

वाला नहीं है, उससे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। मैं तो यह समझता हूं कि जो स्मगलिंग होता है, जो ब्लेक मार्केटिंग होता है, जो जमाखोरी होती है, जो मुनाफाखोरी होती है इस अपराध को रोकने के लिए अगर मीसा का भी प्रयोग किया जाये तो भी मैं कहता हूं कि इसके लिए सार्थक होगा। मैं यह कहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन करने, शासन करने और प्रशासन करने के लिए बहुत समझदारी से और सोच-समझ कर कदम उठाने की जरूरत होती है। यदि ठोस कदम नहीं उठाये जायेंगे तो वह प्रशासन चल नहीं सकता। अगर कोई स्मगलर है वह श्री जयप्रकाश जी के सामने भी शपथ खा ले, मोरारजी देसाई के सामने शपथ खा ले, मैं कहता हूं कि वह चाहे कितनी भी शपथ खा ले मगर उसका हृदय परिवर्तन नहीं होता है। यह करके देखा है, चोरों के मामले में भी देखा है, डकैतों के मामले में भी देखा है उनका भी हृदय-परिवर्तन नहीं हुआ है। यह व्यवहारिक चीज है जो मैं कह रहा हूं। इन शपथों के खाने के बाद भी उन स्मगलर्स की कार्यवाही अभी भी उसी प्रकार की बनी हुई है जो कि देश के लिए बहुत ही घातक है।····

श्री रतनलाल वर्मा : आपने ही चलाई है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : किसी ने भी चलाई हो। कोई पार्टी इस प्रकार का समर्थन करती है तो उसको मैं अच्छा नहीं कहता। मैं कांग्रेस पार्टी में रहा हूं और इस प्रकार की एक्टीविटीज के खिलाफ रहा हूं और खिलाफ रहूंगा। मैं यह दृष्टिकोण रखता हूं और दृढ़ दृष्टिकोण रखता हूं इसलिए ऐसी चीजें मत कहिये। मैंने काम किया है और संघर्ष करके भी जीत कर आया हूं। हमारे जिले में भी सामन्तशाही का मुकाबला करना पड़ा है। आर.एस.एस. और जनसंघ की शक्तियों से मुकाबला करके आया हूं।····

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप तो अपने विचार रखिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो आर्थिक अपराध इस देश में हो रहे हैं उनको रोकने के लिए सख्त कदम उठाने पड़ेंगे।

उनके लिए आज सोचा जा रहा है। यह भी अच्छा सुझाव है और वाकई में गवर्नमेन्ट को इस सुझाव को कन्सीडर करना चाहिए कि कन्ज्यूमर्स गुड्स का उत्पादन किया जाये। लग्जरी गुड्स के लिए मैं कहना चाहता हूं जब कि देश में गरीबी छाई हुई है और हमारे 80 प्रतिशत लोग गरीब हैं तो क्या आवश्यकता है लग्जरी गुड्स की? जब हमको गरीबी मिटानी है तो लग्जरी गुड्स को देश में पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लग्जरी गुड्स के बिना भी काम चला सकते हैं। देश में लग्जरी गुड्स के पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कन्ज्यूमर्स गुड्स पर और उसके उत्पादन पर जोर दिया जाये और लग्जरी गुड्स का उत्पादन नहीं हो तो इससे भी महंगाई पर असर पड़ेगा और महंगाई कम होगी।

दूसरा सुझाव मैं यह भी देना चाहता हूं कि 100 रुपये या 1,000 रुपये के नोटों का

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

जो चलन है वह स्मगलर्स और व्यापारी वर्ग के पास ही होता है। इन नोटों को वह आराम से रख सकते हैं। तो इस प्रकार के नोटों के चलन को भी बन्द करने का सोचना चाहिए। यह सुझाव भी मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसलिए सबसे बड़ा जो प्रश्न है भले ही कांग्रेस की सरकार हो या दूसरे दल की या केन्द्रीय सरकार हो जो कि जनता सरकार के रूप में आई है, यह सब के सोचने का प्रश्न है। इसमें हम भी आपको सहयोग देने के लिए तैयार हैं। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आपको सहयोग दे और आप भी पूरी कोशिश करें। यह प्रश्न सब का प्रश्न है। यह कोई एक पार्टी का प्रश्न नहीं है, पूरे राष्ट्र का प्रश्न है और देश का प्रश्न है। इसको हल करने के लिए हमें पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए, हमारे प्रदेश की सरकार को पूरी कोशिश करनी चाहिए और इस संबंध में जो भी एक्टीविटीज स्मगलिंग की चल रही हैं, ब्लैक मार्केटिंग की चल रही हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। हमारे चीफ मिनिस्टर स्टेटमेन्ट देते हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वह स्टेटमेन्ट ही नहीं दें बल्कि उसको क्रियान्वित भी करें। जो इस प्रकार की फोर्सेज हैं यदि उनका समर्थन कांग्रेस करती है तो भी और जनता पार्टी भी करती है तो भी वह समर्थन करना बन्द कर दे। ऐसी ताकतें जो मंहगाई का वातावरण पैदा करना चाहती हैं उनको तोड़े बिना हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है और हमारी जनशक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। जो हम प्रतिनिधि चुन कर आये हैं हम अपने कर्त्तव्यों को पूरी तरह से अदा नहीं कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है पीने के पानी का। इस बारे में पहले भी मैंने प्रश्न सदन में उठाये और उसका असर भी हुआ। ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना के आंकड़ों में आइये और देखने की कोशिश करिये। पहली पंचवर्षीय योजना में सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर खर्चा था। यह आंकड़े हैं:—

पहली योजना में–14.8 लाख रुपये खर्चा हुआ

दूसरी योजना में–289.02 लाख रुपये खर्च हुए थे

तीसरी योजना में–230.63 लाख रुपये खर्च हुए

और चौथी योजना में 209 31 लाख रुपये खर्च हुए थे। 20 करोड़ रुपये खर्च हुए।

श्री श्रवण लाल (हिन्डौन): अकाल के नाम पर ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अकाल के नाम पर नहीं, योजना के ऊपर खर्च हुआ। 1975–76 में 614 लाख रुपये खर्चा हुआ।

श्री रतनलाल वर्मा : इसमें ईमानदारी से कितना खाया ?

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री श्रवण लाल : इस प्रश्न के अन्दर आंकड़ों को ही लें . . .

श्री सभापति : कृपया शांत रहिये, आप बहुत पुराने सदस्य हैं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : बाड़मेर क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर इन दस वर्षों के अन्दर 11 करोड़ रुपया खर्च हुआ।

श्री रतनलाल वर्मा : खाया कितना ?

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : खाने वाले के खिलाफ एक्शन लीजिये। कोई भी हो, उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिये।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो हम सदस्य आये 1967 में, हमने पानी की समस्या के बारे में आवाज उठाई और उसका असर हुआ। आज राज्यपाल का जो भाषण है उस भाषण के अन्दर भी कोई स्थिति साफ नहीं है। क्या हम राशि इसके लिये रखेंगे ? केन्द्रीय सरकार से हमें क्या मदद मिलेगी ? आप अपने साधनों से क्या जुटायेंगे, प्रश्न यह है। अपने साधनों में से आप पीने के पानी की समस्या के बारे में अपने बजट में क्या प्रोवीजन रख कर खर्च करेंगे ? प्राथमिकता देंगे या नहीं देंगे ? यह आवश्यक है इसलिये इस समस्या को आपको समझना चाहिये, अधिक से अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

तीसरी बात, जैसलमेर, बाड़मेर आदि जो सीमावर्ती जिले हैं वहां की सड़कों के बारे में है। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं। सन् 1962 के अन्दर हमारा जो युद्ध हुआ चीन से उसमें हमें असफलता मिली। सन् 1965 के युद्ध में जो हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में हुआ, उसमें बराबर की स्थिति रही। न सफलता मिली न असफलता। किन्तु 1971 के युद्ध में हमें बहुत भारी सफलता मिली और उसमें हमारी रोड्स बहुत लाभदायक रहीं। सीमावर्ती रोड्स बहुत ही लाभदायक रहीं। अब कभी भी युद्ध हो सकता है। हर समय हमें तैयार रहना चाहिये, ऐसी सीमावर्ती रोड्स बहुत आवश्यक हैं। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में यह रोड्स बहुत आवश्यक हैं, हमारे देश की सुरक्षा के लिये यह रोड्स आवश्यक हैं। उन रोड्स के बारे में केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध रखना चाहिये और कोई हल निकाला जाना चाहिये देश की सुरक्षा के लिये।

चौथी बात, जनता पार्टी के राज्य में आने से देश में कुछ खतरा सामने आया है और वह बहुत भयंकर खतरा है। जनसंघ का सपना तो अखण्ड भारत का था। अखण्ड भारत का सपना तो पूरा कर नहीं सकते परन्तु ऐसा न हो कहीं हमारे देश को नुकसान पहुंचे।

एक माननीय सदस्य : अब जनता पार्टी है, जनसंघ नहीं है।

श्री सभापति : आप जवाब में बोल सकेंगे।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : जनसंघ घटक के रूप में आया है। जिस प्रकार आपको टिकट मिले हैं और जिस प्रकार के भाषण दिये हैं उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि अभी तक अलग घटक हैं, आप अभी तक समान विचारधारा के नहीं हैं। इस देश में प्रजातंत्र तभी सफल हो सकता है जब कि समान विचारधारा के लोगों की पार्टी बन सके। अभी समान विचारधारा के लोगों की पार्टी नहीं बनी

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

है। ठीक है उनका एक लक्ष्य था कांग्रेस के विरोध का और हमारी कुछ गलतियां थीं उसका लाभ उठाया है...

श्री सूर्यनारायण चौधरी : क्या गलतियां थीं आपकी ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इसलिये कहना चाहता हूं...

श्री सभापति : आप जवाब नहीं दें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जो खतरा हमारे सामने हैं वह मैं कहना चाहूंगा। आज तमिलनाडू का खतरा है। मोरारजी ने इस विषय में उनके मुख्य मंत्री जी को पत्र दिया है यह हमारे लिये खतरा है। काश्मीर में नेशनल कान्फ्रेन्स पार्टी जिस तरह से उभर कर आई है वह हमारे लिये खतरा है। तीसरा, देश के सामने पंजाब में अकाली पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी आज उभर कर आई है यह भी खतरा है। चौथा खतरा...

श्री नवनीत पालीवाल : खतरा तो कांग्रेस से है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : वह भी जवाब दूंगा। बंगाल में खतरा है। त्रिपुरा में जो कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट पार्टीज, शक्ति परीक्षण का प्रयास कर रहे हैं वह हमारे लिये खतरा है। सब से बड़ा खतरा है जनसंघ घटक से।

श्री प्रेम सिंह सिंघवी : जनसंघ के नाम से नींद नहीं आती क्या ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आज आर. एस. एस. वाले हैं, जनसंघ वाले हैं उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं हुआ। वे महात्मा गांधी के सिद्धान्तों पर चल सकेंगे, मुझे विश्वास नहीं है। पुरानी कांग्रेस के जो आदमी हैं वे समाजवादी पार्टी के आदमी हैं, आज वे चाहते हैं कि देश के अन्दर हम प्रगति करें, देश का विकास करें। मैं यह समझता हूं कि जनसंघ वाले कुछ भी इस देश में प्रगति नहीं होने देंगे, वे बाधक होंगे। अभी हमारी शक्ति बढ़ी है, अगर हमें और अवसर मिलता तो हम इस शक्ति को और बढ़ा सकते थे। 30 वर्षों का शासन जो हमने दिया वह जनता ने हमको दिया था, किसी जनसंघ का अहसान नहीं था, किसी अन्य पार्टी का अहसान नहीं था बल्कि जनता की शक्ति पर आये और अब भी जनता की ताकत पर ही आये हैं।

श्री प्रेम सिंह सिंघवी : हम भी आते थे तो जनता की शक्ति पर ही आते थे और अब भी जनता की शक्ति पर ही आये है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं यह नहीं कहता कि...

श्री नवनीत पालीवाल : रस्सी जल गई पर बल नहीं गया।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सामन्तवादी शक्तियों के खिलाफ ही हमने भैरोंसिंह जी को हमारे मुकाबले पार्लियामेंट में हराया था और उनको 50 हजार वोटों से हराया था...

(व्यवधान)

आप सुन तो लीजिये...

एक माननीय सदस्य : इन चुनावों में कितने कितने वोटों से हारे है।

श्री नवनीत पालीवाल : चार-चार लाख से हारे हैं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : इस पार्लियामेंट के चुनाव से पहले हमने एक प्रोग्राम दिया और वह प्रोग्राम देकर बड़ी भारी गलती की। परिवार नियोजन का प्रोग्राम और इसके कारण हम 88 हजार वोटों से हारे। अभी फिर बाद में चुनाव हुए—दो महीने बाद हमने जनता को समझाया और कहा यह संघर्ष सामन्तवाद के खिलाफ है, यह संघर्ष जनसंघ से है और आपको इनसे लोहा लेना है। वे तैयार हुये और उसी पार्लियामेंट्री कान्स्टीट्यूएन्सी से 35 हजार वोटों से जीते हैं। इसलिये आप यह न समझिये, मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहता हूं कि मोरल डाउन नहीं होना चाहिये। अलग अलग घटक जो आज जय प्रकाश जी के नारों से एक हुये हैं लेकिन वह एक हो ही नहीं सकते हैं। सामन्तवादियों ने शोषण किया और उसके कारण हम विधान सभा के चुनाव में जीते हैं। शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का उन्होंने शोषण किया है, जुल्म किया है। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स पर बराबर उन्होंने अत्याचार किये हैं। आज शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज ने हमारा पूरा साथ दिया है और हम उनके वोटों से जीते हैं। इसलिये जो सबसे बड़ा खतरा है, इन खतरों के बारे में हमारा कांग्रेस पार्टी को ऊपर उठाना चाहिये हमें तैयार होना है और पूरी शक्ति के साथ इन शक्तियों को तोड़ना है। हमें विश्वास है जल्दी से जल्दी ध्रुवीकरण होगा। जो चारों घटक हैं, चारों पार्टीज हैं वे एक समान विचार धारा ... कैसे आ जायेगी? एक ही विचार ... कभी नहीं आ सकती हैं।

... र नियोजन के बारे में मुझे कुछ ... कार्यक्रम को अगर किसी न हाथ में नहीं लिया तो मैं कहना चाहता हूं चाहे वह जनता पार्टी हो और चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सफल नहीं हो सकती है।

श्री नवनीत पालीवाल : अभी जी नहीं भरा क्या?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आज कांग्रेस ने मुझे समझ में नहीं आता है...

श्री सभापति : आप अपने दल के समय का ध्यान रखें।

एक माननीय सदस्य : अभी तो दल का प्रचार कर रहे हैं...

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सभापति महोदय, मैं आपके सामने कुछ फीगर्स रखना चाहता हूं। अभी हमने प्रश्न पूछा था लेकिन फीगर नहीं बताया। जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिये आपको, हमको सबको कोशिश करनी पड़ेगी। हम यह कहते हैं जबरदस्ती अच्छी नहीं है। इसके परिणाम हमें मिल गये लेकिन इस कार्यक्रम को अगर आपने हाथ में नहीं लिया तो हमारे देश की गरीबी बढ़ेगी। हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है और आबादी तीव्र गति से बढ़ रही है। जिस प्रतिशत से जनसंख्या बढ़ रही है कितना ही विकास करें एक साल में सवा करोड़ की जनसंख्या बढ़ रही है। इसलिये इस कार्यक्रम को हाथ में लेना पड़ेगा और इसका हमें भी समर्थन करना पड़ेगा। किन्तु आपकी पार्टी ने एक ऐसा प्रचार किया है, हमने तो ज्यादती की, ठीक है लेकिन आपकी पार्टी ने ऐसा प्रचार किया है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम से नपुंसक हो जाते हैं। आपके कार्यकर्ताओं ने प्रचार किया है। यह इतना खतरनाक प्रचार किया है

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

और इतना गलत प्रचार किया है कि वैज्ञानिकों का जो मत है, उसके विरुद्ध प्रचार किया है। आधुनिक युग का जो कन्ट्रीब्यूशन है उसके विरुद्ध प्रचार किया है। उससे ताकत और सत्ता पाई है। इसलिए बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी तब जाकर हम जनता को समझा सकेंगे। आपने इस कार्य को बड़ा कठिन कार्य बना दिया है। आपने इस तरह का प्रचार करके देश के प्रति गद्दारी की है, देश के प्रति जुल्म किया है और हमारी पार्टी के साथ भी गद्दारी की है···

(व्यवधान)

····आप मेरे भाषण में···

श्री सूर्य नारायण चौधरी : माननीय सभापति महोदय,···

(व्यवधान)

श्री नवनीत पालीवाल : (गद्दारी) शब्द को निकाला जाय····

(व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण चौधरी (नीम का थाना) : ऑन ए पाइन्ट आफ आर्डर, मैं आप के माध्यम से बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उनसे हमें काफी अपेक्षायें हैं, काफी अनुभवी रहे हैं किन्तु जिस असंयत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, गद्दारी शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं वह जान बूझ कर कर रहे हैं ताकि उत्तेजना फैले। इसलिये मैं आपकी मार्फत यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस प्रकार की भाषा न तो उनको शोभा देती है और न सदन की गरिमा को ही बढ़ायेगी। मैं चाहूंगा या तो इसे वह वापिस लें या आगे संयत भाषा बोलने की कोशिश करें।

श्री सभापति : क्या नोटिंग हुआ है? (विराम) पढ़िये।

(प्रतिवेदक ने प्रतिवेदित अंश श्री सभापति को सुनाया)

माननीय वृद्धि चन्द्र जी, उधर से जो आपत्ति उठाई है उसके बारे में कुछ कहना है आपको?

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : माननीय सभापति महोदय, मैंने जिस भावना से ये शब्द कहे हैं···

श्री सभापति : उस सम्बन्ध में मैं भी कुछ कहना चाह रहा हूं। आसन की तरफ से आपके भाषण पर विचार हो रहा है। इसके सम्बन्ध में विचार व्यक्त करना उचित नहीं है। मैंने इसके प्रसंग को देखा है, कृपया समय जाया न करें। इस भाषा को अन-पार्लियामेन्ट्री तो नहीं समझता लेकिन संयम की भाषा भी नहीं समझता इसलिये शिष्टभाषा का प्रयोग किया जाय। आगे चलिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इस सम्बन्ध में ऐसा है कि मैं भी एक पार्लियामेंटेरियन हूं, मेम्बर रहा हूं, मैं जानता हूं···

श्री रतनलाल वर्मा : आप जानते तो, श्रीमान्, इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते।

(श्री रतनलाल वर्मा)
अध्यक्ष महोदय ने फैसला दे दिया हम उस पर कायम हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : इस सदन को चलाने का भार आसन पर है। आपको अगर कोई भी आपत्ति हो तो या तो पोइन्ट आफ आर्डर द्वारा या किसी नियम के अन्तर्गत आसन का ध्यान इस ओर आकर्षित करायें। मैं समझता हूं कि कई माननीय सदस्यों के लिए इस हाउस में आना एक नई बात है, पहली बार यहां आए हैं इसलिए उनसे अभी यह अपेक्षा नहीं कर सकता कि उन्होंने नियमों का अध्ययन अच्छी तरह से कर लिया होगा। फिर भी मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि इधर से आपत्ति आई, उसकी व्यवस्था आसन की तरफ से दी गई लेकिन पार्लियामेंट में, लोक सभा में ऐसी भी बातें हुई हैं जब कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसी बात को फेन्टास्टिक, नोनेंस कह दिया था लेकिन उसको अनपार्लियामेंट्री नहीं कहा गया। आगे चलिये, इस विवाद में न पड़ें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अब मद्य निषेध के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं कि···

श्री सभापति : अभी कितना समय और लेंगे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : दो मिनट और। बस मद्य निषेध के बारे में कह कर···

श्री सभापति : मेहता जी के कहने के बाद और क्या रहता है?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं मेहता जी को सपोर्ट कर रहा हूं।

श्री सभापति : अच्छा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जो मेहता जी ने कहा···

श्री सभापति : माननीय मेहताजी,

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : माननीय मेहता जी ने जो मांडलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य हैं, जो मद्य निषेध पर विचार रखे हैं मैं उन विचारों का समर्थन करता हूं। पहले भी मैंने उनके विचारों का समर्थन किया है। राज्य सरकार को चाहिए कि मद्य निषेध के बारे में तुरन्त कदम उठाये। परन्तु मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले में मद्य निषेध हुआ है पर वहां पर मद्य निषेध होने के बाद में जो अवैध शराब बनाने का कार्य है वह बहुत ही ज्यादा चल पड़ा है। अवैध शराब का जो धन्धा चल पड़ा है उसको रोकने के लिए अगर उपाय नहीं किया गया तो वह जो हमारा कार्यक्रम है, जिन जिलों में हमने शराब बन्द कर दी है वहां अवैध शराब बनाने का कार्यक्रम इतना अधिक चालू हो गया है तो कहीं ऐसा नहीं हो कि गवर्नमेंट को घाटा भी हो और शराबबन्दी भी न हो। तो इस सम्बन्ध में भी राज्य सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ में जो राज्यपाल ने अभिभाषण दिया है उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री कल्याण सिंह जी सांखला।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय सभापति जी, मेरे ख्याल से हाउस में

श्री सभापति : क्या कहना चाहते हैं ?

श्री रामकरण सिंह : मिनिस्टर इंचार्ज कोई तो होना चाहिए।

श्री नवनीत पालीवाल : तीन-तीन राज्य मंत्री बैठे हैं।

श्री सभापति : मैं केवल आपको यह बताना चाहता हूं कि इसके बाद में आपको मौका मिलेगा। इधर से तो बोल गए हैं उसके बाद उधर से बोल लें। इस क्रम में आने दीजिए।

श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर, पश्चिम) : सभापति जी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। श्रीमान् राज्यपाल महोदय ने जो भाषण, अभिभाषण इस सदन में दिया, मैं उसका स्वागत करता हूं। इस अभिभाषण में आपातकाल स्थिति के सम्बन्ध में जो चर्चा की गई है वह स्वागत योग्य है। आपात काल के समय में इस देश में क्या जुल्म नहीं हुए। कौन सा जुल्म करना पिछली सरकार ने बाकी रखा। कहने की आवश्यकता नहीं, प्रत्येक व्यक्ति उससे परिचित है। विशेष रूप से एक बात मैं याद दिला दूं, झुंझुनू से आने वाली सदस्या महोदय को कि उन्होंने इमर्जेन्सी के सम्बन्ध में बात को स्वीकार करते हुए जिस तरह से और उपलब्धियों की बात कही, तो वह महिला हैं, उनका मां का दिल है, मगर मैं उनको याद दिला दूं कि स्नेहलता के बच्चों को आज मां के प्यार से देखें। बच्चों के मन में क्या पीड़ा होती है, उसको वह अच्छी तरह से समझती हैं। राजन काण्ड को लोग भूले नहीं हैं। आज राजन की मां अपने बच्चे का मुंह देखने को तरस रही है। इस तरह के अनेक काण्ड देश में, प्रदेश में हुए और उसी का परिणाम है कि आज इस सदन में इस क्षेत्र में बैठने वाले उस क्षेत्र में बैठ गए और उस क्षेत्र में बैठने वालों को जनता ने इधर बिठाया। आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा इस सम्बन्ध में कि तीस साल के शासन में प्रदेश के अन्दर कांग्रेस सरकार ने बहुत ही भेदभाव बरता। प्रत्येक क्षेत्र को अपने दृष्टिकोण से उभारा, उसका विकास किया। उसी तरह से जिस जिस क्षेत्र से उनको समर्थन कम मिला उसकी हमेशा उपेक्षा की गई। इसका उदाहरण मैं आपको बतलाऊं कि अजमेर जिला राजस्थान का एक प्रमुख जिला और हृदय स्थल है। अजमेर के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, सन् 1956 में अजमेर राजस्थान में दर्ज हुआ उस वक्त अजमेर के लोगों से मौजूदा सरकार ने अनेक वायदे किए थे और उन वायदों में एक बात यह भी थी मुख्य रूप से कि जो अजमेर राज्य में कार्य करने वाले लोग हैं, कर्मचारी हैं उनको जो सुविधायें वहां मिलती थीं उनमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। परन्तु दुःख है कि उसके बाद वहां के लोगों के साथ वह वायदा नहीं निभाया गया।

अजमेर जिले में आज तक तीस साल के शासन में शिक्षा के अन्दर प्रमुख रहने के बावजूद राजकीय छात्रा कालेज पिछली सरकार नहीं खोल सकी। अजमेर जिले का शिक्षा में इतना बड़ा महत्व होते हुए भी वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटी की मांग करती रही मगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया।

(श्री कल्याण सिंह सांखला)

अजमेर के अन्दर आज तक किसी महत्वपूर्ण व्यवसाय को वहां पनपने नहीं दिया गया।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, हमारा क्षेत्र हमेशा राजस्थान में अग्रणी रहा है। राजस्थान में अजमेर ऐसा जिला है जहां पर शिक्षण संस्थायें, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थायें काफी ज्यादा हैं। सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के साथ घोर अन्याय होता है। इस ओर पिछली सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। आशा है कि मौजूदा सरकार इस ओर विशेष ध्यान देगी। सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता मिलता रहा मगर गत सरकार ने 1967 में अचानक मकान किराया भत्ता देना बन्द कर दिया। यह उनके साथ अन्याय किया जब कि अनुदान नियमों में इसका प्रावधान है।

अजमेर के अन्दर सबसे बड़ी समस्या पानी की है। उस पानी की समस्या को मौजूदा सरकार ने तीस साल से लटकाए रखा, कभी हल करने की कोशिश नहीं की। राजमहल योजना अजमेर के लिए बनी, मगर आज तक अधर में लटकी हुई है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस योजना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा कराने की कोशिश की जाये, जिससे अजमेर का विकास हो और अजमेर के लोगों की पानी की किल्लत दूर हो।

अजमेर के अन्दर जो बिजली की लाइन हैं, वह पुरानी हो गई है। सरकार से निवेदन करूंगा कि इन लाइनों को तुरन्त ठीक करे, नई व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को जो परेशानी हो रही है, वह खत्म हो जाए।

श्री सभापति : श्री जगदीश सिंह (अनुपस्थित)।

श्री सुखलाल सैंणचा (रामपुर) : सभापति महोदय, मैं भी कब से निवेदन कर रहा था।

(विराम)

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने इस सदन के अन्दर जो अभिभाषण दिया है, उसके ऊपर हमारे कांग्रेस दल के सदस्य भी बोले हैं दूसरे माननीय सदस्य भी बोले हैं। हमारे दल के सदस्यों ने यह महसूस किया है कि इस अभिभाषण के अन्दर सरकार का कोई प्रोग्राम नहीं है. कोई ठोस कार्यक्रम नहीं बताया गया है। राजस्थान की ढाई करोड़ जनता राजस्थान विधान सभा के छठे आम चुनाव के बाद यह आशा लगाए हुए बैठी है कि हिन्दुस्तान के अन्दर, राजस्थान के अन्दर एक नयी पार्टी को उसने वोट दिये हैं, उस पार्टी ने राजस्थान के अन्दर सरकार बनायी है···

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य का परिचय ?

श्री सुखलाल सैंणचा : मेरा नाम सुखलाल सैंणचा है, रामपुर, मारवाड़ से निर्वाचित होकर आया हूं।

तो सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जनता की जो आशाएं हैं, उस ओर इस सरकार का ध्यान होना चाहिए। अब यह शेखावत सरकार आई है। इस सरकार से राजस्थान के मजदूर, किसान और गरीब काफी आशा, आकांक्षा

(श्री सुखलाल सैणचा)
लेकर बैठे हैं परन्तु मैं इस बात को महसूस करता हूं कि जब से विधान सभा के अन्दर आये हैं, इस सदन के अन्दर जनता पार्टी की माननीय महिला सदस्या भी यह महसूस कर रही थीं कि इस सदन के अन्दर इधर उधर से आरोप लगाये जा रहे हैं और जनता के लिए कोई ठोस कार्यक्रम नहीं दिया जा रहा है। गरीब आदमी जो गांवों के अन्दर बैठे हैं, उनके लिए···

एक माननीय सदस्य: सभापति जी, माननीय सदस्य के लिए सोने की व्यवस्था कर दी जाये।

श्री सभापति: आर्डर प्लीज!

श्री सूर्यनारायण चौधरी: मैं सो नहीं रहा हूँ। आंख बन्द कर सुन रहा हूं। मनन कर रहा हूं।

श्री सुखलाल सैणचा: सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान के गरीब लोग सरकार की ओर आंख लगा कर बैठे हैं। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने दिमाग को बदलने की कोशिश करें। मैं महसूस करता हूँ कि इमर्जेन्सी के दौरान आपके साथ ज्यादतियां हुई हैं, जनता के साथ भी ज्यादतियां हुई हैं। परन्तु क्या ज्यादतियां हुई हैं इस सरकार को देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ ही कांग्रेस पार्टी पर, सारे सदस्यों पर जिस प्रकार के आरोप लगाये जा रहे हैं, मैं महसूस करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी पर इस प्रकार के आरोप लगाये जा रहे हैं, जिस प्रकार गांव के सांसी को कुदृष्टि से देखा जाता है, उसी प्रकार कांग्रेस के सदस्यों को देखा जा रहा है और उसके आदमियों पर आरोप लगाये जा रहे हैं। हिन्दुस्तान की आजादी के पहले, और आजादी के बाद तीस साल के अन्दर कांग्रेस ने जो अपना रोल अदा किया है, जो इस दल ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, जो पिछड़े वर्ग के लिए, किसान वर्ग के लिए, मजदूर वर्ग के लिए इसने काम किया है, माननीय सदस्य भी महसूस करते होंगे कि उसी कार्य के फलस्वरूप आप यहां पर बैठे हैं। परन्तु इस सदन का जो वातावरण चल रहा है, मैं महसूस करता हूं कि जो पुराने कांग्रेसजन हैं, जिन्हें सत्ता की भूख नहीं थी, जिन्हें कुर्सी की भूख नहीं थी, जो गांव में रहते हैं, उनको भी कोसा जा रहा है। कांग्रेस का एक इतिहास है। कांग्रेस के सिद्धांत हैं। उसकी अपनी नीतियां हैं। उसका कोई यह नियम नहीं था कि वह जनता के साथ अन्याय करे। मैं इस बात को महसूस करता हूं कि कांग्रेस के अन्दर कुछ प्रभावशाली आदमियों ने सत्ता हथिया ली, वे सत्ता में आ गये। इस कांग्रेस में कुछ गुण्डे आ गये थे और उन्होंने यह सत्यानास कर दिया····

श्री सूर्यनारायण चौधरी: वे गुण्डे कौन हैं, उनके नाम बोलिए।

श्री सभापति: आर्डर प्लीज!

श्री सूर्यनारायण: आन ए पाइन्ट आफ इन्फोर्मेशन। माननीय सदस्य ने कहा है। वे गुण्डे कौन हैं? उनके नाम बता दें।

श्री सभापति: यह सारा आप जानते हैं। आप बैठिये।

श्री सुखलाल सैंणचा : मैं यह निवेदन कर रहा था, सभापति महोदय, कि कांग्रेस पार्टी के अन्दर जो गुण्डे घुस आये थे, वे ही गुण्डे लोग अब जनता पार्टी में घुस गये हैं। इस बात को आप अभी से महसूस कर लें। ये लोग आप को डुबोने वाले हैं। इसका उदाहरण आपको दे दूंगा। हमारी माननीय सदस्या सुमित्रासिंह कह रही थीं यह जो ज्यादतियां हुई हैं, बदमाशियां हुई हैं, इस सम्बन्ध में निवेदन करूं। मैं यह निवेदन भी कर दूं कि बार बार इस सदन के अन्दर एक ही पार्टी को बदनाम करने की बात कही जाती है। शेखावत सरकार को यह देखना पड़ेगा कि पूरी पार्टी इसके लिए दोषी नहीं है। एक पार्टी के 25/30 लोगों ने कांग्रेस में रह कर किसी प्रकार का जुर्म किया है तो उनको आप सजा दें। मुख्य मंत्री महोदय, आप से राजस्थान की जनता आशाएं लगाए बैठी है। आप सरकार बना कर बैठे हैं। कल विरोधी दल में बैठते थे, आज सत्ता पक्ष की ओर बैठे हैं। सत्ता की कुर्सी पर आप बैठे हैं। जो मंत्री गण विरोधी दल से जाकर मंत्री गण की कुर्सी पर बैठे हैं उनसे राजस्थान की ढाई करोड़ जनता आशा लगाए बैठी है। उस ढाई करोड़ जनता की गरीबी मिटाने, उसको मजदूरी दिलाने और उसका जीवन स्तर ऊंचा उठाने का दायित्व आपने लिया है। यह नहीं कि आप इस सदन में हंसी मजाक करें और आरोप–प्रत्यारोप लगावें। जब हमारी कांग्रेस पार्टी के सदस्य बोलने को होते हैं, उधर के माननीय सदस्य उनको दबाने की कोशिश करते हैं। आप समस्या की गहराई में जाएं। आपने जांच आयोग बैठा दिए हैं। शाह आयोग बिठा दिया है। आप जांच कीजिए, उन लोगों को दंड दीजिये, जिन्होंने गड़बड़ियां की हैं, बदमाशियां की हैं। मैं तो आपको यह कहना चाहता हूं कि पार्टी के अन्दर जो हमारे विधायक लोग थे, उनको किसी प्रकार कान्फीडेन्स में नहीं लिया गया। मैं यह महसूस करता हूं कि ज्यादतियां हुई हैं परन्तु आप पूरी कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। आखिर आप यहां पर हाउस में आकर बैठे हैं। जालौर से आने वाले माननीय सदस्य जब यहां पर बोल रहे थे तो मेरे दिल में दर्द हो रहा था। राजस्थान की जनता जानती है कि राजाओं के राज में किस प्रकार से पिछड़े वर्ग के लोगों को जागीरदार कुचल रहे थे। उन लोगों के जूते लगाये जाते थे। उनसे बेगार में काम लिया जाता था। सभापति महोदय, आप जानते हैं, उस समय उन लोगों की क्या हालत थी। किसान अपने खेत का मालिक नहीं था। उन लोगों को उनके खेतों का मालिक बनाया गया। यह सब कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के लोगों को कितना ऊंचा उठाया है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, आप यहां पर केवल एक ही बात को न पकड़ लें। कांग्रेस ने कोई कार्य नहीं किया, यह बात कहना कतई वाजिब नहीं है। आप सदन के अन्दर चुनकर आये हैं सदन का समय होता है। आप के साथ हम बैठे हैं। गरीब मजदूर गावों में पीसे जा रहे हैं, पाली जिले के जो मन्त्री हैं उनको भी इस बात का पता होगा। पाली क्षेत्र और सुमेरपुर क्षेत्र में एक हजार रुपये बीघा की जमीन थी जो हमारे भूतपूर्व विधायक ने केन्द्रीय सरकार से लड़कर दिलाई थी। वहां के लोगों को दिलाई थी जो कि पिछड़ी जाती के लोग हैं। लेकिन जो वहां पर जागीरदार लोग हैं, वह लाठी लेकर

(श्री सुखलाल सेंणचा)
खड़े हो गये। आप इस बात का पता कर लें, वहां लट्ठ लेकर लोग खड़े हो गये। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस का राज चला गया है। जनता पार्टी का राज आ गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्या जनता पार्टी इस बात को चाहेगी? आप सदन के नेता के रूप में हैं।

श्री केदारनाथ (गृह मंत्री) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य इस बारे में जो भी नाम हैं, वह दे दें।

श्री सुखलाल सेंणचा : मैं नाम दे दूंगा।

श्री केदारनाथ : मैंने आदेश जारी कर दिये हैं। अगर किसी हरिजन की जमीन है। अगर कोई कब्जा कर लेता है तो उस हरिजन को पुलिस कब्जा दिलायेगी।

श्री सभापति : अगर आप गवर्नमेन्ट से तथ्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आपको तथ्यों को देना पड़ेगा। जनरलाइज वे में नहीं चलेगा।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदय, पिछले 5 सालों में गुजाणा, साण्डेराव आदि ग्रामों के बारे में कई बार मुद्दे उठाये गये हैं। 7 हजार बीघा जमीन है। कण्टीन्युअस जमीन है। इतना बड़ा अलाटमेंट कहीं पर भी नहीं हुआ है। पिछले 10 साल से अलाट नहीं हुआ है। साण्डेराव के बारे में माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं। वहां पर हरिजनों को कब्जा नहीं लेने दे रहे हैं। पहले आर. ए. सी. की दो बटालियन स्पेशली लगाई गई थीं। शायद उनके पास नाम भी होंगे। दो दिन की छुट्टी में नाम ले आयेंगे। वहां हरिजनों को बेदखल किया जा रहा है।

श्री केदारनाथ : इसी सूचना पर मैं कलेक्टर, पाली को आदेश दे रहा हूं।

(व्यवस्था–सूचक घण्टी)

श्री सुखलाल सेंणचा : मैं निवेदन कर रहा हूं, सभापति महोदय, पिछले दिनों मैं रेंगरों के वास में गया तो हमारे पुराने आदमी सरपंच हीरा जी हमको मोहल्ले में ले गये। वहां जाकर लोगों से मिला। जालौर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था। जो पिछड़े वर्ग को जमीन दी थी। समाज कल्याण विभाग द्वारा भी समाज को मदद दी है। नौकरियों में जो कोटा है, उसके अन्दर भी हमने प्रोत्साहन दिया है। पाली जिले के पिछड़े वर्ग और पाली जिले के मजदूरों ने कांग्रेस का साथ दिया है। भाई श्री अमृत नाहटा संसद सदस्य चुने गये थे। लेकिन विधान सभा का चुनाव हुआ तो चार सीट कांग्रेस को मिली। नाहटा ने कहा था कि एक भी सीट कांग्रेस की आ गयी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैंने उनको कहा, नाहटा जी आइये और इस्तीफा दीजिए। मैं मुख्य मन्त्री महोदय को यह कहना चाहता हूं कि आप मुख्य मन्त्री बने हैं, मैं आप का स्वागत करता हूं। मैं नाम मात्र को भी विरोध नहीं करना चाहता हूं। मैं तो कहता हूं आप पांच साल में वह करके दिखाइये जो हम 30 साल में नहीं कर सके हैं। जब नई कुकड़ियां खुलती हैं तो पुरानी कुकड़ियां पीछे परजती हैं। मैं भी यही कहूंगा। अखबारों में पढ़ा है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा जितनी भी समस्याएं हैं, हमारी समस्याएं हैं, जनता की समस्याएं हैं उन्हें हमारे मुख्य मन्त्री जी जादू के डण्डे से हल नहीं करेंगे। हमारी पंच वर्षीय योजना है।

(श्री सुखलाल सैंणचा)

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं जल्दी ही खत्म कर रहा हूं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान के एक प्रशासनिक अधिकारी हैं। आर. ए. एस. अधिकारी हैं। उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह वहां पर इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री के वह सेक्रेटरी बनने वाले हैं। वह साण्डेराव के बारे में इस प्रकार की बातें ला रहे हैं। मेरे लिए कहते हैं कि यह नया एम. एल. ए. कहां से आ गया। मैं गृह मन्त्री जी से निवेदन करूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

आप इसकी फाइल देखें। मैं तो यह निवेदन करूंगा। कहने को तो बहुत बातें हैं। मैं इस मौके पर अधिक नहीं कहूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री सुखलाल सैंणचा: पंचायतों के चुनाव कराने की घोषणा मुख्य मन्त्री ने की है। उसका मैं स्वागत करता हूं। पिछले दिनों लालफीताशाही के द्वारा बहुत सी व्यवस्थाओं को भंग किया गया है। मुख्य मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि इमर्जेन्सी में जो जुर्म हुए हैं, उनकी जांच की जाएगी। लालफीताशाही के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

बिजली के सम्बन्ध में भी मुझे कुछ गम्भीर बातें कहनी हैं।

श्री सभापति: बजट सैशन में उन बातों को उठायें।

(समय समाप्ति-सूचक-घण्टी)

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप पुराने सदस्य हैं। पिछले पांच सालों का अनुभव है। आप सदन के समय का ध्यान रखें। कई माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री सुखलाल सैंणचा: तो मैं एक बात यह भी निवेदन कर रहा था, · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं खत्म कर रहा हूं।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था रोडवेज के अधिकारी और कर्मचारी जिनको इमर्जेन्सी के दौरान निकाल दिया गया था, सरकार ने उनको वापस लेने का आदेश दिया है। रोडवेज के करीब पांच सौ मजदूर, जिनमें कन्डक्टर वगैरह सभी थे, मेरे पास आये थे, उनको अभी तक नौकरी में नहीं लिया गया है। वह बेचारे भूख से तड़प रहे हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री सभापति: माननीय नवलराय बच्चाणी।

(अनुपस्थित)

(श्री सभापति)

माननीय कौशल किशोर जैन।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीश सिंह: सभापति महोदय, जगदीश सिंह का भी नाम था।

श्री सभापति: आपका नाम बोला, तब आप नहीं थे, बोलिये आप बोलिये।

श्री जगदीश सिंह (धौलपुर): माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में मैं कुछ अपनी तरफ से भी विनती करता हूं।

सबसे पहले, अभिभाषण में हमारे साथियों में से यह भाषण दिया गया कि इस तरह के वक्तव्य दिये गये और उन वक्तव्यों के अन्दर किसी ने इस्तीफे की भी बात कही। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि आज से तीन साल पहले भरतपुर के अन्दर जब बाई-इलेक्शन हुए थे, उस समय कांग्रेस का सारा मन्त्रि मण्डल 15 दिन तक भरतपुर में डेरे डाले पड़ा रहा और जोशीजी ने कहा था कि अगर कांग्रेस हार गयी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा लेकिन उसके बाद तीन साल तक इस्तीफा नहीं दिया, इस्तीफा देना तो दूर किनार रहा लेकिन उन शब्दों के लिए कभी खेद भी प्रकट नहीं किया। इसी तरह से लोक सभा के इलेक्शन में यह कहा था कि राजस्थान में एक भी सीट हार जायेंगे, पच्चीस में से एक भी सीट हार गये तो इस्तीफा दे देंगे लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इसके बाद भी कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस के किसी भी मन्त्री ने हिम्मत नहीं की कि जो वचन दिये थे, उनका पालन किया जाय, इसके लिए एक शब्द भी नहीं कहा। उसके पालन में इस्तीफा देकर देखते। बल्कि इस्तीफे के लिए चौधरी चरणसिंह ने जब उनसे अपील की तो भी कोई ध्यान नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। फिर उनको वहां से भी धक्के देकर निकाला गया तब जाकर गद्दी छोड़ी। कोई आसानी से या अपनी मर्जी से नहीं छोड़ी। उसके बाद विधान सभा के इलेक्शन में जनता ने जो जवाब दिया वह आप सबको पता ही है। प्रश्न इस बात का आता है कि धौलपुर क्षेत्र की इस सरकार ने यानी कांग्रेस सरकार ने कितनी उपेक्षा की और क्या-क्या कारगुजारियां कीं अगर उसका चिट्ठा खोला जाय तो बहुत समय लगेगा और समय की कमी को देखते हुए मैं चन्द मिसालें देना चाहता हूं।

माइन्स डिपार्टमेन्ट के अन्दर, जो माइन्स के मन्त्री थे, उन्हीं के आदमियों के पास में बड़ी-बड़ी खानें हैं, पच्चीस साल से उन्हीं के पास हैं, सरकारी सेल्स टैक्स की रकम भी उनमें बकाया पड़ी हुई है लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है उनके खिलाफ। इसके अलावा ठेकेदार कौन लोग हैं? एक तरफ जोशी जी के खास आदमी श्री बनवारीलाल जब माइन्स मिनिस्टर थे, तब श्री बनवारीलालजी, उन्होंने अपने भाई के नाम से माइन्स दिलवाई। यही नहीं बल्कि, आप देखिये कि एक छोटी सी चीज है, चीनी के वितरण के बारे में। बनवारीलाल जी के भ्राता उनके एजेन्ट बने हुए थे। वहां की जनता ताकती रही, उन्होंने अपने आदमियों को ही दी, अन्धा बांटे रेवड़ी फिर-फिर अपने ही को देय। धौलपुर के अन्दर जो बनवारीलाल जी

(श्री जगदीश सिंह)

के बहनोई हैं उन्होंने साढ़े बारह लाख का गबन किया है लेकिन उनसे आज तक कोई वसूली नहीं हुई। ऐसी स्थिति है और जो भी आडिटर्स वहां गये हैं आडिट करने के लिए उनको मार-मार कर बाहर निकाल दिया। इसी तरह से बाड़ी के अन्दर साढ़े तीन लाख के गबन के केसेज चल रहे हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, यह बात आडिट रिपोर्ट से बिल्कुल स्पष्ट है, आडिटर ने रिपोर्ट में दर्ज कर दिया है। इसके अलावा, सभापति जी, मैं और विनती करूं, कांग्रेस सरकार ने क्या दिया। कांग्रेस सरकार ने जनता के साथ अत्याचार किये, जुल्म ढाये और भ्रष्टाचार को पनपाया। यह इनकी देन है, इनकी जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं। इनको जनता सरकार आसानी से और चन्द दिनों में नहीं मिटा सकती। इनकी जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि ऊपर से पहाड़ के तले तक पहुंच चुकी हैं। आज बच्चा-बच्चा चिल्लाता है कि भ्रष्टाचार मन्त्रिमण्डल से शुरू होता है, नीचे से तो खत्म हो सकता है। लेकिन जनता सरकार से हमको आशा है कि इसको उखाड़ने के लिए कोई कसर नहीं रखी जायगी।

इसके अलावा भरतपुर क्षेत्र के अन्दर हमेशा से डकैतों का तांता रहा है। उनका मंत्रिमण्डल के सदस्यों से सम्बन्ध रहा है। एक डाकू कांग्रेसी एम. एल. ए. के घर पाया गया और जिस शख्स ने उसको पकड़ा, खंगारसिंह ने, उसको बरखास्त कर दिया गया। उसके बाद जोशी मंत्रिमण्डल के शासन में आते ही पहला काम हुआ, भरतपुर में लाल निशान के सम्पादक का मडर। पिस्तोल से उसका मर्डर किया गया, रिवाल्वर भी बरामद हो गया लेकिन पुलिस ने कोई पता नहीं लगाया कि वह किस तरह से हुआ और किसने किया। यह सैशन जज की फाइन्डिंग्स हैं कि पुलिस इसमें मिली हुई है, लेकिन इसकी कोई जांच नहीं हुई। सैशन जज की फाइण्डिंग्स आज भी मौजूद हैं।

अब प्रश्न इस बात का है कि धौलपुर क्षेत्र की किस तरह से उपेक्षा होती रही, किस तरह से कांग्रेस वहां नाकामयाब होती रही। अत्याचार और जुल्म जो किये गये वह थोड़े दिन ही चले। वह जनता के सामने भयभीत थे कि आज नहीं तो कल जनता की सरकार बनेगी। जनता के ऊपर बड़े अत्याचार किये, आज भी वहां पर अत्याचारों का जोर है, इस प्रकार की रिपोर्ट रोजाना आ रही है। उसके बाद में जनता के लोगों ने अभी आठ दस दिन पहले की बात है, डकैतों को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। पहले लोग पुलिस में रिपोर्ट करने से घबराते थे लेकिन आज हमारी सरकार ने इतना विश्वास तो पब्लिक के अन्दर क्रिएट कर दिया है कि अगर किसी शख्स के साथ अन्याय होता है तो उसकी सुनवाई होती है और वह रिपोर्ट करवा सकता है। लेकिन पिछले तीस सालों के अन्दर क्या हुआ, उसके कारनामों को देखा जाय, तो हिस्ट्री जो बनेगी, उसको तीन पीढ़ियां याद करेंगी कि इस तरह से शासन करने वाले भ्रष्टाचारी थे। इस तरह का शासन चलने वाला नहीं है। अच्छा हुआ जो संजय गांधी पैदा हुआ जो इनको नीचे गाड़ गया। धन्यवाद है ईश्वर को जिसने संजय गांधी को पैदा किया वरना शायद इस तरह आसानी से इनके हाथों से शासन न निकल पाता और जनता को आगे

(श्री जगदीश सिंह)
आने का अवसर नहीं मिलता क्योंकि लाठी और पैसे के जोर से ये लोग वोट लेते थे। आप वोट जबर्दस्ती लिया करते थे और उस आधार पर आप जीत कर आते थे या डिवाइड एण्ड रूल पालिसी अख्तियार करते थे।

कल और आज यह बात आई कि जाटवों ने वोट नहीं दिया। आपके पास कोई मीटर है जिससे पता लग गया कि किस पार्टी को किस व्यक्ति ने वोट दिया यह तो सीक्रेट है। अगर शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग वोट नहीं देते, अगर जनता पार्टी में उनका विश्वास नहीं होता तो 150 विधायक जीत कर नहीं आते। यह केवल कांग्रेसियों की पुरानी चालें हैं····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपके दल ने यह निश्चय किया है कि प्रत्येक सदस्य को 10 मिनट दिए जायें।

श्री जगदीश सिंह : मैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। एक मिनट और।

इसके साथ बरकत साहब ने धौलपुर लेबर समस्या को समाप्त करने लिए टायर फैक्ट्री डाली लेकिन जैसे ही जोशी मंत्री-मण्डल आया दूसरे दिन उठा कर फेंक दी। आज वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति यह है कि घर-घर में एक टाइम खाने को नहीं मिल रहा है और गरीब परेशान हैं। बेरोजगारी एक्सट्रीम पर है। अगर टायर फैक्ट्री लगी होती तो कम से कम उस इलाके में जो डकैती और दूसरी समस्यायें हैं वह नहीं होतीं और लोगों के भूखे मरने की नौबत नहीं आती।

हमारे यहां एक सरमतराय इलाका है। वहां 1949 से एक ही सड़क बनी है जिसकी लम्बाई 22 मील है। वहां करोड़ों रुपये की आमदनी खानों के जरिए होती है। लेकिन 30 सालों में 22 मील का टुकड़ा आज तक नहीं बन पाया। उनकी पुलियाओं का ठेका बनवारीलाल के बहनोई को दिया जिसने 56,000) का सीमेंट और लोहा बेचा, जिसके ठेके की मियाद 1974 में समाप्त हो चुकी है। बाडी बाईपास के ठेके की मियाद 1974 में खत्म हो गई क्योंकि ओवरसियर बहनोई हैं, एम. एल. ए. साले हैं। इन्जीनियर कहता है कि नोटिस देते हैं तो ऊपर से इत्तला आती है कि कोई कार्यवाही न की जाय। चूंकि समय की कमी है इसलिए····

श्री सभापति : मैं आपकी कठिनाई को महसूस कर रहा हूं।

श्री जगदीश सिंह : चूंकि मैं हिन्दी का स्टूडेन्ट नहीं हूं, उर्दू का हूं इसलिए हिन्दी का अभ्यास कम है, उसके लिए क्षमा चाहूंगा।

श्री सभापति : You have spoken very well.

श्री जगदीश सिंह : अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि जिलों का पुनर्गठन किया जाए, धौलपुर को जिला बना दिया जाए, ताकि वहां की बेरोजगारी और डकैती की समस्या समाप्त हो सके।

श्री सभापति : माननीय कौशल किशोर जैन।

श्री नवलराय बच्चाणी (अजमेर, पश्चिम) : पहले मेरा नाम था ।

श्री सभापति : सदन का नियम रहा है कि जिस समय जिनका नाम पुकारा जाय उस समय सदन में वह सदस्य मौजूद रहें। आपका नाम पुकारा गया था । आपको बाद में मौका मिल जाएगा । यह परम्परा रही है कि जो कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें वह अपना नाम अपने व्हिप के जरिए, सेक्रेटरी के जरिए, लिखवा कर आसन के पास भेजते हैं। उनकी यह जिम्मेदारी होती है कि जब उनका नाम पुकारा जाए। तब वह उपस्थित मिलें ।

श्री नवलराय बच्चाणी : आपके पास नाम आ चुका है, नवलराय बच्चाणी ।

श्री सभापति : आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए ।

श्री नवलराय बच्चाणी : सभापतिजी, मैं राज्यपाल के अभिभाषण का अभिनन्दन करता हूं । उसमें काफी विषयों का समावेश है । एक विषय है, बाड़मेर के 50 हजार सिंधी शरणार्थियों की समस्या । 1971 में भारत-पाक युद्ध में छाछरो, थरपारकर जिले में उन्होंने हमारी सेना का मार्गदर्शन किया था और देश भक्ति का परिचय दिया । उन्होंने कर्नल भवानीसिंह का मार्गदर्शन किया जिन्होने एक ही रात्रि में छोटे छोटे गांवों से होकर 70 कि. मी. अमरकोट में प्रवेश किया और उनको इस कारण महावीर चक्र मिला । उसके बाद 1972 में जनसंघ ने उचित समझ कर देश का आह्वान किया कि ऐसे बन्धुओं की सहायता करनी चाहिए। सर्व श्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवानी, भैरोंसिंह शेखावत, नानाजी देशमुख ऐसे प्रमुख लोगों ने नेतृत्व दिया और अजमेर से लोग जत्था लेकर गए । वहां के लोग बड़ी आशा लगाए बैठे हैं । मैं जब विधान सभा का उम्मीदवार ही बना था तब से उन लोगों की शुभ कामनायें और पत्र मेरे पास आ रहे हैं । जिस समय हम यहां शपथ के लिए आए थे उस समय भी वहां का प्रतिनिधि मण्डल आया था और आज भी यहां पर कम से कम 15–20 आदमी उपस्थित हैं । वहां के अध्यापकों की समस्याएं और कई समस्याएं हैं । इमर्जेंसी के समय भी वहां के लोगों ने पूरा सहयोग दिया । मीसा में कुछ लोग धरे गए । भीलवाड़ा का कार्यकर्ता ओम प्रकाश मेरे साथ अजमेर जेल में था । कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने इन्दिरा के गुण गाए और कहा कि एक लाख हाथ आपके साथ हैं, ऐसी पुस्तकें लिखाई गईं । उन शरणार्थियों को कांग्रेस के समय से ही बड़े आश्वासन मिले और बड़े आंकड़े समय समय पर प्रकाशित होते रहे लेकिन उनकी भूख मिटाने का कोई प्रयास नहीं हुआ । इमर्जेन्सी में दूसरे राज्यों की तरह मीसा में धरे गए और कुछ डी. आई. आर. में बन्द किए गए । इमर्जेंसी में ये लोग इतने पिछड़ गए कि इनके पुनर्वास के लिए हम लोगों को गंभीरता से सोचना पड़ेगा ।

सभापति महोदय, अभी उनके पुनर्वास के लिये हमारे मुख्य मंत्री जी बड़े चिन्तित हैं । उन्होंने मोरारजी भाई से भी भेंट की और कुछ रूपरेखा भी बनायी । सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत कुछ सुझाव उनके बारे में देना चाहूंगा । जो शरणार्थी पाकिस्तान से आये हैं उन्हें तीन भागों में बांटा जा सकता है । जैसा कि मैंने पहले निवेदन

(श्री नवलराय बच्चाणी)

किया कि सन् 1971 से लेकर अभी सन् 1977 तक कोई व्यवस्था स्थायी रूप से उनको बसाने की नहीं की गयी है। आज भी वह लोग कैम्पों में पड़े हुए हैं। उनके लिए राज्य सरकार ने ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि जिससे वह लोग अपने पांवों पर खड़े हो सकें। सभापति महोदय, जब मैं सन् 1947 में भारत में पाकिस्तान से आया था तो कुछ लोग राजस्थान में रहे और कुछ लोग गुजरात में और कुछ लोग बम्बई चले गये थे। वहां पर भारत सरकार ने लोगों को कैम्पों में रखा था लेकिन उस वक्त भी मैंने कैम्पों में रहना पसन्द नहीं किया। मैं तो अपने पांवों पर खड़ा होना ज्यादा उचित समझता था। लोग उस समय भी बारह-बारह माह तक कैम्पों में रहते थे। लेकिन, सभापति महोदय, आज जो सन् 1971 में सिंध से शरणार्थी आये हैं उनमें सभी तरह के आदमी, औरतें, बच्चे वगैरह करीब 50 हजार लोग हैं जिनके लिए न कोई आवास की व्यवस्था है, न उनके बच्चों की पढ़ाई की कोई व्यवस्था है, न कोई उन लोगों के काम-धन्धे की, नौकरी की व्यवस्था ही है। मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि राज्य सरकार इनकी ओर विशेष ध्यान दे। सभापति महोदय, मैं उनको तीन भागों में बांटता हूं और उनके बारे में कुछ सुझाव देना चाहूंगा कि सभी शरणार्थियों को सर्व प्रथम तो भारतीय नागरिकता दिलायी जावे। जो शरणार्थी आये उनमें तीन श्रेणियों के शरणार्थी आये हैं उनमें प्रथम तो कृषक हैं। कृषकों के लिये तो मेरा निवेदन है कि कृषक वर्ग के लोगों को 75 बीघा जमीन दिलायी जावे, आवास की समुचित व्यवस्था की जावे। साथ ही उनको बैल, बीज, खाद खरीदने हेतु कर्जा दिलाया जावे। दूसरे वर्ग में व्यापारी वर्ग के आदमी हैं उन्हें व्यापार हेतु ऋण की सुविधा प्रदान की जावे। इसके अलावा व्यापारियों को एक ही स्थान में यानि भीनमाल जिला जालोर में बसाया जावे। तीसरा है, कर्मचारी वर्ग। पाक से विस्थापित कर्मचारियों को यहां पर पुनः राज्य या केन्द्रीय सेवाओं में लिया जाये और उनके लिये आवास की समुचित व्यवस्था की जाय। इसके अलावा जो नागरिक पाक से सेवा पूर्ण करके आये हैं उनको पेन्शन देने की व्यवस्था की जाये, जिन शरणार्थियों का पाक सरकार के पास जी. पी. एफ. का पैसा है या जिनका पैसा पाकिस्तान के बैंक में पड़ा है वह उन्हें वापिस दिलाया जाय। इसके अलावा सभी शरणार्थियों की जो पाकिस्तान में सम्पत्ति पड़ी है उसका क्लेम दिलाया जावे। जो लोग कमाने में अशक्त हैं उनके परिवारों को पेन्शन भी दिलायी जाय। इनके लिये मैं राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि यह व्यवस्था जल्दी से करायी जाय।

सभापति महोदय, अब मैं थोड़ा सा आयुर्वेद के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, मैं खुद आयुर्वेद में ए श्रेणी का आचार्य हूं। इसीलिये आयुर्वेद से विशेष लगाव है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के पेज नम्बर 16 में कहा है कि जहां-जहां आयुर्वेद तथा एलोपैथिक की दोहरी सुविधा उपलब्ध है वहां उन सुविधाओं की विद्यमानता पर सरकार द्वारा नये सिरे से विचार किया जायेगा और ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि इन दोहरी सेवाओं पर अनावश्यक व्यय न हो। जो क्षेत्र चिकित्सा सेवाओं से बिलकुल वंचित हैं

(श्री नवलराय बच्चाणी)
वहां ये सेवायें उपलब्ध करवायी जा सकें। सभापति महोदय, आयुर्वेद एक ज्ञान है It is not a Science of Medicine but it is a Science of Life.

यह जीवन का विज्ञान है। इसके लिये मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है, राज्य सरकार को चाहिये कि आयुर्वेद को राजकीय चिकित्सा बनाया जाना चाहिये। अगर राजकीय चिकित्सा पद्धति बनायी जाय तो यह पद्धति बहुत बढ़ सकती है। अपने राजस्थान में आयुर्वेद विभाग का मंत्री अलग से है। काफी समय से अलग मंत्री रहे हैं। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस सरकार के पिछले तीस साल के शासन में आयुर्वेद विषय पर कोई प्रगति नहीं हुई है। हमारे यहां कांग्रेस सरकार ने इतनी पचवर्षीय योजनाएं बनायीं लेकिन किसी भी पंचवर्षीय योजना में हमारे देश में आयुर्वेद, यूनानी दवाइयों को, होम्योपैथी व प्राकृतिक चिकित्सा आदि के लिये कोई विशेष योजना नहीं बनी। बजट में इन पद्धतियों के लिये कोई अधिक धनराशि आवंटित नहीं की गई। कहने को तो यहां पर आयुर्वेद शोधशाला की बात की है लेकिन उसमें भी अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई। इसलिये मेरा सुझाव है, राज्य सरकार को चाहिये कि इस ओर विशेष ध्यान दे ताकि जनता का ज्यादा से ज्यादा भला हो सके।

इसके अलावा, सभापति महोदय, तीसरी बात मैं जो निवेदन करना चाहता हूं वह डकैती की समस्या के बारे में है। आज जिस तरह मध्य प्रदेश में जिन डाकुओं ने पश्चाताप कर लिया उन्हें बसाने की योजना बनायी गयी, उसी तरह राजस्थान में भी डाकू समाप्त हों उसके लिये एक योजना बनायी जाय। समर्पण या संघर्ष की नीति अपनानी चाहिये।

सभापति महोदय, अब मैं थोड़ा अजमेर की समस्याओं के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, अजमेर सिर्फ राजस्थान का ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष का हृदय है। मेरा निवेदन है कि उसको पिछड़ा जिला घोषित किया जाय तथा वहां का पूर्णतया विकास किया जाय। सभापति महोदय, अजमेर की सबसे बड़ी समस्या जो है वह है पानी की समस्या। अगर आप वहां पर पानी की समस्या को हल कर दें तो वहां पर कई बड़े-बड़े उद्योग लग सकते हैं। एच.एम.टी. व रेल्वे लोको कैरिज कारखानों का विस्तार हो सकता है पानी के अभाव में कारखाने भी नहीं लगाये जा सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस ओर जल्दी से जल्दी ध्यान देकर अजमेर की पानी की समस्या का हल निकाला जाना चाहिये।

इतना ही कह कर मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री कौशल किशोर जैन।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय,....

एक माननीय सदस्य : सभापतिजी को आपकी चिन्ता है।

श्री कौशल किशोर जैन : होनी ही चाहिये।

(श्री कौशलकिशोर जैन)

सभापति महोदय, सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव आया है उस पर मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, मैं राजस्थान के दक्षिणी हिस्से से आया हूं। यह वह हिस्सा है जिस हिस्से से राजस्थान विधान सभा को 38 सीटों में से 36 सीटें जनता पार्टी को मिली हैं केवल बांसवाड़ा और एक जगह और कांग्रेस को मिली है। सभापति महोदय, यह वह इलाका है जिसके द्वारा वर्षों से राजस्थान का नेतृत्व किया जाता रहा। गत कई वर्षों से राजस्थान के इस दक्षिणी हिस्से से राजस्थान के मुख्य मंत्री बने। राजस्थान के एक मुख्य मंत्री जी तो थे श्री मोहनलाल सुखाड़िया और दूसरे मुख्य मंत्री थे श्री हरिदेव जोशी। इसके अलावा और कई मंत्रि-मण्डल के सदस्य इस उदयपुर डिवीजन से थे। श्री हीरालाल जी देवपुरा व राजस्थान के राज्य मंत्री गृह श्री गुलाबसिंह जी शक्तावत व मूलचन्द मीणा भी इसी दक्षिणी क्षेत्र से आते थे। इन सभी को जनता पार्टी के सदस्यों ने परास्त करके यह सिद्ध कर दिया कि इमर्जेन्सी के दौरान इस डिवीजन के अन्दर कांग्रेस की हुकूमत ने कितने जुल्म वहां की जनता पर ढाये। सभापति महोदय, कांग्रेस के द्वारा इमर्जेन्सी के दरमियान किये गये सभी जुल्मों को तो यहां निवेदन नहीं करूंगा लेकिन थोड़ा निवेदन मैं यहां जरूर करना चाहूंगा। चुनावों के समय में राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जोशी और श्री गुलाब सिंह जी शक्तावत चुनाव क्षेत्रों में घूम-घूम कर जगह-जगह पर यह कह रहे थे कि इमर्जेन्सी में कोई अत्याचार नहीं हुआ, कोई अन्याय इमर्जेन्सी में नहीं हुआ, कोई अनाचार इमर्जेन्सी में नहीं हुआ। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने तो कांग्रेस चुनाव प्रचार के समय पूरे मेवाड़ के क्षेत्र में यह कहा कि अगर इमर्जेन्सी में किसी प्रकार का अत्याचार आपके यहां हुआ तो आपने मुझे मद्रास तार क्यों नहीं दिया? आपको चाहिये था आप मुझे कर्नाटक तार देते, मैं आपके यहां आता। मुझे तो पता नहीं कि परिवार नियोजन कार्यक्रमों में इतने घोर अत्याचार हुए। सभापति महोदय, हम तो इन 19 महीनों में लगातार जेल में रहे लेकिन राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी इस दरमियान में चार बार हवाई जहाज से उदयपुर आये थे। वह यह दावा करते हैं कि मैं यहां नहीं था, मुझे मालूम नहीं कि यहां क्या हो रहा था। सभापति महोदय, उदयपुर डिवीजन में इन 19 महीनों में इतने अत्याचार हुए कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। मैं 19 महीने जेल में था। जेल में कांग्रेस सरकार ने कोई सुविधायें मीसा के अन्तर्गत और डी. आई. आर. के अन्तर्गत आने वाले कैदियों को नहीं दी। बाहर तो कहते रहे कि हमने बहुत सुविधायें जेल में इन लोगों को दीं लेकिन मैं आपका ध्यान, सभापति महोदय, .-9-75 के दिन की ओर दिलाना चाहूंगा जबकि कांग्रेस के क्रूर शासन ने जेलों में हमारी छोटी-मोटी सुविधाओं के बारे में कुछ नहीं सुना। वहां पर छोटी-मोटी मांगों के लिये आन्दोलन करना पड़ता था। जेल में दूध में मिलावट होती थी, जिस श्रेणी में हमें जेल में रखा जाना चाहिये था उनमें नहीं रखा जाता था। जो श्रेणी कांग्रेस सरकार ने हमें दी उस श्रेणी की सुविधायें हमको नहीं मिलती थीं। इन छोटी-मोटी बातों की ओर ध्यान आकर्षित करके के लिए हमने जेल अधिकारियों

(श्री कौशलकिशोर जैन)

से निवेदन किया। कलेक्टर महोदय उदयपुर को जेल में आना चाहिए और हमारी बातों को सुनना चाहिये। कलेक्टर महोदय तो नहीं आये किन्तु 6 बजे केन्द्रीय कारागार उदयपुर को आर.ए.सी. की छावनी बना दिया गया। आर.ए.सी. के सौ, सवा सौ जवान मीसा के अन्तर्गत बन्द व्यक्तियों के लिए तैनात कर दिए गए और न केवल यह सौ, सवा सौ जवान बल्कि उदयपुर के सारे सर्किल इन्सपेक्टर्स, डी.एस.पीज., एडीशनल एस.पी. श्री भरथरिया सब के सब मीसा कैम्प में तैनात कर दिये गये। उनकी शायद योजना थी कि मीसा बन्दियों के साथ मारपीट की जाय। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि 3 बजे से लेकर रात्रि के 10।। बजे तक इस प्रकार का ताण्डव नृत्य केन्द्रीय कारागार उदयपुर में होता रहा। सारे मीसा बन्दी हैरान थे। आर.ए.सी. के जवानों को तैनात कर हम लोगों को वह डराना चाहते थे, धमकाना चाहते थे। उस पर राजस्थान के मुख्य मंत्री श्रीमान् हरिदेव जी जोशी कहते हैं कि हमने अत्याचार नहीं किये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रात्रि के 10।। बजे कलेक्टर और एस.पी. के आने के बाद शायद समस्या का तो अन्त हो गया। लेकिन पांच, सात दिन के बाद केवल इस आरोप के अन्दर कि हमने इस घटना की बुराई की थी मुझे केन्द्रीय कारागार उदयपुर से अलवर स्थानान्तरित कर दिया गया। मेरे मित्र कैलाश मेघवाल को अजमेर भेज दिया गया और श्री विजयसिंह जी को जोधपुर भेज दिया गया। मेरे तीन बन्धुओं को मेरे परिवार से जुदा कर दिया गया केवल इसलिए कि केन्द्रीय कारागार उदयपुर के अन्दर हमने न्यायोचित अधिकार मांगे थे।

सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि मीसा बन्दियों को 19 महीने के दौरान राजस्थान की विभिन्न जेलों में रखा गया। मुझे भी राजस्थान की चार जेलें दिखाई गईं। आश्चर्य की बात है और उसके उपरांत कांग्रेस के नेता यह दावा करते हैं कि अन्याय नहीं हुए।

मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं केन्द्रीय कारागार उदयपुर का। मेरे एक मित्र श्रीमान् भैरूलाल लखाटा डी.आई.आर. में गिरफ्तार होकर आये। 4 महीने जेल में रहे। हम बराबर कलेक्टर को लिखते रहे कि भैरूलाल जी की तबियत खराब है और शायद उनकी जिन्दगी समाप्त हो सकती है लेकिन कलेक्टर महोदय ने सुनाई नहीं की। राजस्थान की हुकूमत ने कोई सुनाई नहीं की। ऐसे समय में श्री भैरूलाल को पैरोल पर छोड़ा गया। जेल से बाहर जाते ही और अस्पताल में जाते ही उनकी मृत्यु हो गयी। आज भी कांकरोली के जवान उसके लिए रोते हैं। उनकी 18 साल की पत्नी है। मैं कांग्रेस के हुक्मरानों से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने उसके लिए क्या व्यवस्था की ?

इस प्रकार के अत्याचार न केवल उदयपुर में हुए बल्कि बांसवाड़ा के अन्दर भी हमारे जनता पार्टी के नेता श्री नरसी भाई मीणा हैं जो कि उस समय जनसंघ के जिला-अध्यक्ष थे, उस समय तक जनता पार्टी नहीं बनी थी और एक दूसरे श्री पतिराय एडवोकेट थे इन दोनों को पुलिस ने बड़ी बेदर्दी से पीटा। घाटोल तहसील में सेनावासा गांव है जहां का मुख्य मन्त्री स्वयं प्रतिनिधित्व करते हैं उस गांव सेनावासा को सारी पुलिस ने छावनी बनाया। वहां न केवल नरसी

(श्री कौशलकिशोर जैन)

भाई को पीटा बल्कि उनकी पत्नी को घर से बुलाकर पुलिस ने पीटा। न केवल उनकी पत्नी को बल्कि उनके बच्चों और परिवार के 37 सदस्यों को पुलिस ने पीटा। उस गांव में करीब 50 लोगों पर मुकदमे बनाकर उनको जेल के अन्दर ठूंस दिया गया। जेल में जाने से पहले नरसी भाई को 8-10 दिन तक पुलिस हिरासत में रखा गया। एक-एक हिस्से पर करेन्ट लगाया गया और एक-एक हड्डी बस टूटी नहीं वरना तोड़ने के पूरे प्रयत्न किये गये। वह 4 महीने तक डी. आई. आर. में रहने के बाद मुकदमे से बरी हो गए। उनको फिर मीसा में डाल दिया गया। जब वह केन्द्रीय कारागार उदयपुर में आये तो हम सब साथी उनकी हालत देखकर आश्चर्य चकित रह गये।

इसी प्रकार भूतपूर्व एम. एल. ए. जो कि अब एम. पी. हैं श्री हीरा भाई जेल में अस्वस्थ हुए लेकिन उनको अस्पताल की सुविधा नहीं दी गई। उनको अस्पताल नहीं ले जाया गया। समय का ध्यान रखते हुए सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से जितने भी इमर्जेन्सी के शिकार हुए हैं उनके लिए सरकार को विचार करना चाहिए। इस प्रकार के जितने भी अधिकारी हैं जिन्होंने इमर्जेंसी में ज्यादतियां की हैं उन सारे अधिकारियों को अविलम्ब दण्ड मिलना चाहिए।

परिवार नियोजन के नाम पर नसबन्दी हुई। आज से 15 दिन पहले मैं भीलवाड़ा में बैठा हुआ था तो एक सज्जन आये जिनकी नसबन्दी कर दी गई थी। उनका आपरेशन बिगड़ गया। एक साल हो गया और आज वह दर-दर के भिखारी हो गए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के जितने भी केसेज हैं उन सब को लिया जाये। उनके लिए सुविधायें तो सरकार ने घोषित की हैं लेकिन उस घोषणा के साथ ही साथ उन सब को जल्दी ही सुविधा मिले, चिकित्सा के लिए पर्याप्त आर्थिक सहयोग मिले—इसको हमारी सरकार को देखना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक और डी. आई. आर. के अन्दर, मीसा के अन्दर गिरफ्तार लोगों को हथकड़ियां लगाई गईं और छोटे-छोटे बच्चों को पीटा गया···

(व्यवस्था—सूचक—घंटी)

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आपका भाषण जारी रहेगा।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. 5.00 बजे शुक्रवार दिनांक 22 जुलाई, 1977 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

९२

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 19)

चोरी गये माल का विगत

1. मठिये नग एक मोगरी वाला कुल बंगडी आठ तोला अन्दाजन 6 तोला।
2. लडीयो नग लुडकायो नीचे के तरफ लगी हुई तीन नग तोल में अन्दाजन 10 तोला।
3. बो... सिर का नग लगामोडा डोरासमेत तोल में अंदाजन 2।। तोला।
4. वलमा नग एक मोड़ घूमरेदार तोल में अन्दाजन एक तोला।
5. बींटी नग 3 गुलबीन गरी एक, पीले नगकी एक, अशोक छाप बींटी भर तोल में 1।।) भर।
6 कमकोली नग एक तोल में अन्दाजन 2।। तोला।
7. टोप्स चाकलो समेत कंरीमोथ छोटे नग लगे हुये सांकली में भी नग लगे हुए तोल में अन्दाजन 2। तोला।
8. कंठी नग एक मूगरो वाली तोल में अन्दाजन 2। तोला।
9. नकद मोहरे नग चार तोल में अन्दाजन 3।।।) तोला।
10 मुरकी नग चार दो तोला दो तोला।
11. मुरकी जोड़ी नग एक सांकली समेत अन्दाजन।
12. सांकली कानोरी यहां के तोल में अन्दाजन 1 तोला।
13 पटा बगडीया नग 10 (8 सफेद मीव लगाई हुई) डालोरी अन्दाजन तोल 3।।) भर।
14. कोरो नग दो मोतियों वाला एक आठ आना भर दूसरा पांच आना भर जुमले तोल ।।।) भर।
15. मुरकी जोडी नग एक तोल में आधा तोला।
16. डोरा नग एक बटवा में तोल में अन्दाजन 2 तोला।
17. माला नग एक लाल मोतियों के नगे में पोई हुई तोल में अन्दाजन 1। तोला
18 झुमरी नग, साकल नग दो, अन्दाजन 2 तोला।
19. तमलीया नग एक घडा समेत दो तोला अन्दाजन-अन्दाजन तोल 2 तोला।
20. कपोला एक 10 तोला अन्दाजन।
21. भुजबंद नग एक तोल में अन्दाजन पांच तोला।
22. चूडी पाटला नग छः तोल में अन्दाजन 12 तोला।
23. झुबरा जोडी एक सांकलो समेत अन्दाजन तोला 4।। तोला।
24. टूसी नग एक, छः तोल अन्दाजन।

25 एरंगपता सांकली अन्दीजन तोल पांच तोला ।

26. फते देस टोको एक तोल में अन्दाजन 5।। तोला ।

27. झेला व बालकीया तीन तोला अन्दाजन ।

28. कंठी नग एक तोल में अन्दाजन दो तोला ।

29. वीटीया नग पांच तोल में अन्दाजन 2।। तोला ।

30. बोरियों नग एक गेडी समेत तीन तोला अन्दाजन ।

31. हाथों का खोखरू जोड़ी एक तोल में अन्दाजन आठ तोला ।

32. बोरडा नग एक नग डाले हुए आधा तोला अन्दाजन ।

33. हारडा नग गुगरा लगे हुए सात तोला अन्दाजन ।

34. मादलियों गलेरा नग छः तोल में अन्दाजन 1।।)

चांदी की वर्तन जेवर सूची

35. चांदी के पुराने राजा व रानी छाप सिक्के रोकड़ रु. के 500) अन्दाजन ।

36. चांदी की डालियों नग दोबोल में अन्दाजन 80 तोला ।

37. गिलासें नग 16 तोल में अन्दाजन 160 तोला ।

38. बटकियो नग 22 तोल में अन्दाजन 130 तोला ।

39. लोटा नग एक बड़ा तोल में अन्दाजन 50 तोला ।

40. लोटा नग दो छोटा तोल में अन्दाजन 45 तोला ।

41. थाल नग एक तोल में अन्दाजन 90 तोला ।

42. थाल नग एक तोल में अन्दाजन 60 तोला ।

43. गुलाबदानी एक तोल में अन्दाजन 25 तोला ।

44. चांदी की डबी नग खाने वाली तोल में 35 तोला ।

45. चांदी की डबिया चार छोटी-तोल में अन्दाजन 10 तोला तीन सादी व एक फूल लगी हुई ।

46. पगेड़ी नग जोड़ा 16 जिसमें आठ सादी व आठ में गुगरा लगा हुआ तोल में 180 तोला ।

47. कडोरा जोड़ी नग एक तोल में 80 तोला ।

48. शंल कडा जोड़ी नग एक तोल में अन्दाजन 35 तोला ।

49. झामर जोड़ी एक तोल में अन्दाजन तीस तोला ।

50. आंवला जोड़ी नग एक तोल में अन्दाजन 30 तोला ।

51. जोड़ नग एक गुगरों वाली तोल में अन्दाजन 35 तोला ।

52. जोगें री जोड़ी नग तीन तोल में अन्दाजन 60 तोला ।

53. हासली नग दो तीस तोला अन्दाजन गले में पहनने की ।

54. साटों की जोड़ी एक पैरों में पहनने की तोल में 40 तोला अन्दाजन 40

55. कन्दलों नग एक तोल में 20 तोला अन्दाजन ।

915

56. फोलरियां नग छः तोल में अन्दाजन 12 तोला।
57. तोड़ा जोड़ी एक मोरी 28 तोला भर अन्दाजन।
58. तोड़ा जोड़ी एक छोटी 5 तोला भर।
59. तैवरी जोड़ी एक तोल में अन्दाजन 16 तोला भर।
60. हाथेरा कतरियों दोनों तोल में अन्दाजन 33 तोला भर।
61. दुड़ी नग तीन तोल में अन्दाजन 30 तोला।
62. बलिया नग दो तोल में 12 तोला दागेदार अन्दाजन।
63. सूड़ नग एक चालीस तोला अन्दाजन 40 तोला।
64. जोड़ी नग आठ में अन्दाजन 100 तोला।
65. तोड़ो री नग एक तोल में अन्दाजन 15 तोला।
66. पोलरिया आंवालियों री नग दो एक जोड़ी तोल में अन्दाजन 16 तोला।

अन्य सामान में

67. नगद रु. 2600
68. फवरलुवा हाथ की घड़ी एक
69. वेस्टन वॉच घड़ी एक पुरानी।
70. स्वेटर नग दो ऊनी रंग बल्यू व लाल

परिशिष्ट—2

(तारांकित प्रश्न स. 28 की सूची)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

विज्ञापन संख्या 7/77

निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। नियुक्ति के पूर्व अभ्यर्थियों को एक वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षण पर रहना होगा तथा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात् निगम सेवा में नियमित नियुक्ति की जावेगी :—

क्रम संख्या	पद	रिक्त स्थान	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	वेतन श्रृंखला	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण काल में मासिक स्टाईफण्ड
(1)	सहायक आगार प्रबन्धक/ यातायात निरीक्षक	15	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला/विज्ञान/वाणिज्य में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यान्त्रिक/आटोमोबाईल इन्जिनियरिंग में स्नातक/विवि स्नातकों को प्राथमिकता दी जावेगी।	180—10—220—15—385—20—425 विभिन्न भत्ते इसके अतिरिक्त	1 वर्ष	250/- रुपये प्रति माह

९६

(2)	सहायक यातायात निरीक्षक	40	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला/विज्ञान/वाणिज्य में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक।	120–5–160–8–200–10–240 विभिन्न भत्ते इसके अतिरिक्त	1 वर्ष	200/- रुपये प्रति माह

(1) आवेदनकर्ता पूर्ण विवरण सहित जिसमें सम्पूर्ण शैक्षणिक योग्यताएं, प्राप्तांकों का प्रतिशत व सभी प्रमाण-पत्रों की सही प्रतिलिपियां 5/- रुपये का रेखांकित पोस्टल आर्डर मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर के नाम सहित सादा कागज पर आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें।

(2) विभिन्न पदों के लिये पृथक से आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जावें।

(3) लिफाफे के ऊपर पद के नाम सहित नियुक्ति हेतु प्रार्थना-पत्र अंकित करें।

(4) आयु दिनांक 1–1–1977 को कम से कम 18 वर्ष व अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिये। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लिये 33 वर्ष व भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के लिए 50 वर्ष होगी।

(5) अनुसूचित जाति के लिये 16% व अनुसूचित जन जाति के लिए 12% स्थान सुरक्षित हैं।

(6) प्रशिक्षण शुरू होने से पूर्व अभ्यर्थी को एक बन्धक-पत्र भरना होगा।

(7) आवेदन-पत्र सचिव, सेवा चयन मण्डल, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, परिवहन मार्ग, चौमूं हाऊस, जयपुर–1 को दिनांक 5 अप्रेल, 77 तक प्राप्त हो जाने चाहिये। अपूर्ण व निश्चित दिनांक के पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

शरद् चन्द वर्मा,
अतिरिक्त महा प्रबन्धक एवं सचिव, सेवा चयन मण्डल,
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, चौमूं हाऊस, जयपुर।